राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] तेरहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 11

बुधवार,

16 मार्च, 2011

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: डा. रघु शर्मा।

(स्थगित प्रश्न)

(बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 2011)

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत देय पेंशन के नियम में संशोधन

36. **डा. रघु शर्मा** (केकड़ी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्तमान में सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत विधवा/वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन तथा पालनहार योजना के तहत जिलेवार कुल कितने लोगों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले लोगों को पेंशन दिये जाने के क्या मानदण्ड हैं? क्या सरकार इन मानदण्डों में कोई शिथिलता/ संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (श्री रामकिशोर सैनी): (1) राज्य में वर्तमान में विधवा, वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन तथा पालनहार योजना के तहत जिलेवार पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले कुल लोगों की संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वृद्धों एवं विधवाओं को राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन

(श्री रामकिशोर सैनी)

नियम, 1974 एवं नि:शक्तजनों को राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पेंशन देय है। नियमों की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-2 एवं 3 पर संलग्न हैं।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना अन्तर्गत देय पेंशन आदेशों की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-4, 5 एवं 6 पर संलग्न हैं। पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2007 की प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

पेंशन हेतु निर्धारित मानदण्डों में उचित प्रस्तावों पर सरकार द्वारा समय-समय पर शिथिलता प्रदान की जाती रही है।

(सूची व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो सारी तरह की पेंशन आप दे रहे हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए, उसमें कुल कितना वित्तीय भार आपको वहन करना पड़ रहा है? और उसमें से कितना केन्द्र सरकार वहन कर रही है और कितना राज्य सरकार वहन कर रही है?

दूसरा, जो राइडर्स आपने अभी लगा रखे हैं पेंशन देने के मामले में, अगर वे राइडर्स हटा दिये जाएं राजस्थान में तो वित्तीय भार कितना आएगा? और उसमें केन्द्र कितना पैसा देगा और राजस्थान की सरकार को कितना पैसा देना पड़ेगा?

प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के दौरान ये पेंशनों के अलग-अलग प्रकरण आपके पास कितनी संख्या में प्राप्त हुए? उसमें से कितने लोगों को आपने पेंशन स्वीकृत की? कितने लोगों की पेंशन अभी पेंडिंग है? और कितने लोगों की पेंशन को आपने अस्वीकृत किया? अस्वीकृत किये जाने के कारण क्या रहे?

मैं विधान सभावार और चाहूंगा आपसे क्योंकि ये कैम्प लगाये गये थे पूरे असेम्बली सेगमेंट के हिसाब से, तो आप कृपा करके इस सदन को अवगत कराएं और और ज्यादा नहीं बता सकें तो कम से कम केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के बारे में आप बता दें कि कितने आवेदन विधान सभा क्षेत्र में इन कैम्पों के दौरान आपको प्राप्त हुए? उनमें कितनों का आपने निस्तारण किया? जिनका

(डा. रघु शर्मा)

निस्तारण नहीं हुआ, वह किन कारणों से नहीं हुआ? और जिनको आपने रिजेक्ट किया, वह किन कारणों से किया?

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कुल कितने विकलांग हैं? इन विकलांगों के सर्टिफिकेट बनाने की व्यवस्था अभी सरकार की क्या है? क्या इस काम्प्लीकेटेड व्यवस्था को सरल करने की आपके पास कोई कार्ययोजना है?

राज्य में कुल कितने विकलांग चिन्हित किये गये हैं? क्या सरकार इन विकलांगों को विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे ट्राइसाइकिल है या और तरीके के सपोर्ट सिस्टम हैं, वह देने या वितरण करने का आपका कोई कार्यक्रम है? अगर है तो अब तक आपने कितने विकलांग साथियों को लाभान्वित किया, कितने शेष हैं और भविष्य की क्या कार्ययोजना है? लास्ट, इनको रोजगार देने के लिए सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में सरकार की क्या योजना है? इनको दक्षता प्रदान करने के लिए आपके पास क्या कार्ययोजना है?

ये सामाजिक सरोकार से जुडे प्रश्न हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सदन में मंत्री बैठे हैं, एक-एक प्रश्न का जवाब उन्हीं से दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: उन्हीं से दिलवायेंगे।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक साथ इतने किये गये हैं इनका मैं क्रमवार उत्तर देना चाहूंगा। लास्ट प्रश्न आपका यह था...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पहले से ही शुरू करो ना आप, उसमें सिमिट्री आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष: पहले आप सुनो तो सही।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): मैं सारा दे देता हूं, एक-एक प्रश्न का जवाब आ जाएगा। प्रशासन गांवों के संग....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह पहला प्रश्न है ही नहीं।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): प्रशासन-गांवों-के-संग में कितने विकलांगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रशासन-गांवों-के-संग जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है, 6 लाख 9 हजार 417 ....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): विकलांग हैं, विकलांग बता रहे हैं या जनरल बता रहे हैं?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): जनरल आइडेंटिफिकेशन नि:शक्तजनों का।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नि:शक्तजनों का बता रहे हैं।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): हां, आपने नि:शक्तजनों का ही पूछा है। उनमें से हमने 2 लाख 93 हजार 905 के लिए कार्ड जारी कर दिये हैं, यह अबव 40 परसेंट है।

आपने पूछा कि नि:शक्तजनों के लिए सरकार क्या-क्या कार्य कर रही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट अनाउंसमेंट्स में यह घोषणा की है कि नि:शक्तजनों के लिए एक अलग से निदेशालय बनायेंगे, राजस्थान में पुनर्वास संस्थान खोला जाएगा जिसमें नि:शक्तजनों के लिए ट्रेनिंग के काम होंगे, इंटरप्रेटर उनके लिए वहां ट्रेनिंग दी जाएगी और आगामी तीन वर्षो में एन जी ओज के साथ सहयोग करके यह कोशिश होगी कि प्रत्येक नि:शक्तजन अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए वहां जितने भी साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं, कराये जायेंगे। सभी प्रकार के नि:शक्तों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, कोई पैर से यदि विकलांग है तो उसके लिए, कोई हाथ से है तो उसके लिए, जिनकी जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उनको आगामी तीन वर्षों में वे सारे उपकरण, साधन उपलब्ध, कराये जायेंगे।

मैं, अध्यक्ष महोदय, और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक और घोषणा की है कि राजस्थान में मानसिक विमन्दितों के लिए पुनर्वास केन्द्र खोले जायेंगे जिसमें जयपुर और जोधपुर में पहले से ही हैं और पांच सम्भाग स्तरों पर अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर में...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बजट में पढ़ लिया है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): ये केन्द्र खोले जायेंगे ताकि हमारे जो नि:शक्तजन हैं, उनको सहयोग हो सके और उनको लाभ मिल सके।

आपने तीसरा प्रश्न अपने केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के बारे में पूछा है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने यह प्रश्न किया है कि केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रशासन-गांवों-के-संग में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं,

(श्री रामकिशोर सैनी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में 5,077 कुल आवेदन फार्म प्रस्तुत हुए, जिनमें 2,013 हमने स्वीकृत कर दिये और 1,344 आवेदन पत्र खारिज, शेष 1,720 आवेदन पत्र हैं। मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि वृद्धावस्था के जो आवेदन फार्म थे, वे प्राप्त हुए हमें 4,434 जिनमें स्वीकृत हुए 1,416, खारिज हुए 1,298, शेष रहे 1,720। ये 1,720 वे फार्म हैं जिनको आनलाइन करना है इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना के फार्म में।

विधवा पेंशन के जो हमें आवेदन प्राप्त हुए, वे 371, स्वीकृत कर दिये 347, खारिज हुए 24। विकलांग के आवेदन पत्र जो प्राप्त हुए वह 272, स्वीकृत हुए 250, खारिज हुए 22। इस प्रकार आपके विधान सभा क्षेत्र की यह आपने जो जानकारी चाही है, वह मैंने आपको प्रस्तुत की है।

आपका एक प्रश्न विकलांगों के बारे में रहा है कि ...(व्यवधान)... विकलांगों को क्या-क्या सहायता दी जा रही है, वह मैंने आपको निवेदन किया कि विकलांगों को पेंशन दी जाती है, विश्वास योजना के तहत उनको सहयोग दिया जाता है, ट्राइसाइकिल दी जाती है, उनको उपकरण दिये जाते हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ...

श्री अध्यक्ष: आप जवाब तो आ जाने दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जवाब, मैंने सवाल पूछा ही नहीं है यह, जवाब क्या दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना और स्टेट पेंशन योजना में राजस्थान सरकार तीन सौ रुपये का सहयोग करती है और केन्द्र सरकार हमें दो सौ रुपये का सहयोग करती है। यह तीनों प्रकार की जो पेंशन है उनमें बराबर से सहयोग देते हैं।

आपने एक प्रश्न किया है कि स्टेट का कितना पैसा लगता है, एग्जेक्ट फिगर मैं अभी इस वक्त बता नहीं पाऊंगा कि राजस्थान सरकार कितना पैसा देती है और राष्ट्रीय पेंशन का कितना पैसा हमें प्राप्त होता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक मिनट, केकड़ी से ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आप बीच में कैसे खड़े हो गये? माननीय मुख्य मंत्रीजी तो हो सकते हैं। ये राज्य मंत्री हैं, ...(व्यवधान)... एक मिनट, मैं बता रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह चिट्ठी आपके पास भिजवा देता हूं जिसमें मुख्य मंत्रीजी ने मुझे पूरक सवालों का जवाब देने के लिए आथोराइज किया है। यह आथोराइज किया है, यह चिट्ठी आपके पास भिजवा दूं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): है मेरे पास चिट्ठी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): है आपके पास, तो फिर काहे को उठा रहे हो आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए पूछ रहा हूं, चिट्ठी है, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): फिर मैं पूरक सवाल का जवाब देने के लिए आथोराइज्ड हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप दे सकते हैं लेकिन बात तो सुन लो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अब क्या रह गया यह?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं अध्यक्ष जी को कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, नियमों में नियम यह है कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो उस विभाग का तो राज्य मंत्री के जवाब देने के बाद अगर राज्य मंत्री सक्षम नहीं हो या वह जवाब देने में असमर्थता पा रहा हो, तो जो मंत्री है कैबिनेट स्तर का, वह उसका जवाब देगा। मुख्य मंत्रीजी किसी मामले में नीति सम्बन्धी बात, क्योंकि प्रश्न काल में नहीं कहते परन्तु वे कहना चाहें तो कह सकते हैं। अधिकृत कर दिया तो अधिकृत भी कर सकते हैं लेकिन वह माननीय मंत्री जब सदन में उपस्थित नहीं हों, तब कर सकते हैं। माननीय मंत्री सदन में उपस्थित हैं, माननीय मंत्री सदन में जवाब दे रहे हैं, आप उसके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो इसलिये, अध्यक्ष महोदय, ये जवाब नहीं दे सकते। नहीं दे सकते।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुख्य मंत्रीजी ने मुझे आथराइज किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किया होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुख्य मंत्रीजी ने जो मुझे आथराइज किया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सदन में प्रश्न का उत्तर माननीय कारागार राज्य मंत्री द्वारा दिया जायेगा जबकि इससे सम्बन्धित

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

बिन्दुओं पर चर्चा/पूरक जानकारी सदन को माननीय शांती धारीवाल, गृह मंत्री द्वारा दी जायेगी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): चलो आप ही दे दो, कोई बात नहीं। उसमें क्या दिक्कत है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दे रहे हैं ना जवाब, यह दे रहे हैं जवाब।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, गृह मंत्रीजी। एक मिनट। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप विराजें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है कि राज्य का अंश कितना है इन सब योजनाओं पर वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग और पालनहार और दूसरा केन्द्र का अंश कितना है, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य, कि वृद्धावस्था में 16,918 लाख का, यह तो राज्य का अंश है और केन्द्र का अंश है..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपसे बढ़िया तो वे जवाब दे रहे थे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह तो राज्य का अंश है और केन्द्र का अंश है, 10,614, कुल मिला करके 27,532.95 योग है। इसी तरीके से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लाख है, करोड़ है ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): लाख है। मैं पहले बता चुका हूं लाख। विधवा के मामले में 11,795.14 लाख राज्य का अंश है और केन्द्रीय अंश है 1,211.58 लाख और कुल मिला करके 13,006.72 योग है। ठीक इसी तरीके से विकलांग के मामले में राज्य का अंश है 4,693.39, केन्द्र का अंश है 229.94 और कुल मिला करके 4923.33 लाख योग है। इसी तरीके से पालनहार योजना में राज्य का अंश, केन्द्र का अंश, कुल मिलाकर योग 1,575.78 है। जैसा आपने बताया, केकड़ी के बाबत आपको डिटेल बता दी गयी है।

दूसरी बात यह थी कि प्रशासन-शहर-की-ओर में...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): गांव-की-ओर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, प्रशासन-गांव-की-ओर में...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, एक महीना लिया है, स्थगित भी हुआ है प्रश्न। एक-एक महीने तक सवाल का जवाब नहीं हो तो फिर अब क्या कहें, बताओ आप मेरे को?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): जवाब है क्यों नहीं? जवाब है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक महीना लिया। मेरा स्थगित भी हुआ है प्रश्न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वृद्धावस्था के कुल मिलाकर राजस्थान में जो आवेदन प्राप्त हुये थे, वे 1,97,514 थे...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कहां के बता रहे हो? यह किस जगह के बता रहे हो? केकड़ी के? केकड़ी के 1 लाख 97 हजार! मेरे मतदाता कितने हैं, माननीय, यह तो बताओ आप मेरे को? केकड़ी में 1 लाख 97 हजार...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने राजस्थान के पूछे। केकड़ी के पूछे...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप केकड़ी के बता रहे हो ना?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने पूरे राजस्थान का बताया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, मंत्री महोदय, आप उधर मत उलझिये। इधर...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने पूरे राजस्थान का बताया है। मैं राजस्थान के बता रहा हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, 5,077 बताये थे राज्य मंत्री महोदय ने, 1,720 इसमें शेष बताये थे। अब किसकी बात सही मानें हम? राज्य मंत्री कुछ कहें और ये कुछ कहें। तुर्रम खां बनते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): न इनकी तैयारी है, न उनकी तैयारी है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप बहुत तैयार हो। आप बड़े तैयार होकर आये हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है,

(डा. रघु शर्मा)

आंकड़ों में उलझने की जरूरत नहीं है। मैंने साफ पूछा है मंत्रीजी से कि कुल कितना वित्तीय भार राज्य वहन कर रहा है सारे तरीके का। विधवा का हो, पालनहार हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, तमाम जो सोशल सिक्योरिटी के हैं, उनमें टोटल पैसा राजस्थान सरकार कितना दे रही है और हमको केन्द्र से कितना खर्चा मिल रहा है? दूसरी बात यह कि अगर राइडर हटा दिया जाए तो दोनों का हिस्सा कितना, टोटल अमाउंट बताइये आप। आप सवाल को...

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): सवाल को घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, न सवाल को घुमाया जायेगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जिस-जिस चीज का उलटा बोल रहे हैं। सदन के सामने जरा बताएं, अजमेर जिले का मामला है, हमारे अजमेर जिले का मामला है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, जैसा स्पष्ट प्रश्न किया है वैसा स्पष्ट ही जवाब देने की कोशिश की जायेगी। आपने राज्यांश और केन्द्रांश के बारे में प्रश्न किया है तो माननीय मंत्री महोदय ने अभी आपको जवाब दे दिया है, यदि आप चाहें तो मैं इसको दुबारा रिपीट कर सकता हूं। पेंशन के बारे में...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं दिया है, आप दो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कभी ये खड़े होते हैं, कभी वे खड़े होते हैं।

श्री अध्यक्ष: कभी ये खड़े होते हैं, कभी आप खड़े हैं, मैं क्या करूं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये मंत्री तैयारी करके नहीं आये तो वे खड़े हो गये; अब इनकी तैयारी नहीं है तो वे खड़े हो गये। आखिर कोई तो...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जवाब तो आने दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह स्थगित प्रश्न है, इसीलिये पूरी तैयारी करके आये हैं। ऐसी बात नहीं है कि तैयारी नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दोनों की नहीं है पूरी तैयारी।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): दोनों की तैयारी है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक महीने बाद भी न इनकी तैयारी है, न उनकी तैयारी है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): जवाब तो सुन लें आप, जवाब तो सुन लें एक बार। वृद्धावस्था पेंशन में हमारा राज्यांश है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं कुल मांग रहा हूं...

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): कुल बताया है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): पूरे राजस्थान में जितने भी तरीके की सोशल सिक्योरिटी दी है उसमें टोटल अमाउंट कितना राजस्थान वहन कर रहा है, कितना केन्द्र कर रहा है? और राइडर हटा दो तो कितना-कितना अंशदान राज्य सरकार और केन्द्र का है? वह अमाउंट पूछ रहा हूं सीधा-सीधा आपसे।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): यह बता दिया है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अलग-अलग क्यों बता रहे हैं आप?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): यह तीनों का जोड़ कर लें आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं क्यों कर लूं ? आप करके बताओ ना।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): मैं बता देता हूं आपको। हां, मैं बता देता हूं। 16,998.11 लाख यह हमारा वृद्धावस्था पेंशन में है...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं कितनी बार रिपीट करूं? मैं कह रहा हूं, टोटल अंशदान। पूरी सोशल सिक्योरिटीज पर राजस्थान सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है और उसमें केन्द्र कितनी मदद दे रहा है? राइडर्स...

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): आप विराजें, मैं बता रहा हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): राइडर्स हटा दें तो यह अमाउंट कितना बनेगा राज्य का, केन्द्र का? सीधा-सीधा आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उसको घुमा रहे हैं।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): आप विराजें। 32 हजार...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पूरी अयोग्य है। अध्यक्ष महोदय, एक साथ ही खड़ा करके दें इनको। विधान सभा मजाक बना रखी है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आप बीच में क्यों खड़े हो रहे हो? ...(व्यवधान) जवाब तो आने नहीं देते। बहुत सीरियस मामला है, आने दो ना जवाब। जवाब तो आने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, पहले तय कर दो कि जवाब कौन देगा। आपसे प्रार्थना है, पहले तय कर दो कि जवाब कौन देगा। या तो वे दें...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, जवाब कोई भी दे, मामला सीरियस है। आप जवाब तो आने दो। बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से रिक्वेस्ट करूंगा, वाकई प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको उसी तरह से लिया जाए। आपने पूछा, राज्यांश कितना है हमारा, तो 32,506 लाख राज्यांश है टोटल, तीनों प्रकार की पेंशंस पर, इसी प्रकार केन्द्र अंश 13,054 लाख है।

अब आपने इसके साथ एक प्रश्न किया है कि यदि राइडर हटा दिया जाए तो हमारा कितना खर्चा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राइडर हटाने के बाद कितने लोग पेंशन के हकदार होंगे, इसकी काउंटिंग की जायेगी। उसके बाद कितना हमें उनका खर्चा वहन करना पड़ेगा, वह बाद की बात है। आज कितना आप डाइल्यूट कर सकते हैं, कितना आप इसको काउंट कर सकते हैं, इसका आज कोई फिगर नहीं है हमारे पास में कि कितने वृद्ध होंगे, कितनी विधवा होंगी, कितने विकलांग होंगे, या 25 साल का पुत्र होगा, ऐसे कितनों के हमें राइडर हटाने पड़ेंगे, उसमें कितनी संख्या बढ़ जायेगी और टोटल संख्या कितनी आयेगी, वह आज काउंट करना बड़ा असम्भव है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में जो मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, वह इन्होंने बोल दिया, अच्छी बात है, बहुत स्वागत करते हैं इसका लेकिन मुझे आप, मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि इसके

(डा. रघु शर्मा)

लिये बजटरी प्रोविजन क्या किया है? कितने रुपये आपने तय किये हैं इसके अन्दर? आप बता दीजिये कि जो आप विकलांगों को फैसिलिटीज देना चाह रहे हैं, जिसके लिये आयोग बना है, निदेशालय आपका काम कर रहा है, इसके लिये बजटरी प्रोविजन इस बजट में कितना है? वह बता दो आप।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): राइडर हटाने की मंशा है क्या? वह भी आप बता दें।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी चीज है जिसमें यह टोटल नम्बर आपके पास जब नहीं होगा तब तक यह बजट में कितना प्रोविजन रखेंगे वह आज तो काउंट... फिर क्या हो सकता है, बजट...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह जो किये जिनको..

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं ना।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): बजट में प्रोविजन तभी रखा जायेगा जब कोई फिगर आ जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं वह, जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से एक पूरक प्रश्न है। मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि जो राइडर की बात की गयी, वृद्धा पेंशन यह देते हैं, विधवा पेंशन यह देते हैं, विधवा पेंशन में इनका एक राइडर रहता है कि 25 साल से अगर बड़ा बेटा है तो उस विधवा को पेंशन नहीं दी जायेगी। मैं यह कहती हूं कि जब आप नाम देते हो विधवा पेंशन, तो विधवा पेंशन का मतलब जितनी भी विधवाएं हैं, उनको पेंशन के रूप में जो भी सहयोग राशि है वह राशि मिलनी चाहिए। उसमें यह बात कहना कि अगर उसका बेटा है तब तो उस विधवा को पेंशन नहीं मिलेगी, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न यह है कि सरकार क्या इस राइडर को हटाने की सोच रखती है? पहली बात।

एक मिनट, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बहुत टेक्निकल बात है कि अंत्योदय परिवार बी पी एल परिवार से भी नीचे की श्रेणी में आते

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हैं। विकलांग पेंशन जो यह देते हैं, उस विकलांग पेंशन में अंत्योदय परिवार का अगर कोई विकलांग है तो उसको पेंशन नहीं दी जाती है क्योंकि अंत्योदय परिवार बी पी एल की सूची में एडेड नहीं है। यह एक टेक्निकल मिस्टेक है। अंत्योदय बी पी एल से भी नीचे है बी पी एल को सुविधा मिल रही है मगर अंत्योदय को सुविधा नहीं मिल रही है। जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है उसको नहीं मिल रही है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अंत्योदय परिवार के विकलांग को भी पेंशन देने की सरकार की योजना है क्या?

श्री अध्यक्ष: सुन लिया।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मेरे को आप प्रश्न करने की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आपके तो प्रश्न हो गये ना।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं, इन्होंने यह कहा कि बजटरी प्रोविजन इसलिए नहीं किया कि काउंटिंग नहीं हुई। काउंटिंग की बात आपने तब कही है जब राडडर्स हटाने की बात हो। आज तो आपके पास काउंटेड फिगर हैं, काउंटेड फिगर होने के बाद अगर आप बजटरी प्रोविजन नहीं बता पा रहे हैं...

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): बता रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप बताइये कितना बजट है? दूसरी बात...

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक क्वेश्चन और है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने पूछा था कि विकलांगों को सर्टिफिकेट जारी करने के लिए वर्तमान नियम क्या हैं? और उनको रिलेक्स करने के बारे में आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? कितनी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं विकलांग भाई-बहन हमारे। जिनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, पेंशन उनकी बकाया है, जिन लोगों के चिह्नित हो गये केसेज, उनकी आज तक तीन महीने हो गये, पेंशन चालू नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: विराजो, जवाब दिलायेंगे। हां, राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रशासन-गांवों-के-संग गया, आपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नि:शक्तजन छांटे हैं 6,94,117, आपने पेंशन स्वीकृत की 2,93,905, इन शेष को आप क्या सहयोग और सहायता देंगे? 40 प्रतिशत से कम नि:शक्तजन को क्या सहायता देंगे? नम्बर एक। नम्बर दो, बजट बनाने से पहले हर विभाग का बजटरी प्रोविजन होता है और उसी के अनुसार एस्टिमेट बनते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपके विभाग के जो एस्टिमेट्स बनें, वे क्या थे? नम्बर तीन, जब आप परित्यक्ता को पेंशन देते हैं ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनको यह तो बताओ कि उधर मुंह करें। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुस्लिम लॉ के अनुसार काजी का प्रमाण-पत्र लेकर...

श्री अध्यक्ष: इधर देखकर, इधर देखकर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उधर देखिये, उधर देखकर के बात करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, परित्यक्ता को पेंशन मिलती है तो मुस्लिम लॉ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा प्रश्न यह है कि मुस्लिम लॉ के अनुसार ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इनका प्रश्न कुछ भी नहीं है, इनका डिस्टर्ब करने का काम है। एक प्रश्न पर आधे घंटे तो चला दिया, और क्या होगा? एक ही बात को पूछते-पूछते ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इधर मुंह करके, इधर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): काजी का प्रमाण-पत्र लेकर एवं दो हस्ताक्षर करने पर जब मुस्लिम परित्यक्ता को पेंशन मिल जाती है तो मैरिज एक्ट के तहत न्यायालय से डाइवोर्स पीटिशन के तहत कोर्ट से लेने की क्या आवश्यकता पड़ गयी?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इधर, इधर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह कोई प्रश्न है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या इसको हटाने की सरकार मंशा रखती है? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है क्या? जिसका कोई सार नहीं निकलता, वह प्रश्न है क्या? बार-बार एक ही बात को बीस बार घुमा दिया।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह कोई प्रश्न है क्या?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा, मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये।(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं मंत्रीजी का नाम पुकार चुका हूं, मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न में 23 मिनट निकल गये हैं। आप मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये मेहरबानी करके।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। कोई अंकित नहीं होगा। मंत्रीजी का जवाब आने दीजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर सदस्य हैं, आप जानते हैं कि अंकित नहीं हो रहा है तो जवाब कहां से दिला दूंगा? केवल मंत्रीजी जवाब देंगे, और कोई नहीं बोलेगा।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दी जाती है तो मुस्लिम महिलाओं के लिए राइडर नहीं है, उनको केवल तलाक के आधार पर पेंशन दी जाती है तो हिन्दू महिलाओं को बगैर किसी कोर्ट डिक्री के पेंशन दे दी जाये। यह आपका प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लॉ की ऐसी मंशा है, हिन्दू लॉ में यह प्रोविजन है कि लीगली डाइवोर्स्ड वाइफ जो होगी उसको हम पेंशन देंगे या लीगली सेपरेटेड जो वूमन है, अपने पति से अलग रहती है और कोर्ट से उसके पास कोई डिक्री है या आर्डर है तो उसको हम पेंशन देते हैं। इसी प्रकार पांच वर्ष तक जिस किसी महिला का अदालत में मुकदमा पेंडिंग है, चाहे वह डाइवोर्स का मुकदमा हो, चाहे वह रेस्टिट्युशन आफ कंजुगल राइट्स का मुकदमा हो, यदि पांच साल तक कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको पेंशन देय है। आपका यह प्रश्न था।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैंने जो पूछा, उसका भी जवाब दे दो ना अब।

श्री अध्यक्ष: दे रहे हैं, दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं, बैठ थोड़े ही गये।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): मैं सभी का दे देता हूं। एक आपका प्रश्न था कि विधवा महिला होती है, उसका चाहे 25 साल का पुत्र हो जाये, उसका राइडर हटा दें तो उसको पेंशन मिलती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा है कि निराश्रितों को, विधवाओं को, विकलांगों को और वृद्धजनों को पेंशन मिले। जब तक उस विधवा का कमाऊ पुत्र नहीं है, तब तक सरकार उसको पेंशन देती है। पहले यह प्रोविजन 20 साल का था, उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 20 से बढ़ाकर 25 साल किया, 5 साल उसको और बढ़ाया। यदि उसका पुत्र 25 साल तक भी कमा नहीं पा रहा और अपनी मां की सेवा नहीं कर पा रहा ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): यह 25 साल तक जो बढ़ाया है, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बढ़ाया है। 25 साल तक बच्चे को यदि आप संस्कारित नहीं कर रहे हैं और वह आपको खर्चा

(श्री रामकिशोर सैनी)

नहीं दे रहा है, यह ठीक है कि यह आप सब का दर्द है और सब विधवाओं का भी दर्द है कि पेंशन मिलनी चाहिये ...(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिये। ...(व्यवधान)... प्लीज, जवाब आने दीजिये। ...(व्यवधान)...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था...

श्री अध्यक्ष: बस उसका जवाब देकर के छुट्टी करो।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): उस बजट में कितना प्रोविजन रखा है, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 70,378.28 लाख रुपये बजट में इस बार प्रोविजन रखा है और यह सारा विकलांगों, वृद्धावस्था और विधवाओं के लिये बजट प्रोविजन रखा है। इसके अनुसार सारे काम किये जायेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा। अगला प्रश्न, श्री ज्ञानदेव आहूजा।... (व्यवधान)...

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की निगम बस सेवा रहित ग्राम पंचायतें

173. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की कितनी ग्राम पंचायतें राज्य पथ परिवहन निगम सेवा से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में रोडवेज की सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराज जायें, मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। ...(व्यवधान)

यातायात मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अन्तर्गत आने वाली रामगढ़ तथा लक्ष्मणगढ़ पंचायत समितियों में स्थित 28 ग्राम पंचायतें राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवा से वंचित हैं। तत्संबंधी सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस वित्तीय वर्ष के बजट अभिभाषण को मध्य नजर रखते हुए तथा पूर्व में जारी निविदा की शर्तों को अधिक व्यवहारिक बनाकर उक्त ग्राम पंचायतों को निगम/निजी बस सेवा से जोड़ने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सीधा-सा सवाल किया। आश्चर्य है कि 63 साल से अभी तक किसी विधान सभा क्षेत्र की, राजस्थान में और भी विधान सभा क्षेत्र होंगे ऐसे जिनमें दो-तिहाई पंचायतें अभी तक निगम की बस सेवा से नहीं जुड़ी हैं। अभी भी जो खण्ड क्रमांक 2 पर माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, वह भी भ्रमित करने वाला है। यह दिया है कि प्रक्रियाधीन है, अब आपकी प्रक्रिया कब पूरी होगी, अध्यक्ष महोदय, मैं यह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। आप पिछले दो बजट में लगातार आश्वासन देते रहे हैं, हालांकि आश्वासन समिति आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती लेकिन आश्वासन देते रहे हैं कि सभी पंचायतों को निगम की बस सेवा से जोड़ेंगे। अभी भी जो आपने उत्तर दिया है, उसमें निगम की बस सेवा/प्राइवेट बस, उसमें आपकी निविदा निकलेंगी, प्रक्रिया के अन्तर्गत करेंगे। लेकिन अब मेरा स्पेसिफिक और सीधा सा सवाल है, बहुत आसान सा कि इसकी समय अवधि और तारीख बताएं कि आप इसे कब तक करेंगे। प्राइवेट वाले जिस ढंग से बसों में सवारियां ठूंसते हैं सामान सहित, भेड़-बकरियों की तरह,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इसलिए हमें प्राइवेट बस नहीं, आपके निगम की सेवाएं चाहिए, वह आप समय और तारीख स्पेसिफिक बताए, यह मेरा निवेदन है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है उसके आधार पर 3 आदमियों की, अध्यक्ष*, आर एस आर टी सी की अध्यक्षता में, एम डी रोडवेज और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, हमने एक कमेटी गठित कर दी है, वह कमेटी अपनी रिपोर्ट 15.4.2011 को दे देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर यह बसों से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): निगम की बसें, मैंने कहा है। आपकी कमेटी तो बैठी है लेकिन प्राइवेट बसें नहीं चाहिए। आप घोषणा करें कि निगम की बसों को ही आप चालू करेंगे। प्राइवेट बसें नहीं चाहिए, जैसा आपने लिखा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रामगढ़ का ही किया है या राजस्थान का किया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हम भी पूछ लेंगे, हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रामगढ़ का ही करेंगे? हमारे भुवाणा पडा, सूरजगढ़ पड़ा ...(व्यवधान) ये कह देते हैं, करेंगे, करेंगे, कमेटी बना दी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न में मैंने कहा है, प्राइवेट बसें नहीं, निगम की बसें प्रारम्भ करें। इसके लिए कृपा करके आप बताएं कि कब करेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, माननीय सदस्य, आपके प्रश्न का जवाब देंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जवाब में कह चुका हूं कि अध्यक्ष*, आर एस आर टी सी की अध्यक्षता में तीन आदमियों की कमेटी बना दी है जिसमें एम डी, रोडवेज और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट हैं। वह कमेटी अपनी रिपोर्ट 15.4.2011 को दे देगी और उसकी सिफारिशों के मुताबिक रामगढ़ को अलवर जिले से जोड़ दिया जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): निगम की बसें मैंने कहा है। सीधा-सीधा सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सीधा उत्तर नहीं दे रहे हैं कि निगम की बसें प्रारम्भ करेंगे या प्राइवेट करेंगे। आपकी कमेटी क्या कहेगी? मेरा यह निवेदन है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): यह तो कमेटी की रिपोर्ट आने पर निर्भर होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कमेटी अगर प्राइवेट का कह देगी तो?

श्री अध्यक्ष: कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद करेंगे, यह कह चुके हैं। श्री बाबूसिंह राठौड़।

चामूं ग्राम (जोधपुर) में सहकारी बैंक की स्थापना

174. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में नवीन सहकारी बैंक स्वीकृत करने के मानदण्ड क्या हैं? मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितने सहकारी बैंक कार्यरत हैं एवं इनमें कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तहसील शेरगढ़ के ग्राम चामूं में सहकारी बैंक अथवा बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) नवीन केन्द्रीय सहकारी बैंक के गठन के लिए मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अरबन को-आपरेटिव बैंकों की स्वीकृति के निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) राज्य में शीर्ष स्तर पर एक राज्य सहकारी बैंक तथा जिला स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इनमें कर्मचारियों के 3,563 पद स्वीकृत हैं तथा 1,107 पद रिक्त हैं। राज्य में 36 अरबन को-आपरेटिव बैंक कार्यरत हैं जिनमें कर्मचारियों के 1,282 पद स्वीकृत हैं तथा 167 पद रिक्त हैं। सूचियां परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न हैं।

(श्री परसादीलाल)

(3) जी नहीं। तहसील शेरगढ़ में पूर्व से ही केन्द्रीय सहकारी बैंक की तीन शाखाएं- शेरगढ़, बालेसर एवं देचू में हैं। ग्राम चामूं बैंक की नजदीकी शाखा देचू के क्षेत्राधिकार में है।

(4) जी हां। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। अरबन को-आपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती उनके सेवा नियमों के अन्तर्गत स्वयं बैंकों द्वारा की जाती है।

(प्रतियां व सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक में कर्मचारियों के 3,563 पदों में से 1,167 पद रिक्त हैं और अरबन को-आपरेटिव बैंक में 1,282 में से 167 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को कब तक भर देंगे या भर दिए जाएंगे।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मैंने चामूं के लिए जो मांग की है, चामूं के इर्दगिर्द पेरिफेरी में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां आती हैं, कितनी ग्राम पंचायतें आती हैं, देचू से वह कितनी दूरी पर है, देचू कौन से विधान सभा क्षेत्र में है, यह बताएं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि रिक्त पद कब तक भर देंगे। हमारे को-आपरेटिव बैंकों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए हमने परीक्षा करवा दी है, उसका जल्दी ही नतीजा आ जाएगा और बाकी जो पद हैं, उनको हम प्रमोशन से और संविदा के आधार पर लगाने का प्रोविजन है, वह हम जल्दी ही अगले साल में सारे रिक्त पद भर देंगे।

दूसरा आपने कहा चामूं में बैंक की शाखा के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ अकेली पंचायत समिति में पहले से ही तीन हमारे बैंकों की शाखाएं हैं, जबकि वहां हमारी जो वायेबिलिटी है, ब्रांच खोलने के जो मानदण्ड होते हैं, 20 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 1 ब्रांच होनी चाहिए, तब वह वायबल होगी। तो आपके यहां जो खोली हुई है, वह बालेसर में 8 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, शेरगढ़ में 13 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और देचू में 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। अगर आप चामूं में भी खुलवाना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि कौनसी ब्रांच वहां टूटेगी?

(श्री परसादीलाल)

आपकी जो आशंकाएं हैं कि ग्रामीणों को क्रोप लोन के लिए बैंकों की शाखाओं में दूर जाना पड़ता है, हमने इस साल से नए निर्देश जारी किए हैं कि हमारी जो सारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनको इस साल सबको मिनी बैंक का दर्जा दे देंगे। ब्रांचों में किसानों को नहीं जाना पड़ेगा, उसी ग्राम सेवा सहकारी समिति में उनको फसली ऋण उपलब्ध हो जाएगा। यह ब्रांच खोलने के लिए न तो कोई पत्र मिला है, न कोई मांग आई है। इस सवाल के मार्फत ही यह आया है। इसलिए वायेबिलिटी को देखते हुए आपके चामूं शाखा खोलने का अभी विचार नहीं बनता है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सफिशिएंट जवाब है। (व्यवधान) मूल प्रश्नकर्ता।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बजट में आपने घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलेंगे। कब खोलेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न बैंक से सम्बन्धित है क्या?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इसीलिए कह रहा हूं, इसीलिए मांग कर रहा हूं, यह भी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: यह इसी प्रश्न से सम्बन्धित है क्या?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इसी से सम्बन्धित है। आपने बजट में घोषणा की थी कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियां पंचायत समिति मुख्यालयों पर खोलेंगे, वह कब खोलेंगे? शेरगढ़ में नहीं है। इसमें 10 पंचायत समितियां चामूं की पेरिफेरी में है और 40 किलोमीटर दूर हैं; देचू लोहावट विधान सभा क्षेत्र में है, शेरगढ़ में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सहकारी समिति ग्राम पंचायत वाइज का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई सम्बन्ध नहीं है, यह बैंक से सम्बन्धित प्रश्न था। ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 21 पंचायतें हैं तो यह हमारी वायबल होती है, यह फीजिबल होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोलने की घोषणा...

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप प्रश्न इस तक सीमित रखें, मेहरबानी करके।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हां, वही कर रहे हैं। इन्होंने शेरगढ़ में

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

तीन शाखाएं बताई हैं, वह शेरगढ़ में एक और लोहावट और देचू और बालेसर की समितियां अलग हैं। बालेसर में है, केवल चामूं में नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि दूरी बहुत ज्यादा है, 40 किलोमीटर दूर है, 10 ग्राम सेवा सहकारी समितियां आती हैं, 16 पटवार मण्डल हैं, 21 ग्राम पंचायतें हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि चामूं में भी आप केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर। यह प्रश्न केवल मात्र एक चामूं से सम्बन्धित था, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया फिर भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इसका परीक्षण करवा लें, अगर फीजिबल हो तो आप देख लें।

अगला प्रश्न, श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

जोधपुर एवं उदयपुर संभाग में नियम विरुद्ध जारी क्वारी लाइसेंस के प्रकरण

175. **श्री विट्ठल शंकर अवस्थी** (भीलवाड़ा) एवं **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियंता, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, सोजत एवं मकराना तथा सहायक अभियन्ता, निम्बाहेड़ा ने राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली, 1986 के नियम 22/1 की अवहेलना करते हुए बिना डेलिनीएशन किए एवं बिना नोटिफिकेशन जारी किए समय-समय पर विभिन्न खनिजों के क्वारी लाइसेंस जारी किए हैं? यदि हां, तो क्यों? वर्ष 2003 से 2010 तक जारी किए गए क्वारी लाइसेंस का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बिना डेलिनीएशन किए एवं बिना नोटिफिकेशन जारी किए जारी लाइसेंसों के कारण सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई है?

(3) क्या यह भी सही है कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री रामलाल): (1) खनिज अभियंता, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, सोजत एवं मकराना तथा सहायक खनिज अभियंता, निम्बाहेड़ा के क्षेत्राधिकार में जारी क्वारी लाइसेंस की सूची परिशिष्ट-1 पर है। इस सम्बन्ध में उप सचिव, खान द्वारा की गई जांच के अनुसार उक्त लाइसेंसों को गलत माना गया परन्तु अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय के अनुसार उक्त लाइसेंस नियमानुसार हैं।

(2) प्रकरण में अभी राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना शेष है।

(3) प्रकरण में अभी राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना शेष है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक में जो जवाब दिया सरकार ने कि उप सचिव खान द्वारा जो जांच की गई, उसके अनुसार लाइसेंस गलत थे और अतिरिक्त महाधिवक्ता की राय के अनुसार उक्त लाइसेंस नियमानुसार हैं, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने क्या माना है? जब 1977 से यह प्रकरण लम्बित चल रहे हैं तो सरकार का स्पष्ट निर्णय बताया जाए कि यह सही है या गलत है।

दूसरा, जो मैंने यह पूछा था कि इससे सरकार को करोड़ों रुपये की हानि हुई है, इसमें अब भी मेरे को स्पष्ट जवाब नहीं मिला है और सरकार ने जवाब दिया है कि प्रकरण में अभी राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना शेष है, मैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि इसका भी स्पष्ट जवाब दें कि हानि हुई है या नहीं हुई है।

तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि आपने जो सूची दी है भीलवाड़ा जिले की, उसमें शीतला का चौड़ा और भीकरिया के जो क्वारी लाइसेंस हैं उसमें भीकरिया क्षेत्र में 107 क्वारी लाइसेंस आपने दे रखे हैं। उस क्षेत्र में अभी तक भी राजस्व रिकार्ड में वह क्षेत्र चरागाह दर्ज है। तो इतने वर्षों से खनन विभाग ने और राजस्व विभाग ने आपस में मिल-बैठकर क्षेत्र को माइनिंग में दर्ज नहीं किया। इस कारण से वहां जो मोगर क्षेत्र था, उस क्षेत्र के सैकड़ों लाइसेंसधारक बेचारे परेशान हो गये और वह राजस्व रिकार्ड में माइनिंग दर्ज नहीं होने के कारण फोरेस्ट में चली गई और आज तक वे दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भीकरिया क्षेत्र को माइनिंग में कब तक दर्ज करा लिया जाएगा?

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न 2007 में विधान सभा में जब लगा था, तत्कालीन खान मंत्रीजी ने आश्वासन दिया, उस समय इसकी जांच की गई। उसी समय जांच के बाद कुछ और जिले हैं और कुछ जो प्रश्न में थे जिले, सब में, एक साथ पूरे राजस्थान की इसमें जांच हुई, जिसमें कुछ नियमों की अवहेलना हुई। इस चीज को तत्कालीन खान उप सचिव थे जिन्होंने माना लेकिन जब तत्कालीन खान सचिव ने कानूनी राय जानने के लिए यह भेजा तो इसके अन्दर नियम 22(1) में यह स्पष्ट अंकित है कि बिना डेलिनीएशन एवं नोटिफिकेशन के क्वारी नहीं दी जा सकती, इस चीज को मानते हुए उन्होंने इसको गलत माना लेकिन इसी 22(1) के परंतुक में स्पष्ट किया कि नोटिफिकेशन केवल एरिया हेतु नहीं बल्कि खनिज के लिए भी जरूरी है, यदि पूर्व में ही खनिज नोटिफाइड है तो पुनः नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो दोनों विरोधाभासी होने की वजह से उसमें यह मामला लम्बित चल रहा है। फिर भी माननीय सदस्य को चिंता है तो महीने, दो महीने में हम इसको डिसाइड कर देंगे। बाकी जहां तक हानि, डिसाइड होने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि हानि हुई या नहीं हुई। अभी इसी में, इस प्रश्न के बाद छोटी खाटू का एक इश्यू इसी परंतुक को लेकर एम सी सी आर, 1986 को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है इसलिए यह मामला लम्बित है। 2003 से 2010 तक की सारी क्वारीज के लिए मांगा था तो हमने वह डिटेल भी इनको दी है।

जहां तक भीलवाड़ा, बदनौर का सवाल है, इन्होंने बताया भीकरिया के 160 खनिज पट्टे उसमें हैं लेकिन वास्तविक प्रतिवेदन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर के समक्ष जब यह चीज आई तो उस समय के तत्कालीन एस डी एम, तहसीलदार, सहायक उप वन संरक्षक, इन सब की एक कमेटी बनाई गई।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): एक मिनट, मंत्री महोदय। वह मोगर क्षेत्र का था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर दूंगा पूछने का, जवाब आ जाने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): भीकरिया का निवेदन कर रहा हूं, साहब, वह मोगर का बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको फिर अवसर दूंगा।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह मेवाड़ के बदनौर क्षेत्र की जो बात थी, उस समय दर्ज के पहले उनको पट्टी-कातले के लिए वहां के लोकल लोगों को एक खान के पट्टे दिये हुए थे लेकिन 1977 में जब पहले की रियासत के पट्टों का जब खनिज नीति में समावेश किया, इस चीज को लेकर वहां लोग खनिज कर रहे थे, तो 1983 को जब यह चीज सामने आई और वन क्षेत्र में जब वहां के गांव के लोगों ने आब्जेक्शन किया, उसमें तत्कालीन कलक्टर ने 2006 में एक कमेटी नियुक्त की। उस कमेटी में तहसीलदार, वहां का एस डी एम, वहां का पटवारी और जो शीतला का चौड़ा, भीकरिया, मोगर, इन सभी गांवों का जब सीमांकन हुआ तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमांकन में शीतला का चौड़ा, बदनौर एरिया राजस्व में पाया गया और जहां माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह एरिया वन विभाग में पाया गया, इस वजह से वहां खानें निरस्त कीं। फिर भी आपकी समस्या जायज है, मैं इसको दुबारा आप कहें तो यह आश्वासन दे सकता हूं, दुबारा कमेटी गठित करके उसका सीमांकन किया जा सकता है। यह तरीका है, साहब।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मैं निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय, कि वह जो आप बात बता रहे हैं, वह शीतला का चौड़ा और मोगर क्षेत्र का जो विवाद था, उसकी बात आपने बताई, मैं भीकरिया क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इसमें कोई बात विवाद में नहीं है और वह अभी भी राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज है, वर्षों से वहां क्वारी लाइसेंस जारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि भीकरिया को माइनिंग दर्ज करा दिया जाए, नहीं तो जो समस्या मोगर क्षेत्र में आई है, वही समस्या भीकरिया में वापस जारी हो जाएगी।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चीज को दिखवा कर कानूनी हिसाब से कलक्टर, फोरेस्ट विभाग, माइनिंग विभाग, एक कमेटी गठित, जैसा सदस्य चाह रहे हैं, उसके अनुसार देखते हुए कानूनी कार्यवाही के अनुसार कर दिया जाएगा। ...(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): खाटू का जो इन्होंने कहा है, जो बाकी खानें थीं रजवाड़ों के टाइम की, उनकी भी दो साल से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खाटू की वजह से शायद हाई कोर्ट में चला गया मामला।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): लेकिन उन खानों का भी, दूसरे लोग खाटू वाले गये कोर्ट में लेकिन जो दो साल से इन्होंने बंद कर रखी हैं....(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपका मामला भी दिखवा लूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आपका मामला दिखवाकर हल निकाल लेंगे। (व्यवधान) हाई कोर्ट में गया जो पूरे एम सी आर, धारा 22 पर उसने आब्जेक्शन किया, उसके तहत गया। आपका मामला अलग से दिखवा कर निश्चित रूप से इसको मैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आखिरी सवाल है आपका। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अपन चैम्बर में बैठकर बात करेंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, सोजत के अभियंता ने सालरिया पंचायत में क्वारी लाइसेंस बिना पंचायत की एन ओ सी लिये, पंचायत के मना करते हुए, बिना उसकी एन ओ सी दिये हुए भी उसने 7 लाइसेंस तो जारी कर दिये और 5 और लाइसेंस वहां सालरिया पंचायत में और जारी करने की चेष्टा कर रहे हैं। पंचायत एन ओ सी नहीं दे रही है, उसके बाद भी सोजत माइनिंग इंजीनियर ने क्वारी लाइसेंस दिये हैं। तो आप खारिज करेंगे कि नहीं? माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, माइनिंग से संबंधित मामला है वन विभाग का...

श्री अध्यक्ष: क्या बिना पंचायत की अप्रूवल के निर्देश दे दिये गये, इतना ही बता दो। (व्यवधान) मंत्रीजी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय विराजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) केवल इतना बता दीजिए कि पंचायत की बिना एन ओ सी के आप माइनिंग अलाटमेंट करते हैं क्या? यह पूछ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): इसमें अलग-अलग जमीन का होता है; साहब, चारागाह की अलग है, बिला नाम अलग है, खातेदारी अलग है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): मैं दिखवाकर करवा लूंगा कार्यवाही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) श्री घनश्याम तिवाड़ी। (व्यवधान) माननीय, विराजें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। आपके दल के उप नेता खड़े हो गये हैं, आप थोड़ा लिहाज करिए, बैठ जाइए।

एच.एस.बी. एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रींगस (सीकर) के विरुद्ध आबकारी शुल्क चोरी की जांच पर कार्यवाही

176. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) एवं **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आबकारी शुल्क की चोरी की शिकायत के आधार पर फर्म एच.एस.बी. एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रींगस, जिला सीकर की जांच की गई है? यदि हां, तो कब व किन बिन्दुओं पर क्या जांच की गई? उक्त जांच किसके द्वारा की गई और जांच के क्या परिणाम रहे? जांच परिणाम के आधार पर फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण जांच प्रतिवेदन व इसके आधार पर फर्म के विरुद्ध की गई कार्यवाही की प्रति मय विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त फर्म द्वारा आबकारी शुल्क की चोरी के संबंध में वर्ष 2008-09 व 2009-10 की ही जांच की है? यदि हां, तो केवल उक्त दो वर्षों की ही जांच किस आधार पर की गई? पूर्व वर्षों व वर्तमान वित्तीय वर्ष की कोई जांच नहीं कराने के क्या कारण रहे तथा ऐसा निर्णय किस स्तर पर लिया गया? विवरण मय निर्णय से संबंधित नोटशीट की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त फर्म के विरुद्ध अन्य वित्तीय वर्षों के लिए भी गहनता से जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त जांच के आधार पर फर्म को मिल रही सरकारी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सुविधाओं पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो नियमानुसार क्या-क्या अंकुश लगाने का प्रावधान है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक) : (1) जी नहीं। एच.एस.बी. एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि. रींगस, जिला सीकर के विरुद्ध आबकारी शुल्क की चोरी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, अपितु आबकारी विभाग ने मेघालय के संस्थान को निर्यात किये गये चालीस हजार बल्क लीटर ई.एन.ए. की गन्तव्य इकाई तक पहुंच का सत्यापन कराया था। आबकारी विभाग की पहल पर मेघालय के सक्षम आबकारी प्राधिकारी से यह सूचना प्राप्त होने पर कि प्रेषित ई.एन.ए. गन्तव्य इकाई तक नहीं पहुंचा है, के आधार पर एच.एस.बी. एग्रो इंडस्ट्रीज, रींगस के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 18, 54(e) एवं 54 D के अन्तर्गत आबकारी वृत्त श्रीमाधोपुर में अभियोग संख्या 12 दिनांक 10.01.2011 दर्ज किया गया। चालीस हजार बल्क लीटर ई.एन.ए. गन्तव्य तक नहीं पहुंचने के कारण इकाई द्वारा निष्पादित बांड का उल्लंघन करने पर इकाई के विरुद्ध राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 37(2) के अन्तर्गत एक करोड़ चौदह लाख चौबीस हजार रु. की शास्ति आरोपित की जाकर चालीस लाख रु. की वसूली की गई है। आयात परमिटों तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की कूटरचना करने के लिए इस इकाई के विरुद्ध आबकारी विभाग ने पुलिस थाना रींगस में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420, 467, 468 एवं 471 के अन्तर्गत अभियोग संख्या 15 दिनांक 11.01.2011 को दर्ज कराया है। उक्त दोनों अभियोगों की प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रतियां परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। इकाई की आबकारी शुल्क की चोरी के सम्बन्ध में वर्षवार जांच नहीं की गई है। आबकारी विभाग के आन्तरिक अंकेक्षण दल ने जिला आबकारी अधिकारी, सीकर, जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रश्नगत इकाई भी आती है, वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 का आन्तरिक अंकेक्षण जनवरी-फरवरी, 2011 में किया है। वर्ष 2007-08 तक आन्तरिक अंकेक्षण पूर्व में ही सम्पन्न हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष का आन्तरिक अंकेक्षण वर्ष की समाप्ति के उपरान्त किया जाता है। आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं नोटशीट की प्रतियां परिशिष्ट 3 एवं 4 पर संलग्न हैं।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(3) इकाई का नियमित रूप से सत्यापन एवं अंकेक्षण किया जाता है। वर्ष 2009-10 तक का अंकेक्षण किया जा चुका है।

(4) उक्त इकाई पूर्ववत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 एवं राजस्थान डिस्टलरी नियम, 1976 के अनुरूप संचालित है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय मंत्री महोदय, आप इतना बता दें कि केस दर्ज होने के बाद में आबकारी विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि जो ईएनए बाहर भेजा गया है वे फर्जी डाक्युमेंट थे तो उसी वक्त आबकारी विभाग द्वारा और आबकारी विभाग ने पुलिस महकमे में उनके खिलाफ एक अलग से मुकदमा दर्ज कराया जिसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी। अभी दो मुलजिम जो इम्पोर्ट लाइसेंस लेकर के आये थे, वे अरेस्ट हुए हैं, उनकी कोर्ट से जमानत नहीं हुई है और वे अभी अन्दर हैं। परसों दो मुलजिम इसमें और अरेस्ट हुए हैं जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह पूछ रहा था कि मेघालय से जब परमिट आया तो उसका यह क्रास-वेरिफिकेशन उसी समय होता है जब परमिट आता है। वह क्रास-वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसके लिए किन अधिकारियों पर आपने कार्यवाही की?

दूसरी बात, जो रोड ट्रांसपोर्ट से जिसका परिवहन हुआ है और जो फर्जी निकली है, उस पर क्या कार्यवाही की गई? नम्बर तीन, जो पेमेंट हुआ उसके बारे में क्या कार्यवाही की? नम्बर चार, माननीय मंत्रीजी, मेरा आपसे प्रश्न है कि पहले अजीतगढ़ के बारे में चर्चा हुई थी, आज रींगस के बारे में हो रही है, 9 और डिस्टिलरीज हैं, उनमें वह जो मूल आदमी है जिसने यह कूटरचना करके भिन्न-भिन्न राज्यों के फर्जी परमिट ले आये 8 राज्यों के, उसको पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई? और क्या अजीतगढ़ का या रींगस का थाना 8 राज्यों में जाकर के यह सारी बातचीत करके इसका काम कर सकते हैं क्या?

सीधा प्रश्न है कि जैसे आपने बाकी आबकारी सम्बन्धी मामलों की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव को दी है तो इस पुलिस जांच को आप राजस्थान स्तर पर एस ओ जी को, सी आई डी को या विशेष सेल बनाकर उसको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? यदि नहीं देना चाहते हैं तो क्या कारण हैं? सी बी आई की मांग मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी ने कह दिया कि सी बी आई तो कांग्रेस ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए उसकी मांग मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे राजस्थान की पुलिस पर विश्वास है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दिल्ली में आपके नेता कहते हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने तो उनको कोट किया है। जो दिल्ली में आपके नेता हैं, वे कहते हैं कि कांग्रेस ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो आपके आदर्श हमारे नेता हैं न?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने तो उनकी बात आपसे कही है कि यह सोच लें कि उनकी बात मानोगे या यह सी बी आई की इन्क्वायरी मांगोगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुझे खुशी है कि आपने हमारे नेताओं को आदर्श मान लिया है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपने उनको आदर्श माना। मैं कह रहा हूं कि सी बी आई को आप नहीं देना चाहें...

श्री अध्यक्ष: आपने कितने मूल प्रश्न पूछे हैं? आपने कितने पूरक प्रश्न पूछे हैं? पूरक प्रश्न कितने पूछ लिये हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये सारे ही मूल हैं। यह मूल में हुआ काम है, यह मूल का काम है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा यहां से माल जाना बताया है, जब इस बात की जानकारी की तो मूल रूप से जो संगीता रोड लाइंस नाम का ट्रांसपोर्टर है, वह ही फर्जी है, इस नाम से कोई भी ट्रांसपोर्ट कम्पनी अस्तित्व में नहीं है। जिस ट्रक के जरिये यह माल यहां से बाहर गया, उस ट्रक के नम्बर जो यहां अंकित थे HR38 M 9287 जिसका चालक था दुर्गा प्रसाद, बिल्टी नम्बर 9021/8.8.2011, ट्रक नम्बर HR38 P 6289 चालक रतन सिंह, बिल्टी नम्बर 9022/19.8.2011, ये संगीता रोड लाइंस के थे लेकिन जब यह सारी जानकारी ली गई तो यह ट्रक का जो चेसिस है यह भी फर्जी है, रतन सिंह

(श्री राजेन्द्र पारीक)

नाम का कोई ड्राइवर भी कहीं पर अस्तित्व में नहीं है और संगीता रोड लाइंस, यह भी कहीं अस्तित्व में नहीं है।

माननीय सदस्य, आपने जैसे फरमाया कि इसके रेवेन्यू लासेज के बारे में तो ए सी एस जांच कर रहे हैं, अब मैं इस सारे प्रकरण को क्योंकि यह पूरे सदन की भावना है, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि आई जी सेकंड जो हैं, वे अपने स्तर पर इसकी जांच करायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कौन आई जी सेकंड ?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आई जी जयपुर सैकंड हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। यह केवल जयपुर डिविजन में नहीं हुआ मामला, ये 11 डिस्टिलरीज हैं। आदमी जिसने यह फर्जी परमिट लिये, उसने 8 स्टेट के अलग-अलग परमिट लिये और 8 स्टेट्स में अपना माल गया है और आठों जगह हमने वेरिफिकेशन नहीं किया। इसलिए मेरा कहना है कि जब तक आप डी जी के अन्तर्गत एक विशेष सेल बनाकर के इसकी जांच नहीं करेंगे तब तक 11 फैक्टरियों के अलग-अलग प्रश्न लगायें, सदन का समय लेने से कोई मतलब नहीं है।

एक बात और, 8 राज्यों में जाएं और 8 राज्यों की पुलिस उनकी मदद करे और इसमें जो कोल्यूजन हुआ है उस कोल्यूजन के वहां तक पहुंचे क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है और यह जो अवैध शराब बनती है, उसका काम भी है और यह सारा काम इस प्रकार का है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस की देखरेख में एक विशेष सेल का गठन कराकर के इस सम्पूर्ण प्रकरण की आप जांच करायें। एक अतिरिक्त मुख्य सचिव कर ही रहे हैं, फाइनेंस का जो काम देखते हैं। इन दोनों जांच के आने के बाद अपराधियों का पता लग सकेगा। वह राज्य के हित में है, यह करोड़ों रुपये का मामला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके लिए विशेष सेल का गठन किया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक रेवेन्यू लासेज की बात है तो रेवेन्यू तो जितनी भी हमारी इनसे जो वसूल की जानी चाहिए थी, वह रेवेन्यू तो हमने वसूल की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह कर लेंगे जांच।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मामला सिर्फ इतना है कि चूंकि यह

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कई स्टेट्स का मामला फरमा रहे हैं, राजस्थान में हमारी यह जो दो डिस्टिलरीज हैं, इनके मामले में और ये सारी जो अनियमितताएं जो पाई गई हैं, वैसे तो मैंने पूरे सदन की भावना को देखते हुए आई जी के स्तर पर इसकी जांच कराने का कहा है लेकिन फिर भी यदि सदन यह चाहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, राज्य सरकार की मन्शा कतई इनको रिलीफ देने की या इनके प्रति कोई सद्भावना की नहीं है, राज्य सरकार निश्चित रूप से यह चाहती है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और सख्ती से इन पर रोक लगे। निश्चित रूप से यह ई एन ए जो बाहर गया, फर्जी डाक्युमेंट के माध्यम से गया। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर यह कतई नहीं चाहती। तो मैं इसकी जांच डी जी को निर्देशित करता हूं कि वे अपने स्तर पर इसकी जांच करायें।

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इन उल्लिखित दो वित्तीय वर्ष जिनके अभिलेखों की आडिट आपने कराई है, उक्त इकाई ने एक लाख 94 हजार लीटर का उत्पादन किया और उत्पादन करने के बाद में आपने यह अंकित कर दिया कि 40 हजार लीटर तो कम से कम ऐसा था जो कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जिसका निर्यात हुआ था। ठीक इसी प्रकार एक दूसरी इकाई जिसका आपने सदन में पहले उल्लेख किया था, 3 लाख लीटर उल्लिखित दो वित्तीय वर्ष के अन्दर, आडिट के अन्दर यह आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहली वाली इकाई जो अजीतगढ़ में थी उसमें तत्काल आबकारी कमिशनर ने एक इन्क्वायरी दल बनाया और उन्होंने उस फैक्टरी की इन्क्वायरी की। क्या इस फैक्टरी की भी आपने जब आपको यह पता पड़ा तो आपने इन्क्वायरी करवाई? और इन्क्वायरी करवाई तो इन्क्वायरी करवाने के बाद में आपको ऐसे कितने कूटरचित और दस्तावेज मिले? जब आपके पास में ये दो प्रमाण आ गये थे तो इन समस्त इकाइयों जिनका कि सांगानेर से आने वाले आदरणीय सम्माननीय सदस्य फरमा रहे हैं, आपने पूरे राजस्थान के अन्दर क्या इन सारी चीजों का निर्यात, जो चालान होते हैं, उनका सत्यापन करवाया? और सत्यापन करवाने पर बाकी सारे सही मिले?

दूसरा, आपके आबकारी विभाग ने विशेष प्रतिवेदन अभियोग के अन्दर जब चालान पेश करने की बात की तो इसमें यह लिखा हुआ है कि सभी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अभियुक्त मौके से फरार हैं। आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आप खुद फरमा रहे हैं, we have not seized the industry और इसके अन्दर industry or an institution are run either by an MD or a Chairman, मुझे आप यह बतायें कि अगर पूरी इंडस्ट्री चल रही है, मौके पर चल रही है और इस पूरे विषय को दो महीने से ज्यादा हो गये हैं तो कम से कम यह तो आप सुनिश्चित करायें, मैं यह नहीं कह

(समय 12.00 बजे)

रहा, आप किसको पकड़े, नहीं पकड़े, यह आप जांच पर छोड़ दीजिये लेकिन इतना तो कम से कम इस पर हो कि आपका जांच दल पूरी की पूरी इंडस्ट्री के मालिकों को फरार बताता है, ट्रकों के मालिकों को फरार बताता है, उसके बाद भी इंडस्ट्री का आज प्रोडक्शन हो रहा है। यह तो आपने आडिट सिर्फ 2009-10 तक का दिया है, 2010-11 में भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, आज भी हो रहा होगा। तो यह तो आखिर समझ से बाहर है।

एक चीज जो आपके आडिट के पैरा में आयी है, उन्होंने साफ लिखा है पैरा-3 में, ''आर.सी.आर. पंजिका के संधारण व मिलान प्रक्रिया पर विशिष्ट टिप्पणी'' एवं ''यह भी प्रमाणित करें कि विभाग में जिन चालानों को सही मानकर मदिरा परमिट जारी किये गये हैं, क्या वास्तव में उस चालान की राशि राजकोष में जमा हुई है या नहीं?'' यह तो थी आपके इन्क्वायरी आफिसर की एक क्वेरी जिसका अभी तक आपने समाधान नहीं किया और आपने जो इन्क्वायरी दल बैठाया था, उस इन्क्वायरी दल ने बिन्दु-15 में एक बात कही है कि 'जितने भी आपके ऐसे दल अलग-अलग ब्रेवरीज में बैठे हैं, आपके यहां निर्यात परमिट और सत्यापन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं?''

श्री अध्यक्ष: कृपया जल्दी समाप्त करें, समय हो रहा है। जल्दी समाप्त करें। एक जवाब दिलवा दूं आपसे बस।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं जल्दी कर रहा हूं। ''इकाई में ई.वी.सी. रजिस्टर में संधारित किये जा रहे हैं या नहीं। प्रभारी अधिकारी को उक्त दस्तावेज नियमानुसार संधारित करने के निर्देश दिये जाते हैं।'' निर्देश दिये जाते हैं लेकिन इसमें आज तक...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इसमें एक डाइरेक्टर कांग्रेस का विधायक है, इसलिए इस पर कार्यवाही नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ...कोई सत्यापन करने का इनके पास में सिस्टम नहीं था, यह आपका खुद का इन्क्वायरी दल लिख रहा है। इसके

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)
बाद में आपने सुनिश्चित कर लिया क्या? ये दोनों चीजें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, ये जवाब दे दीजिये आप। मंत्रीजी, बस इनका जवाब दे दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इंडस्ट्री के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में कांग्रेस का एक एम.एल.ए. भी डाइरेक्टर है, इसलिए इसमें कार्यवाही नहीं हो रही है? यह तो बताओ।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ जाने दीजिये। माननीय सदस्य, जवाब आ जाने दीजिये। जवाब आ जाने दीजिये। आप जवाब दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह बात सामने आई कि यहां से फाल्स डाक्युमेंट्स के माध्यम से ई.एन.ए. बाहर चला गया, हमने उन सारे हालात को कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह से बिलकुल सुनिश्चित कर दिया कि जब भी यहां से बाहर ई.एन.ए. निर्यात होगा, बिना इस बात की पूर्व में जांच किये हुए कि यह ट्रांजिट परमिट जो बाहर से आया है आयात के लिए, वह वैध है या नहीं है, इसकी जानकारी करने के लिए हमने आन-लाइन सिस्टम भी इसमें एडाप्ट करने की प्रक्रिया की है; व्यक्तिगत रूप से, फोन पर, वहां के कंसर्न्ड जो वहां पर एक्साइज कमिशनर हैं, उनसे भी इस बारे में एन्श्योर करेंगे और फैक्स के जरिये भी हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो डाक्युमेंट्स आपके वहां से रिलीज हुए हैं, ये डाक्युमेंट्स सही हैं या नहीं हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं कि इसमें और कोई कारण ऐसा बचता नहीं कि इस तरह से फाल्स डाक्युमेंट्स के माध्यम से कोई ई.एन.ए. बाहर चला जायेगा।

दूसरी बात, फैक्टरी चलने की बात फरमाई, फैक्टरी में हमने टेक्नो बायोटेक के छह लोगों को अरेस्ट किया है, यहां से चार लोगों को अरेस्ट कर लिया। फैक्टरी बंद कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। निश्चित रूप से मुझे यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि फैक्टरी के जो डायरेक्टर्स हैं, वे अभी यहां पर नहीं हैं, पुलिस भी फरार मान रही है लेकिन सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस गम्भीरता से इस मामले को उठाया, मैं एक बार पुनः पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और इतने उच्च स्तर पर जब इनकी जांच हो रही है और रेवेन्यू

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लासेज की भी जांच हो रही है और पुलिस की भी इसमें जांच हो रही है तो इसमें मैं समझता हूं, इस तरह की कोई बात बाकी बची नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब फरार है तो फैक्टरी कैसे चल रही है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डायरेक्टर आप गायब बता रहे हैं, उनमें से एक डायरेक्टर...

श्री अध्यक्ष: समय देखिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...आपका एम.एल.ए. प्रकाश चौधरी इस हाउस में कल उपस्थित था।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): क्या बात कर रहे हो आप? क्यों घुमा रहे हो इस बात को? और आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर नहीं हैं। डायरेक्टर स्वयं यहां उपस्थित है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। प्रश्न काल समाप्त। (व्यवधान)

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में से एक एम.एल.ए. है कांग्रेस का, उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 जयपुर से झालावाड़ फोरलेन निर्माण के तहत अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे में कथित भेदभाव किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(2) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से सीमल्या थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव की अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार एवं हत्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(3) डा. जसवन्त सिंह यादव एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से

(श्री अध्यक्ष)

जिला अलवर की तहसील बहरोड़ में स्पिरिट, बीयर व शराब की फैक्टरियों के कारण गांवों का पानी दूषित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(4) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(5) श्री बाबूलाल खराड़ी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(6) श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर के झालामण्ड जोन में क्षतिग्रस्त सड़कों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। माननीय सदस्यों को संबंधित विभागों की अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय बोलने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में ऊंटों की घाटी में बंद खानों पर वर्षों से काबिज अनुसूचित जाति/जनजाति की कच्ची बस्तियों को हटाकर फैक्ट्रियों के लिए भूमि उपलब्ध कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

माननीय सदस्य को पर्ची के माध्यम से बोलने की अनुमति दी गई है। अतः इस प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(8) प्रो. वासुदेव देवनानी एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से अध्यापक पात्रता परीक्षा में निर्धारित की गई पात्रता के कारण कामर्स (वाणिज्य) के छात्र/छात्राओं के अध्यापक बनने के अवसर समाप्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(9) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत उदयपुर की झीलों के विकास कार्य नगर परिषद, उदयपुर से यू.आई.टी. को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(10) श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में मिनी बसों की लापरवाही से प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले के हींच गांव के दो व्यक्तियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में तो मैं असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य प्रो. वासुदेव देवनानी, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री मोहन लाल गुप्ता एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने-अपने प्रस्तावों की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रो. वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मेरा निवेदन यह है कि वैसे तो आपको पूरे अधिकार हैं लेकिन नियमों के तहत अधिकार है कि आप किस चीज को एक्सपंज कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते हो? साफ लिखा हुआ है, "The Speaker is vested with the powers to order expunction of words which, in his opinion…

श्री अध्यक्ष: वह मुझे पता है, वह मुझे पता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप मुझे पढ़ लेने दीजिये। which, in his opinion, are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified from the proceedings of the House." मैंने कल कौनसी ऐसी भाषा कही जिसको कि आपने एक्सपंज किया है? मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि कुत्ते को गोली क्यों मारी। (व्यवधान) इतनी सी बात कही थी। इसमें डिफेमेटरी क्या था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये।

एक माननीय सदस्य: विराजिये, विराजिये। कल भी बहुत हंगामा कर लिया आपने।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, मुझे यह बताया जाये कि इसमें डिफेमेटरी क्या था, इसमें मानहानिकारक क्या था? मैंने किसके खिलाफ मानहानिकारक कहा? मैंने बात इतनी ही कही थी कि कुत्ते को गोली क्यों मारी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये, आप विराजिये।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई शब्द नहीं था। ऐसा कोई शब्द नहीं था। (व्यवधान) नेता को सुनना नहीं था इनको।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बताया जाये, फिर इसमें डिफेमेटरी क्या था? मुझे बताया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि यह सत्ता पक्ष सदन को चलाना नहीं चाहता।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कुत्ते को गोली क्यों मारी। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे यह बताया जाये कि मैंने किसकी मानहानि की। कृपया मुझे बताइये ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। (व्यवधान)

नारेबाजी

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान से नारेबाजी)

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

मुझे बताया जाये...(व्यवधान) कृपया मुझे बताया जाये कि मैंने क्या डिफेमेटरी शब्द काम में लिया? (व्यवधान) मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूं। (व्यवधान) मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूं, यदि यह बता दिया जाये कि मैंने कोई मानहानिकारक शब्द काम में लिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.09 बजे 13.09 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.09 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सदन में आप व्यवस्था दे रहे थे अपने स्थगन प्रस्तावों पर, उसके बाद स्थगन प्रस्तावों पर जब आपने नाम पुकारा तो माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने खड़े होकर आसन की व्यवस्था के बारे में यहां कुछ नियमों को कोट कर अपनी बात कही। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि सदन में जो व्यवस्थाएं अध्यक्ष महोदय दे देते हैं वे अंतिम हैं और उनको चुनौती नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आसन की व्यवस्थाओं को चुनौती देकर न केवल आसन का बल्कि सम्पूर्ण सदन का एक तरह से अपमान किया है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो आसन की व्यवस्थाओं को चुनौती, जिन नियमों का कोट कर आसन की व्यवस्थाओं को चुनौती दी है, उस सारी कार्यवाही को आप एक्सपंज करायें क्योंकि आसन के बारे में कोई भी बात इस प्रकार की कहना जो आसन की मानहानिकारक हो, उसके बारे में स्पष्ट व्यवस्थाएं हैं कि उन बातों को एक्सपंज करते हैं, तो उनको तो एक्सपंज कराया जाए। एक मेरा आपसे आग्रह यह है।

दूसरा, मेरा आपसे आग्रह यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम कल भी सारी बातों को सहन करके और आज हम आ गये क्योंकि हम सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं। आज पेयजल जैसे गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, 40 से अधिक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, हम सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं और हम आसन का पूरा सम्मान करते हैं, आसन का अपमान हमको बिलकुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस पर व्यवस्था दें और ...(व्यवधान)...

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्रीजी को सुना नहीं, यह चौथी बार हुआ है और यह कह रहे हैं कि सदन चलाना चाहते हैं। आपके मार्फत मैं पूछना चाहता हूं, कुत्ते को गोली क्यों मारी? (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): कल आपकी परम्परा कहां थी? कल आपकी परम्पराएं कहां थीं? सदन की गरिमा कहां थी, सदन की परम्पराएं कहां थीं? (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): कल आपने मुख्य मंत्रीजी को नहीं सुना

(श्री मदन प्रजापत)

और जनता में संदेश देना चाहते हो कि हम सदन चलाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कुत्ते को गोली क्यूं मारी? (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): पूरी जनता को आपने ...(व्यवधान) शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सदन के नेता को नहीं बोलने दिया आपने और आज सदन चलाना चाहते हो। आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.12 बजे 14.12 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 14.12 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सदन का ध्यान अध्यक्षीय व्यवस्था के पृष्ठ ...(व्यवधान) मैं ...(व्यवधान) ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, कल आसन पर आप भी विराज रहे थे, आपने भी मेरी बात सुनी है, मैंने ऐसी कौनसी मानहानिकारक बात कही, कौनसी ऐसी अभद्रता कही, कौनसी ऐसी डेरोगेटरी बात कही, कौनसी ऐसी अनपार्लियामेंट्री बात कही गयी जिसको कि यहां पर एक्सपंज किया गया? मैं जानना चाहता हूं। अगर मान लीजिये, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं अपने आप में सुधार करने को तैयार हूं लेकिन मुझे यह बताया जाए। आसन के प्रति हमारी श्रद्धा है, आसन का हम पूरा आदर करते हैं। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बिलकुल ठीक है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, ये संसदीय कार्य मंत्री हैं और आसन के द्वारा दी हुई व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं। यह दुर्भाग्य है राजस्थान का कि आसन की व्यवस्था को एक सत्तारूढ़ दल का संसदीय कार्य मंत्री चैलेंज करे। यह कौनसी व्यवस्था हुई है? फिर आसन किस बात के लिए है? आपके द्वारा किया हुआ निर्णय ये तो क्या, इनका मंत्रीमंडल तो क्या, हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहे तो वह फैसला नहीं बदल सकता।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) यह बताया जाए। आखिर मैंने यही तो कहा था कि कुत्ते को गोली क्यों मारी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कुत्ते को गोली क्यों मारी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने जो शब्द काम में लिये, वे ये लिये थे कि कुत्ते को गोली क्यों मारी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) अगर इतना घमंड आ गया है, आसन को नहीं मानोगे, आसन की व्यवस्था को नहीं मानोगे, ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): कुत्ते को गोली क्यों मारी?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) इतना घमंड मत करो। लोकतंत्र की बरबादी मत करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ये कोई तरीका होता है? आसन से व्यवस्था दी और उसको संसदीय कार्य मंत्री ठुकराता है। आसन को चुनौती देता है, खड़ा होकर भाषण करता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? (व्यवधान) ये ऐसे कैसे चलेगा?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सभापति महोदय, ये बता दें ... (व्यवधान) क्या इसमें ...(व्यवधान) नहीं है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): यह आसन को चुनौती नहीं है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, यह आसन को चुनौती नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह हाउस कैसे चलेगा? अगर आसन को भी नहीं मानेंगे, एक संसदीय कार्य मंत्री नहीं मानेंगे तो ... (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैंने तो सिर्फ इतना सा पूछा है कि कुत्ते को गोली क्यों मारी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ...(व्यवधान) सबसे पहले तो संसदीय कार्य मंत्री को बाहर निकालें। (व्यवधान) बाहर निकालो इनको। (व्यवधान)

(सदन में नारेबाजी)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.18 बजे, 15.18 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 15.18 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। अभी संसदीय मामलात के मंत्रीजी ने पूछा था कि ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आरोप लगाया था।

श्री अध्यक्ष: कहा था कि जो कुछ उनके द्वारा कहा गया था उसमें असंसदीय नहीं था इसलिए क्यों एक्सपंज किया गया। एक तो मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी शब्द को कार्यवाही को एक्सपंज करने का आसन को अधिकार है। दूसरा, सारा सदन ग़लतफ़हमी में जी रहा था। रिकार्ड मंगवाकर मैंने देखा, ऐसा कुछ रिकार्ड पर था ही नहीं जिसको एक्सपंज करना पड़ा हो। न रिकार्ड पर आया है, न एक्सपंज किया है। इसलिए सारे प्रकरण को समाप्त किया जाना चाहिये।

दूसरी चीज ...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं स्वीकार करता हूं कि यह अधिकार आपका है और बहुत सम्मानजनक तरीके से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह अधिकार मेरा भी है कि मैं आपसे यह निवेदन करूं, कौल एंड शकधर पढ़ रहा हूं, और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि माननीय सुरेन्द्र व्यास, जब वे इस सदन के सदस्य थे तो वे कुछ बोले, बोलने के बाद में स्पीकर की कुर्सी पर भाभड़ा साहब विराजे हुए थे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन से प्रकरण को समाप्त करने की घोषणा कर दी ना। आपने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: विराजिये, बैठिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह हर बात पर यहां खड़े होना जरूरी है क्या? बैठ जाइये आप।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समाप्त करने की व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं, कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हर बार सदन का माहौल खराब कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा, बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): हर चीज में बार-बार खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं। कृपया सारे प्रकरण को अब समाप्त करिये। मैं व्यवस्था दे चुका हूं, कृपया सारे प्रकरण को आप समाप्त करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सारे दिन एक ही तरीका कर रखा है। (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सदन के नेता को बोलने नहीं देना... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बार-बार खड़े होना जरूरी है क्या? (व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): सदन के नेता को बोलने नहीं देना..(व्यवधान) यह कोई तरीका है? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सब का ठेका ले रखा है क्या इन्होंने? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह काहे का डिस्सिप्लिन हुआ? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हर बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): हर बार खड़े हो जाते हैं। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ ने ठेका ले रखा है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं आसन की ओर से, कृपया अब चर्चा समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, "There have been rare cases where the Speaker on reconsideration has agreed to restore some words expunged from the proceedings of the previous day."

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन की लगातार अवहेलना करना और वह भी संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, मैं समझता हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सुरेन्द्र व्यास ने जब बात यहां पर कही तो स्पीकर की कुर्सी पर भाभड़ा साहब बैठे हुए थे, जब उन्होंने कहा कि आप इसको रि-कंसिडर कीजिए... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कृपया चर्चा समाप्त करें। कृपया चर्चा समाप्त करें। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उप-स्थापन। कर्नल सोनाराम। कोई अंकित नहीं होगा। कृपया शांति रखें। कोई अंकित नहीं होगा, कृपया शांति रखें। कर्नल सोनाराम।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

याचिकाओं का उप-स्थापन

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

बायतू मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाना

1. बायतू मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित;

माण्डपुरा बरवाला की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

2. माण्डपुरा बरवाला की अति क्षतिग्रस्त 3 किलोमीटर सड़क की मरम्मत करने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित; एवं

बायतू मुख्यालय पर बस स्टैंड का निर्माण

3. बायतू मुख्यालय पर रोडवेज का बस स्टैंड का निर्माण करने बाबत 3 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री पवन दुग्गल। श्री पवन दुग्गल। श्री बाबूलाल खराड़ी। श्री बाबूलाल खराड़ी। (व्यवधान)

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। पंचायती राज मंत्री, श्री भरत सिंहजी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ×××

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-11। अनुदान की मांगों पर विचार। श्री महिपाल मदेरणा। श्री महिपाल मदेरणा। (व्यवधान) किसी अन्य का अंकित नहीं होगा। श्री महिपाल मदेरणा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 46– सिंचाई की प्रस्तुति

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,93,39,34,000/- (इक्कीस अरब तिरानवे करोड़ उनतालीस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-46 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 46 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,93,39,34,000/- (इक्कीस अरब तिरानवे करोड़ उनतालीस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

मांग संख्या 27- पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष: मांग संख्या 27, पेयजल योजना। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27- पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,39,03,35,000/- (इकतीस अरब उनतालीस करोड़ तीन लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 27 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या 27 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27- पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,39,03,35,000/- (इकतीस अरब उनतालीस करोड़ तीन लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2011 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.26 बजे गुरुवार दिनांक 17 मार्च, 2011 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र की ढाणियों में प्रस्तावित सड़कें

177. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की प्रधान मंत्री सड़क योजना हेतु पात्र ढाणियों को अगले चरण में प्रस्तावित कर सड़क निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस ढाणी में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के 500 व अधिक आबादी की पात्र एकल ढाणियों के चार सड़कों के तथा ढाणियों के समूह (क्लस्टर) के तीन सड़क निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकर को भेजे गये हैं। सूची मय विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

(अ) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 500 व अधिक आबादी की एकल ढाणियों के भारत सरकार को प्रेषित प्रस्तावों का विवरण

क्र. सं.	जुड़ने वाली ढाणी का नाम	ढाणी की जनसंख्या	प्रस्तावित लम्बाई (किमी.)	अनुमानित लागत (रु. करोड़)
1	कैराडी की ढाणी	1050	2.00	0.41
2	बन्यावाली की ढाणी	520	0.70	0.17
3	सेडू सिंह की ढाणी	600	1.10	0.27
4	खारवाल की ढाणी	750	2.70	0.67

(ब) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 500 व अधिक आबादी की कलस्टर के आधार पर ढाणियों के भारत सरकार को प्रेषित प्रस्तावों का विवरण

क्र. सं.	जुडने वाली ढाणी का नाम एवं जनसंख्या	समूह (कलस्टर) की अन्य ढाणियां	ढाणियों की आबादी	समूह की कुल जनसंख्या	प्रस्तावित लम्बाई (कि.मी)	अनुमानित लागत (रु. करोड़)
1.	कोटी की ढाणी (200)	ढाणी पुराना गांव	100	760	5.00	1.25
		ढाणी माल्या की	100			
		ढाणी छीतराला	100			
		ढाणी काला शिकारा की	260			
2.	लाम्बी की ढाणी (150)	ढाणी तेला गांव	200	550	3.300	0.82
		(ढाणी गाडा की	200			
3.	जालिम सिंह की ढाणी (50)	ढाणी जोगियों की	70	705	3.300	0.82
		ढाणी लूना जी न्यू कालोनी	60			
		ढाणी लूना की	425			
		ढाणी मीनावाली	100			

प्रदेश के कारागारों में हुई कैदियों की मृत्यु के प्रकरणों की जांच

178. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) व **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 2 वर्षों में प्रदेश के कारागारों में कैदियों की मौतें हुई? यदि हां, तो किस-किस जेल में किस-किस कैदी की मौत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मौतों के कारणों की जांच करवाई गई? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(श्री अशोक परनामी)

(3) क्या यह भी सही है कि गत 2 वर्षों में कई कैदी पैरोल पर छोड़े गये? यदि हां, तो उक्त पैरोल पर छोड़े गये कैदियों में से कितने कैदी पैरोल समाप्त होने पर वापस नहीं आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों में दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश की कारागृहों में जनवरी 2009 से दिसम्बर 2010 तक की अवधि में हुई बंदियों की मृत्यु का जेलवार विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कारागृहों में हुई बंदियों की मृत्यु की जांच सी.आर.पी.सी. की धारा 176 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।

5 बंदियों की मृत्यु के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं, जिनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। जनवरी 2009 से दिसम्बर 2010 तक की अवधि में 3722 बंदियों को पैरोल स्वीकृत की गई, जिनमें से 88 कैदी पैरोल समाप्ति पर निर्धारित तिथि को जेल दाखिल नहीं हुये। इनमें से 35 बंदी स्वतः या पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाकर पुनः जेल दाखिल कराये गये एवं एक बंदी की मृत्यु हो गई तथा वर्तमान में 52 बंदी पैरोल से फरार चल रहे हैं। पूर्ण विवरण परिशिष्ट-सी पर उपलब्ध है।

(4) राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत पैरोल पर रिहा होने वाले बंदियों की निगरानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन होती है।

राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने दायित्व का निर्वहन में कमी पाये जाने का प्रकरण सामने नहीं आया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर जिले के कृषकों को देय आर्थिक सहायता

179. **श्री अजय सिंह** (डेगाना) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला नागौर के कई किसानों को संवत् 2066 के अकाल राहत कृषि आदान अनुदान की राशि अभी तक वितरित नहीं की हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) उक्त जिले में किसानों को कितनी राशि का भुगतान किया जाना है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राशि वितरण में विलम्ब के क्या कारण रहे और अब सरकार कब तक शेष रहे किसानों को भुगतान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में लघु एवं सीमान्त कृषक मद की 2660 लाख रु. की राशि में से 137.74 लाख रु. की राशि तथा लघु, सीमान्त के अलावा अन्य कृषक मद की रु. 2702.46 लाख की राशि में से 120.79 लाख रु. की राशि सहकारी बैंक शाखाओं के स्तर पर वर्तमान में वितरण हेतु शेष है। क्योंकि यह कृषक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो सके हैं अथवा इनके अपने गांव से बाहर कहीं अन्यत्र चले जाने के कारण उन्हें वितरण नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त लघु सीमान्त कृषक मद की 391.02 लाख रु. की राशि सम्बन्धित कृषकों के खातों में जमा करने के लिए मय कृषकों की सूची के सहकारी बैंक की सम्बन्धित शाखाओं को उपलब्ध करवा दी गयी है, जिनके द्वारा खातों में राशि जमा किया जाना प्रक्रियाधीन है। मात्र 18.24 लाख रु. की राशि जिला कलक्टर कार्यालय स्तर पर अवशेष है।

(2) उक्त बकाया भुगतान की राशि का तहसीलवार विवरण (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(3) उक्त राशि के वितरण में विलम्ब के कारणों का उल्लेख बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में कर दिया गया है। उक्त शेष राशि का निस्तारण 15 दिवस में पूर्ण करने हेतु जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदारों को पाबन्द कर दिया गया है।

परिशिष्ट-1

नागौर जिले में सम्वत् 2066 के दौरान सूखे के दौरान अकाल राहत कृषि आदान अनुदान बकाया राशि का तहसीलवार विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	तहसील का नाम	लघु/सीमान्त वर्ग के कृषकों की अवितरित राशि	लघु/सीमान्त वर्ग के कृषकों के अलावा अन्य वर्ग के कृषकों की अवितरित राशि
1.	खींवसर	3.38	6.62
2.	मकराना	11.61	9.46
3.	मेड़ता	2.89	7.68
4.	परबतसर	14.99	8.36
5.	डीडवाना	31.68	15.67
6.	डेगाना	6.24	7.00
7.	जायल	19.10	19.07
8.	नावां	12.75	7.14
9.	नागौर	19.25	27.22
10.	लाडनूं	15.85	10.27
	योग	**137.74**	**120.79**

लक्ष्मणगढ़ में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

180. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार लक्ष्मणगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समिति खेडली के अन्तर्गत गौण मण्डी "लक्ष्मणगढ़" की मण्डी शुल्क से आय को देखते हुए स्वतन्त्र मण्डी समिति बनाना आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं है।

प्रदेश में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा

181. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) व **श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जौधपुर) : क्या अल्प संख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में जैन समुदाय को अल्प संख्यक घोषित करने के संबंध में कोई अध्यादेश जारी किया गया था? यदि हां, तो कब व किन आधारों पर? अध्यादेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अन्य प्रदेशों में जैन समुदाय को अल्प संख्यक घोषित किया हुआ है? यदि हां, तो किन-किन प्रदेशों में कब से? संबंधित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के जैन समुदाय को अल्प संख्यक घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि इस संबंध में राजस्थान राज्य अल्प संख्यक आयोग (संशोधन) अध्यादेश 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक-4) विधि (विधायी प्रारूपगण) विभाग (ग्रुप-2) का राजस्थान राजपत्र में दिनांक 08.09.2003 को प्रकाशित किया गया था। (छाया प्रति संलग्न है)

इसके पश्चात इस संबंध में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने हेतु अधिसूचना भी दिनांक 19.09.2003 को जारी की गई। (छाया प्रति संलग्न है) उक्त अध्यादेश का विधेयक विधान सभा के पटल पर निश्चित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके कारण उक्त अध्यादेश व्यपगत (Lapse) हो गया।

(2) हां। यह सही है कि अन्य प्रदेशों में भी जैन समुदाय को अल्प संख्यक घोषित करने की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। विभाग में उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में जैन समुदाय को अल्प संख्यक घोषित करने की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। (छाया प्रति संलग्न है)

अन्य राज्यों की सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(3) वर्तमान में भारत सरकार द्वारा केवल मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्प संख्यक घोषित किया गया है और राजस्थान में अधिसूचना दिनांक 13.12.2001 Rajasthan State Commission for Minorities Act, 2001 की धारा 2(3) के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित National Commission for Minorities Act (1992 Central Act No.19 of 1992) के अनुरूप ही राज्य में उपरोक्त मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। (छाया प्रति संलग्न है)

अल्प संख्यक घोषित करने का प्रकरण सरकार के पास विचाराधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बामनवास विधान सभा क्षेत्र में निगम बस सेवा

182. **श्री नवलकिशोर** (बामनवास) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास स्थित मुख्यालय बामनवास एवं बौंली में रोडवेज की कितनी बसें किस-किस रूट पर चलाई जा रही हैं?

(2) क्या यह सही है कि मुख्यालय बामनवास में एक भी रोडवेज की बस नहीं चलाई जा रही है? यदि हां, तो कब से व किस कारण से?

(3) क्या सरकार मुख्यालय बामनवास में रोडवेज की बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास स्थित मुख्यालय बामनवास एवं बौली में राजस्थान परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इन स्थानों हेतु प्रश्न के भाग संख्या 1 के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित निगम बसों का संचालन पूर्व से ही किया जा रहा है।

(3) बामनवास मुख्यालय पूर्व से ही निगम बस सेवाओं से जुडा होने के कारण यदि परिवहन सेवा वृद्धि का कोई प्रस्ताव/मांग आती है तो गुणावगुण पर विचार कर उचित निर्णय लिया जायेगा।

परिशिष्ट-1

बामनवास विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय बामनवास/बौंली होकर निगम द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण

बामनवास

क्र.सं.	मार्ग का नाम	एकल परिचक्र
1	ट्रांसपोर्ट नगर (जयपुर) से करौली वाया दौसा-लालसोट-बामनवास-गंगापुर	04
2	हिण्डौन-बामनवास वाया गंगापुर	02
3	बामनवास-देहली वाया गंगापुर	02

बौंली

क्र.सं.	मार्ग का नाम	एकल परिचक्र
1	दौसा-देहली वाया लालसोट-जस्टाना-पीपलदा-थोलाई-बौंली	02
2	दौसा-बौंली वाया लालसोट	02
3	जयपुर-सवाई माधोपुर वाया मित्रपुरा-जस्टाना	03
4	सवाईमाधोपुर-जयपुर वाया मित्रपुरा-जस्टाना	01
5	सवाईमाधोपुर-जयपुर वाया मित्रपुरा-बौंली	01
6	जयपुर-सवाईमाधोपुर वाया निवाई-बौंली	04
7	जयपुर-सवाईमाधोपुर वाया मित्रपुरा– बौंली	01
8	जयपुर-बौंली वाया कोथून-निवाई	06

ऋण माफी योजना के लाभार्थियों को पुनः ऋण की स्वीकृति

183. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को ऋण माफी के बाद पुन: ऋण नहीं देने का कोई प्रतिबन्ध/नियम ऋण माफी योजना में लागू किया गया था? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो अलवर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऐसे किसानों को पुन: ऋण नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। किसानों को ऋण माफी के बाद पुन; ऋण नहीं देने जैसा कोई प्रतिबन्ध/नियम ऋण माफी योजना में लागू नहीं किया गया है। अलवर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा ऐसे किसानों को आवेदन करने पर पुन: ऋण वितरण किया गया है।

नागौर जिले में लाइम स्टोन का श्रेणी विभाजन

184. **श्री हनुमान बैनीवाल** (खींवसर): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के किसी भी क्षेत्र के लाइम स्टोन क्षेत्र को सीमेन्ट ग्रेड व एस.एम.एस. ग्रेड के लिए आरक्षित करने के क्या रासायनिक मानदण्ड रखे गये हैं?

(2) क्या जिला नागौर में खनिज लाइम स्टोन को अलग-अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है? यदि हां, तो कितनी व किन-किन श्रेणियों में?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में लाइन स्टोन ब्लाकों को सीमेन्ट ग्रेड व एस.एम.एस. ग्रेड के लिए आरक्षित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों के कितने ब्लाक्स में?

(4) क्या सरकार तहसील खींवसर व नागौर के किन्हीं ब्लाकों को अप्रधान खनिज चूना पत्थर के लिए स्वतंत्र घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन एवं एसएमएस ग्रेड लाइम स्टोन के लिये एनसीसीबीएम एवं आईबीएम द्वारा जो मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं उस अनुसार लाइम स्टोन जिसमें कैल्शियम आक्साइड 42 प्रतिशत से अधिक एल्यूमिना 2 से 4 प्रतिशत, आयरन 1 से 2 प्रतिशत, सिलिका 12 से 16 प्रतिशत एवं मैग्निशियम आक्साइड अधिकतम 4 प्रतिशत हो सकती है, को सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन माना गया है एवं लाइमस्टोन जिसमें कैल्शियम आक्साइड कम से कम 50 प्रतिशत, मैग्निशियम आक्साइड अधिकतम 3 प्रतिशत और एसिडइनसोल्यूबल्स अधिकतम 4 प्रतिशत जिसमें सिलिका की मात्रा 1.8 प्रतिशत से अधिक नहीं है को एसएमएस ग्रेड की श्रेणी में रखा गया है।

(खनिज राज्य मंत्री)

(2) जी हां। नागौर जिले में लाइम स्टोन को अलग-अलग निम्नानुसार विभाजित किया गया है।

1. लाइम स्टोन सीमेन्ट ग्रेड

2. लाइम स्टोन अप्रधान खनिज हेतु

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9.2.1987 (प्रति संलग्न) द्वारा सम्पूर्ण नागौर जिले को एस.एम.एस. ग्रेड लाइम स्टोन के पूर्वेक्षण एवं दोहन हेतु आरक्षित किया गया। अधिसूचना दिनांक 28.9.1996 (प्रति संलग्न) द्वारा निम्न 4 ब्लाकों को रिजर्व रखते हुए सम्पूर्ण नागौर जिले को रिक्त घोषित किया गया।

1. ब्लाक-1 10.50 वर्ग किमी

2. ब्लाक-2 25.89 वर्ग किमी

3. ब्लाक-3 203.00 वर्ग किमी

4. ब्लाक-4 476.25 वर्ग किमी

(4) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.08.04 (प्रति संलग्न) द्वारा नागौर जिले में ब्लाक नं. 3ए जिसका क्षेत्रफल 14 वर्ग कि.मी. एवं ब्लाक नं. 4एफ जिसका क्षेत्रफल 12.5 वर्ग कि.मी. है. में अप्रधान खनिज का लाइम स्टोन उपलब्ध होने से अप्रधान खनिज के तहत खनन पट्टे स्वीकृत करने हेतु रिक्त घोषित किया गया।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में शराब की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम

185. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत दो वर्षों में राज्य में आबकारी से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? जिलेवार, माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में शराब की बढ़ती खपत को रोकने हेतु सरकार ने कोई प्रयास किये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09 व 2009-10 में कुल राशि क्रमशः 2169.85 एवं राशि 2300.48 करोड़ आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ है जिसका जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर उपलब्ध है।

(आबकारी मंत्री)

(2) प्रदेश में शराब की खपत को रोकने के लिये मदिरा बोतलों के लेबल्स एवं पात्रों पर वैधानिक चेतावनी 'मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' अंकित की जाती है तथा दुकानों का संचालन समय सीमित (सुबह 10 बजे से रात्री 8 बजे) किया गया है। वर्ष 2009-10 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की खुदरा दुकानों की संख्या वर्ष 2008-09 में स्वीकृत संख्या 1800 से घटाकर 1000 दुकानें की गई तथा वर्ष 2011-12 में दुकानों की संख्या में किसी प्रकार की वृद्धि नही की गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर जिले में गारंटी समय सीमा में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

186. श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में कितनी सड़कों का कहां से कहां तक नवीनीकरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नवीनीकृत सड़कों की गारंटी समयावधि क्या है?

(3) उक्त जिले में गारंटी समयावधि में कुल कितनी सड़कें टूटी व इसके क्या कारण रहे एवं उसकी जवाबदेही किस अधिकारी/ठेकेदार की है?

(4) क्या गारंटी समय सीमा में टूटी सड़कों के ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला अलवर में वर्ष 2009-10 में 19 सड़कों एवं 2010-11 में 80 सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। सूची मय विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त नवीनीकृत सड़कों की गारंटी समयावधि परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 6 व 7 में अंकित है।

(3) अलवर जिले में उक्त वर्षों में निर्मित/नवीनीकृत सड़कों में से गारंटी समयावधि में 10 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। क्षतिग्रस्त होने के कारण तथा उत्तरदायी संवेदकों का विवरण परिशिष्ट-2 के क्रमशः कालम संख्या 8 व 9 में अंकित है।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(4) जी हां। गारंटी समयावधि में क्षतिग्रस्त सड़कों से सम्बन्धित संवेदकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 के कालम संख्या 10 में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

नदबई विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति

187. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा'** (नदबई): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गांव हौता की पेयजल लाइन से विजयपुरा गांव को अभी तक नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो विजयपुरा को हौता से पेयजल आपूर्ति कब तक शुरू कर दी जायेगी व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि कोडेनकलां से गांव अलीपुर को पेयजल सप्लाई नहीं की जा रही है? यदि हां, तो गांव अलीपुर के लिए पेयजल की सुचारु व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्षेत्रीय जल योजना हौता-गोवरा में सम्मिलित ग्राम हौता, गोवरा एवं गोवरा ग्राम के मजरा विजयपुरा को ग्राम हौता स्थित उच्च जलाशय द्वारा पी.एस.पी. के माध्यम से माह मार्च, 2009 से नियमित एवं सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उक्त योजना का संचालन एवं संधारण जनता जल योजना अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत, जंहागीरपुर द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी हां। ग्राम अलीपुर, क्षेत्रीय जल योजना अटारी-टोहिल्ला के अन्तर्गत लाभान्वित है तथा इस ग्राम को अटारी स्थित उच्च जलाशय द्वारा पी.एस.पी. के माध्यम से माह जून, 2010 से नियमित एवं सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में आगजनी से प्रभावितों को सहायता

188. **डा. विश्वनाथ मेघवाल** (खाजूवाला) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में प्राकृतिक आपदा के तहत गत 2 वर्षों में आगजनी से कुल कितने परिवारों के कच्चे मकान नष्ट हुए? परिवार एवं गांव के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

(2) क्या उक्त परिवारों को सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता दी गई? यदि हां, तो कितनी-कितनी एवं कब-कब दी गई? दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त परिवारों को सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई ? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में गत 2 वर्षों में (फरवरी, 2009 से फरवरी, 2011 तक) हुए प्राकृतिक अग्निकाण्ड, प्रभावित व्यक्ति, उनके हुए नुकसान की ग्रामवार सूचना का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) पीड़ित परिवारों को दी गयी सहायता सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण (परिशिष्ट-1) पर उपलब्ध है।

(3) उक्त अवधि में पीड़ित सभी परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध करा दी गयी है।

परिशिष्ट-1

गत 2 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में हुए प्राकृतिक अग्निनकाण्डों का विवरण

क्र. सं.	परिवार के मुखिया का नाम	गांव का नाम	अग्निकाण्ड का दिनांक	नुकसान का प्रकार एवं सीआरएफ मानदण्डानुसार दी गयी सहायता राशि व स्वीकृति दिनांक		स्वीकृति दिनांक
				कपड़े एवं बर्तन	झोपड़ा	
1	छगनदान/रानीदान चारण	सरदारपुरा	18.02.09	2000.00	2000.00	28.3.09
2	राणिदान/शेरदान चारण	सरदारपुरा	18.02.09	2000.00	2000.00	28.3.09
3	रामदान/राणिदान चारण	सरदारपुरा	18.02.09	2000.00	2000.00	28.3.09

क्र. सं.	परिवार के मुखिया का नाम	गांव का नाम	अग्निकाण्ड का दिनांक	नुकसान का प्रकार एवं सीआरएफ मानदण्डानुसार दी गयी सहायता राशि व स्वीकृति दिनांक		स्वीकृति दिनांक
				कपड़े एवं बर्तन	झोपड़ा	
4	हरखदान/केशरदान चारण	सरदारपुरा	18.02.09	2000.00	2000.00	28.3.09
5	वेणीदान/ अर्जुनदान चारण	सरदारपुरा	18.02.09	2000.00	2000.00	28.3.09
6	केशरदान/ मंगलदान चारण	सरदारपुरा	18.02.09	2000.00	2000.00	28.3.09
7	जयदान/केशरदान चारण	सरदारपुरा	18.02.09	2000.00	2000.00	28.3.09
8	चुनाराम/भानीराम मेघवाल	कानासर	07.04.2009	2000.00	2000.00	13.05.09
9	चनणसिंह/रूपसिंह जटसिक्ख	18 बीएलडी	28.08.09	2000.00	-	04.02.2010
10	मोतीराम/ करडाराम साटिया	उदासर	21.12.09	2000.00	2000.00	29.03.2010
11	रामूकंवर/शंकरदान चारण	पूगल	18.10.2010	2000.00	2000.00	01.03.2011
12	केवलराम/सूखाराम मेघवाल	19 बीएलडी दन्तौर	17.11.2010	-	2000.00	01.03.2011
13	मदनलाल/ फुसाराम मेघवाल	19 बीएलडी दन्तौर	17.11.2010	-	2000.00	01.03.2011
14	दानाराम/जयराम मेघवाल	6बीपी (बी) पहलवान का बेरा	12.02.2011	2000.00	-	01.03.2011

राजस्थान आलिव कल्टीवेशन लि. के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति

189. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लि. (ROCL) राज्य सरकार का उपक्रम है?

(2) क्या यह भी सही है कि ROCL में राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की भागीदारी है? यदि हां, तो कितनी प्रतिशत व कितनी राशि की? कम्पनी के गठन के उद्देश्यों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ROCL को भूमि व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर, कितनी-कितनी, कब-कब एवं किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में अब तक कितनी राशि व्यय हुई ? मदवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त कम्पनी के कार्यों से किसानों को लाभान्वित किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने किसानों को तथा किस प्रकार व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त कम्पनी में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी/कर्मचारी की, किन नियमों के अन्तर्गत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है।

(2) जी हां। यह सही है कि ROCL में राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की भागीदारी है। कम्पनी की अधिकृत पूंजी (Authorized Capital) राशि रु. 4.50 करोड़ है। इसमें राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिग बोर्ड की अंश पूंजी राशि रु 1.50 करोड़ है। कम्पनी का गठन का मुख्य उद्देशय राजस्थान प्रदेश के विभिन्न जलवायु खण्डों में जैतून की खेती की संभावना के परीक्षण करना है।

(3) यह सही है कि सरकार द्वारा 7 राजकीय फार्मों पर भूमि उपलब्ध करवायी गयी है जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ'' पर संलग्न है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(4) राजस्थान आलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 (जनवरी, 2011 तक) में मदवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(5) पायलट फेज में जैतून की खेती की राज्य में स्थापना की संभावना पर कार्य चल रहा है। इसके सफल परीक्षण उपरान्त जैतून की खेती कृषकों की भूमि पर लिये जाने का कार्यक्रम है।

(6) राजस्थान आलिव कल्टीवेशन लिमिटेड में उपलब्ध करायी गई सरकारी अधिकारियों की सेवाओं का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

सरकार द्वारा 7 राजकीय फार्मों पर उपलब्ध करवायी भूमि का विवरण

क्र. सं.	फार्म का नाम	जिले का नाम	उपलब्ध करवायी गयी भूमि (हेक्टेयर में)	उपलब्ध करवाने की दिनांक
1.	बस्सी	जयपुर	30.00	15.12.2007
2.	बास बिसना	झुन्झुनूं	30.00	15.12.2007
3.	बाकलिया	नागौर	30.00	15.12.2007
4.	लूनकरणसर	बीकानेर	30.00	15.12.2007
5.	बरोर (अनूपगढ़)	श्रीगंगानगर	30.00	01.04.2008
6.	तिनकिरूडी	अलवर	40.00	01.04.2008
7.	सांथू	जालौर	30.00	01.04.2008

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 (जनवरी, 2011 तक) में मदवार व्यय राशि का विवरण

वर्ष	व्यय का मद	व्यय राशि (रु. लाखों में)
2009-10	प्रशासनिक व्यय	70.24
	वेतन	24.86
	व्यवसायिक सलाहकार शुल्क	11.23

वर्ष	व्यय का मद	वयय राशि (रु. लाखों में)
2009-10	विदेशी परामर्श शुल्क	26.69
	उत्पादन व्यय	236.67
	पौधशाला व्यय	0.19
	पूंजीगत व्यय	2.09
	योग	371.97
2010-11 (जनवरी, 2011 तक)	प्रशासनिक व्यय	38.80
	वेतन	23.31
	व्यवसायिक सलाहकार शुल्क	2.32
	विदेश परामर्श शुल्क	14.59
	उत्पाद व्यय	145.89
	पौधशाला व्यय	2.25
	पूंजीगत व्यय	8.86
	योग	236.02

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड में उपलब्ध करायी गई सरकारी अधिकारियों की सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	कम्पनी में पदनाम	कार्यालय
1.	श्री एस.एस. शैखावत	उपनिदेश कृषि	मुख्य संचालन अधिकारी	अंशकालीन कृषि विभाग से
2.	श्री योगेश कुमार वर्मा	कृषि अनुसंधान अधिकारी	प्रबन्धक (साइट डवलपमेन्ट)	पूर्णकालीन कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति पर

इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में कम्पनी के संचालन मण्डल में निम्न संचालक मनोनीत हैं।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	कम्पनी में पदनाम	कार्यालय
1.	श्री एस. अहमद	मुख्य सचिव	अध्यक्ष	अंशकालीन रा.रा.कृ.वि.बो.
2.	श्री आर.के. मीणा	प्रमुख शासन सचिव कृषि	निदेशक	अंशकालीन (रा.रा.कृ.वि. बोर्ड के प्रतिनिधि)
3.	श्री उमेश कुमार	प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	निदेशक एवं प्रबन्ध निदेशक	अंशकालीन (रा.रा.कृ.वि. बोर्ड के प्रतिनिधि)

राज्य में सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एक्ट के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही

190. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वक्फ सम्पत्तियों के प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं? क्या सरकार इन सभी प्रकरणों को अल्प संख्यक मामलात विभाग को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एक्ट को प्रभावी बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मा. न्यायालय का नाम	विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
1.	मा. उच्चतम न्यायालय	02
2.	मा. राज. उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर	296
3.	मा. राज. वक्फ अधिकरण जयपुर	836

(वक्फ मंत्री)

क्र.सं.	मा. न्यायालय का नाम	विचाराधीन प्रकरणों की संख्या
4.	मा. सम्पदा अधिकारी, वक्फ जयपुर	978
5.	मा. सिविल कोर्ट, जयपुर	44
	कुल योग	**2156**

राज. वक्फ बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है। बोर्ड केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य करता है। वक्फ से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की पैरवी राज. वक्फ बोर्ड अपने स्तर पर करता है। पूर्व में वक्फ विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव थे। वर्तमान में वक्फ विभाग के प्रमुख शासन सचिव का कार्य राज्य सरकार द्वारा अल्प संख्यक मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

(2) सैन्ट्रल वक्फ एक्ट, 1995 राज. में 1/1/1996 से लागू कर दिया गया है। इस एक्ट को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा राज. वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया है, जो एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा है एवं वक्फ अधिकरण की स्थापना भी कर दी गई है व वक्फ सर्वे आयुक्त की नियुक्ति भी कर दी गई है।

परिवहन कार्यालय चौमूं में वाहन पंजीयन सुविधा

191. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं): क्या यातयात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि चौमूं में परिवहन विभाग द्वारा वाहन रजिस्ट्रेशन स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती वाहन संख्या की दृष्टि में चौमूं परिवहन कार्यालय में कोटपूतली व ब्यावर की भांति सभी सुविधायें प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। चौमूं में वर्तमान में उप परिवहन कार्यालय ही संचालित होने के कारण वाहन रजिस्ट्रेशन एवं स्थायी लाइसेन्स की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कोटपूतली एवं ब्यावर जिला परिवहन कार्यालय होने के कारण उक्त सुविधाऐं जिला परिवहन कार्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(यातायात मंत्री)

चौमूं सहित अन्य परिवहन उप कार्यालयों में वाहन रजिस्ट्रेशन व स्थाई ड्राइविंग लाइसेन्स जैसी अन्य सुविधाओं के विस्तार के सम्बन्ध में सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने हेतु व्यवहार्यता (Feasibility), आवश्यक संसाधनों एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि की विभागीय समीक्षा के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर यथासमय उचित निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सहकारी समिति की स्थापना

192. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में दो-तीन या इससे अधिक ग्राम पंचायतों पर एक ग्रामीण सहकारी समिति संचालित की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि दो, तीन या अधिक ग्राम पंचायतों के गांव/ढाणियों का विस्तार बहुत ज्यादा होने तथा सदस्य किसानों की संख्या ज्यादा होने के कारण सभी किसान बन्धुओं को इन सहकारी समितियों से मिलने वाला प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल पा रहा है?

(3) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सहकारी समिति खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिन ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सहकारी समिति संचालित नहीं है, के निवासियों को सहकारिता के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से समीपवर्ती ग्राम पंचायत की सहकारी समिति से जोड़ा गया।

(2) जी नहीं। समीपवर्ती ग्राम पंचायत की सहकारी समितियों से लाभ प्रदान किया जा रहा है।

(3) ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लिए निर्धारित मुख्य मापदण्ड पूर्ण करने पर तथा सक्षमता के आधार पर समिति के गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सहकारी समिति रखने का विचार रखती है।

नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम

193. **श्री कल्याण सिंह चौहान** (नाथद्वारा): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

(1) विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के कुल कितने क्षेत्रों में अवैध खनन हो रहा है? क्या सरकार इसे रोकने के लिए कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

(2) विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में कुल कितने खनन पट्टे जारी किये गये हैं ? जारी खनन पट्टों की सूची क्षेत्रफल एवं लाभान्वितों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी अवैध खनन की शिकायत नहीं है पूर्व में जब-जब भी अवैध खनन पाया गया या इस बाबत् शिकायत प्राप्त हुई तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही की गई। क्षेत्र में अवैध खनन रोकने हेतु नाके/चैकपोस्ट स्थापित किए हुए हैं तथा समय-समय पर अवैध खनन की जांच की जाती है वर्तमान में राज्य में दिनांक 17.01.2011 से 28.02.2011 तक अवैध खनन चैकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया है। अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार रोकने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) विधान क्षेत्र नाथद्वारा में प्रधान खनिज के 57 तथा अप्रधान खनिज के 89 खनन पट्टे जारी किये गये हैं। जारी खनन पट्टों की सूची मय क्षेत्रफल एवं पट्टाधारी के नाम परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शराब सेवन के दुष्प्रभाव

194. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसी भी प्रकार की शराब का सेवन करने वाले के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है?

(2) क्या यह भी सही है कि शराब सेवन की आदतों से परिवार एवं समाज को गम्भीर हानि पहुंचती है?

(3) क्या सरकार शराब सेवन के दुष्प्रभावों के मद्देनजर प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की योजना रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मद्य संयम नीति के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर मदिरा सेवन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत जिला श्रीगंगानगर को प्राप्त राशि

195. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों के दौरान बी.ए.डी.पी. योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल कितनी राशि निर्माण विकास कार्यों के लिए दी गई उसमें कुल कितने कार्य जनवरी, 2011 तक पूर्ण हुए और कितने कार्य शेष हैं ? शेष रहे कार्यों के पूर्ण नहीं होने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 5 वर्षों (अप्रैल, 2005 से मार्च, 2010) के दौरान बी.ए.डी.पी. योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कुल राशि रुपये 706.04 लाख 41 विकास कार्यों के लिये प्राप्त हुई। इनमें से जनवरी, 2011 तक 37 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 4 कार्य शेष हैं। शेष कार्यों में विलम्ब के कारणों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। तीन कार्यों में स्थल देरी से मिलने एवं संवेदक द्वारा कार्यों की धीमी गति के कारण विलम्ब हुआ है, अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है। एक कार्य में बिजली के ठेकेदार द्वारा कार्य देरी से शुरू किये जाने के कारण विलम्ब हुआ है। विलम्ब के लिये अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-1

श्रीगंगानगर जिले में बी.ए.डी.पी. योजना के तहत अपूर्ण कार्यों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति राशि		तकनीकी स्वीकृति		प्राप्त राशि		कार्यादेश की राशि		व्यय राशि (रु. लाख माह जनवरी, 2011 तक)	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्त (अनुबन्धानुसार करने की तिथि	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य में देरी के कारण
			क्रमांक/ दिनांक	राशि (रु. लाख)	क्रमांक/ दिनांक	राशि (रु. लाख)	क्रमांक/ दिनांक	राशि (रु. लाख)	क्रमांक/ दिनांक	राशि (रु. लाख)	दिनांक	राशि (रु. लाख)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	08-09	श्रीगंगानगर सिविल लाइंस में ब्लाक प्रथम में 12 नग आवास गृह चतुर्थ टाइप का निर्माण कार्य	533-34/ 27.02.09	75.50	533-34/ 27.02.09	75.50	B-60 25.05.09	71.63	5067-70 21.01.11	67.50	19.02.10	59.96	30.21	01.03.10	30.11.10	30.04.11	प्लास्टर कार्य प्रगति पर	कार्य स्थल देरी से मिलने एवं संवेदक द्वारा कार्यों की धीमी गति के कारण विलम्ब।
2	08-09	श्रीगंगानगर सिविल लाइंस में ब्लाक द्वितीय में 14 नग आवास गृह चतुर्थ टाइप का निर्माण कार्य	533-34/ 27.02.09	88.00	533-34/ 27.02.09	88.00	B-61 25.05.09	87.21	5067-70 21.01.11	79.20	19.02.10	73.04	36.37	01.03.10	30.11.10	30.04.11	प्लास्टर कार्य प्रगति पर	कार्य प्रगति पर।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	08-09	श्रीगंगानगर में टाजिट हास्टल का निर्माण कार्य	741-99/ 06.04.08	50.00	1827/ 05.10.09	50.00	B-173 05.08.08	49.77	4537-40 28.10.10	44.79	02.09.08	41.25	28.44	12.09.08	11.03.09	31.03.11	रंग-रोगन एवं दरवाजें लगाने का कार्य प्रगति पर	कार्य स्थल देरी से मिलने एवं संवेदक द्वारा कार्यों की धीमी गति के कारण विलम्ब। कार्य प्रगति पर।
4	09-10	शिवपुर फतूही में पर्यटन विकास का कार्य	1260-1300/ 02.07.09	10.00	1905-09/14.10.09	10.00	B-268 22.09.09	10.00	1905-09 14.01.09	5.00	29.09.09	8.00	5.59	09.10.09	08.04.09	31.03.11	रंग-रोगन एवं दरवाजें लगाने का कार्य प्रगति पर	बिजली के ठेकेदार द्वारा कार्य देरी से शुरू किये जाने एवं संवेदक द्वारा कार्यों की धीमी गति के कारण विलम्ब। कार्य प्रगति पर।

कोटा की स्वीकृत पेयजल योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब

196. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने रावतभाटा से भीलवाड़ा को चम्बल का पानी देने की रुपये 1260 करोड़ की योजना स्वीकृत की है? यदि हां, तो इस योजना का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा व उसमें कितना समय लगेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा की स्वीकृत कई पेयजल योजनाओं का काम शुरु नहीं करके भीलवाड़ा को जलापूर्ति करने के मामले को लेकर कोटा के नागरिकों में व्यापक असंतोष है एवं इस पानी पर मध्य प्रदेश का बराबर हक होने के कारण चम्बल से भीलवाड़ा पानी भेजने की योजना पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक सहमति प्रदान नहीं की गई?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा चम्बल-भीलवाड़ा वृहद् पेयजल परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति माह अगस्त, 2009 में राशि रुपये 1020.00 करोड़ की जारी की गई थी। वर्तमान में परियोजना का विस्तृत सर्वे एवं अभिकल्पन का कार्य प्रगति पर है। संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होने व पर्यावरण अनुमति संबंधी अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत परियोजना का कार्य लगभग तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। राज्य जल नीति अनुसार पेयजल को प्रथम प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान अपने हिस्से में पेयजल हेतु पानी लेगा, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार से सहमति की आवश्यकता नहीं है।

फरवरी, 2011 में आये तूफान एवं ओलावृष्टि से प्रभावितों को उचित मुआवजा

197. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने राज्य में फरवरी, 2011 माह में आये अंधड़, तूफान व ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन करवाया है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त अंधड़, तूफान व ओलावृष्टि से प्रभावित

(श्री गोपाल मीणा)

व्यक्तियों को मुआवजा राशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्वीकृत मुआवजा राशि वास्तविक नुकसान से अत्यन्त कम है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में हुए नुकसान का पुनः आंकलन कराकर वास्तविक नुकसान के अनुसार मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 2011 में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाया गया है। सर्वे अनुसार राज्य में जिलेवार हुए नुकसान का विवरण (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(2) जिन जिलों के गांवों में ओलावृष्टि से किसानों का 50 प्रतिशत या अधिक फसल खराबा हुआ है उन के लिए राज्य सरकार द्वारा राहत पैकेज जारी कर दिया गया है तथा प्रारम्भिक बजट आबंटन भी कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी राहत पैकेजों की प्रति एवं प्रारम्भिक बजट आबंटन की सूचना (परिशिष्ट-2) संलग्न है।

(3) राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सी.आर.एफ. मानदण्डानुसार सहायता दी जाती है। इस राशि को बढ़ाना केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है। इसे बढ़ाने हेतु राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को दिनांक 13 नवम्बर, 2009 को अनुशंषा की गयी है। केन्द्र सरकार के स्तर पर निर्णय अपेक्षित है।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

राइकाबाग फल-सब्जी मण्डी जोधपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण

198. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जोधपुर में राइकाबाग रोडवेज स्टैंड के विस्तार को देखते हुए पावटा स्थित फल सब्जी मंडी को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

(2) क्या यह सही है कि उक्त संदर्भ में फल सब्जी मंडी बोर्ड ने कोई प्रस्ताव पारित किया है? यदि हां, तो पारित प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। फल सब्जी मण्डी के लिए जब तक वैकल्पिक स्थान/भूमि उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(2) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सोजत विधान सभा क्षेत्र में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय की स्थापना

298. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रथम नियुक्ति है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी का कार्यालय कहां पर स्थित है?

(2) क्या सरकार सोजत में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सोजत, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत्त पाली के क्षेत्राधिकार में आता है तथा उक्त अधिकारी का कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त पाली में स्थित है।

(2) विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी का कार्यालय उस स्थान पर खोला जाता है। सोजत मे सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी का नया कार्यालय खोले जाने का विभाग मे कोई प्रस्ताव वर्तमान मे विचाराधीन नहीं है।

राज्य कर्मियों के तीसरी सन्तान होने पर प्रभावी आदेश

299. श्री मानसिंह (परबतसर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों हेतु वर्तमान में दिनांक 01-06-2002 के बाद तीसरी सन्तान होने पर 5 वर्ष पदोन्नति रोकने संबंधी आदेश जारी कर रखे हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश चयनित वेतनमान अथवा ए.सी.पी. पर भी प्रभावी हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश कब-कब जारी किये गये? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मानसिंह)

(3) उक्त प्रकरणों में ए.सी.पी./चयनित वेतनमान 5 वर्ष रोकने के पश्चात् क्या पदोन्नति भी 5 वर्ष रोकने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो किस प्रकार? क्या इस प्रकार दोहरा दण्ड देना न्यायोचित है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो फिर इस संबंध में क्या सरकार स्पष्टीकरण जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचना क्रमांक 7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-क)

(2) वित्त विभाग द्वारा चयनित वेतनमान अथवा ए.सी.पी. के बारे में मेमोरेण्डम संख्या प. 14(88) वित्त/नियम/08-1 दिनांक 31.12.2009 एवं राज्य सेवा के लिए मेमोरेण्डम संख्या प. 14(88)वित्त/नियम/08 II दिनांक 31.12.09 जारी किये गये हैं। संबंधित दोनों मेमोरेण्डम की प्रतियां संलग्न हैं। (परिशिष्ट-ख, ग)

(3) जी नहीं। ए.सी.पी./चयनित वेतनमान देने के संबंध में उक्त बिन्दु. 2 में उल्लेखित वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 31.12.09 प्रभावी है (परिशिष्ट-ख, ग) एवं पदोन्नति हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7 (1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 प्रभावी है। (परिशिष्ट-क)

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन स्वीकृति हेतु लम्बित प्रकरण

300. श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली एवं जिला टोंक के राज्य स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के आवेदन किस-किस के तथा कब-कब से लम्बित हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं द्वारा काफी समय पूर्व आवेदन करने के बाद भी राज्य स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा अब कब तक उनकी पेंशन प्रारम्भ कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप कसाना)

(3) क्या स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं की पेंशन के आवेदन के पश्चात् यदि मृत्यु हो जाती है तो क्या सरकार उनके वारिसान को आवेदन करने की तिथि से आवेदनकर्ता विधवा की मृत्यु की तिथि तक पेंशन राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली एवं जिला टोंक का वर्तमान में कोई भी प्रकरण राज्य स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लिए लम्बित नहीं है। जिला टोंक से श्रीमती गोगा देवी पत्नि स्व. श्री भूराराम, स्वतंत्रता सेनानी को आश्रित पेंशन दिये जाने का प्रकरण फरवरी 2010 से राज्य सरकार के पास विचाराधीन था, जिसकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) जी नहीं। राज्य मद से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के निधन होने पर उनकी आश्रित पत्नि को संबंधित जिला कलक्टर द्वारा स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु दिनांक से आश्रित पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है।

श्रीमती गोगा देवी के स्व. पति को उनके जीवन काल में राज्य मद से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत नहीं थी। स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु दिनांक 22.8.74 के बाद 36 वर्ष बाद उनकी विधवा द्वारा पेंशन हेतु आवेदन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकत कर दी गई है।

(3) जी नहीं। राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के नियम 6(1) के तहत 15 जुलाई, 1990 के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों के संबंध में सम्मान पेंशन स्वीकृत किये जाने के दिनांक से देय होगी।

राज्य की विकास दर में कमी

301. **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिसम्बर, 2008 में राज्य की विकास दर क्या थी और दिसम्बर, 2010 में विकास दर क्या रही? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में राज्य की विकास दर में काफी कमी आई है? यदि हां, तो क्यों? तथ्यों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09 (दिसम्बर, 2008) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की नवीन श्रृंखला (आधार वर्ष 2004-05) में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2008-09 के प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर 7.09 प्रतिशत और वर्ष 2009-10 (दिसम्बर, 2009) के त्वरित अनुमानों के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर 4.30 प्रतिशत रही है। यह वर्ष 2010-11 (दिसम्बर, 2010) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार बढ़ कर 9.69 प्रतिशत हो गई है।

इस प्रकार दिसम्बर, 2008 की तुलना में दिसम्बर, 09 की विकास दर में 2.79 प्रतिशत की कमी रही। परन्तु यह वर्ष 2010-11 (दिसम्बर, 2010) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2008-09 की वार्षिक वृद्धि दर की अपेक्षा वर्ष 2010-11 में 2.60 प्रतिशत अधिक बढ़ी है।

(2) जी नहीं। नवीन श्रृंखला (आधार वर्ष 2004-05) में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2009-10 के त्वरित अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 4.30 प्रतिशत रही है, जो कि वर्ष 2008-09 के प्रावधानिक अनुमान के 7.09 प्रतिशत की तुलना में 2.79 प्रतिशत कम है। इसका प्रमुख कारण कम वर्षा के कारण वर्ष 2009-10 में वर्ष 2008-09 की तुलना में प्रमुख फसलों के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में अत्यधिक गिरावट होना है, अब वर्ष 2010-11 (दिसम्बर, 2010) के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 9.69 प्रतिशत रही है। इस प्रकार वार्षिक वृद्धि दर में वर्ष 2009-10 की तुलना में 2.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि उत्पादन का सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

(लाख मैट्रिक टन)

फसल	उत्पादन			2009-10 में गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन	2010-11 में गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन
	वर्ष 2008-09 (अन्तिम संशोधित)	वर्ष 2009-10 (अन्तिम)	वर्ष 2010-11 (सम्भावित)		
अनाज	148.68	116.58	171.95	(-) 21.59	(+) 47.50
दलहन	18.26	7.02	30.12	(-) 61.56	(+) 329.06
तिलहन	52.01	44.36	61.02	(-) 14.71	(+) 37.56

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु एकल खिड़की योजना

302. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सिंगल विण्डो एक्ट लागू किया गया है? यदि हां, तो एक्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सिंगल विण्डो पूर्व में लागू थी? यदि हां, तो कब व उसमें क्या प्रावधान थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस आर्डिनेन्स, 2010 दिनांक 27.12.2010 को अधिसूचित किया गया है। ऑर्डिनेन्स की प्रति परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। 'एकल खिड़की प्रणाली प्रशासनिक आदेश द्वारा मार्च, 2000 से आरम्भ की गई थी। इस हेतु राज्य सरकार ने रूल्स आफ बिजनिस में संशोधन कर "सिंगल विण्डो क्लीयरेंस" की व्यवस्था के लिये त्रिस्तरीय अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया था। एकल खिडकी योजनान्तर्गत 3 करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश प्रस्तावों पर क्लीयरेंस, स्वीकृतियां व आदान उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। 3 से 25 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सर्वाधिकार समिति का गठन किया गया था। 25 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश प्रस्तावों से जुडे प्रार्थना पत्रों पर क्लीयरेंस, स्वीकृतियां एवं आदानों हेतु माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में बोर्ड आफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेन्ट का गठन किया गया था। अधिकार प्राप्त समितियों से उद्यमियों को निर्धारित समयान्तर्गत लाभान्वित किये जाने की दृष्टि से कामन एप्लीकेशन फार्म तैयार किया गया था। 3 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव के प्रार्थना पत्र ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन में उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान था तथा 3 करोड़ रुपये तक निवेश वाले प्रस्ताव के प्रार्थना पत्र संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान था।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मेवाड़ मिल भीलवाड़ा की नीलामी एवं मजदूरों का भुगतान प्रकरण

303. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भीलवाड़ा की मेवाड़ मिल जमीन नीलामी की जांच की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या-क्या जांच हुई और जांच दल में कौन-कौन शामिल थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त जमीन के नीलामी प्रकरण की अदालत में अपील की गई है? यदि हां, तो अपील का मकसद क्या था?

(3) उक्त जमीन की नीलामी के बाद क्या मेवाड़ मिल भीलवाड़ा के श्रमिकों को उनके बकाया मजदूरी व भविष्य निधि आदि का सारा भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कितने श्रमिकों को कितनी राशि चुकाई गई? क्या मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक शेष मजदूरों को भुगतान कर दिया जायेगा? बकाया भुगतान पात्र लोगों का राशिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मेवाड़ मिल की जमीन किसने कितने में खरीदी एवं क्या सरकार द्वारा जो जमीन की नीलामी दर तय की थी उस दर से कम दर पर जमीन नीलाम की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मेवाड़ टैक्सटाइल मिल भीलवाड़ा की नीलामी भारत सरकार द्वारा गठित ऋण वसूली अधिकरण के न्यायायिक निर्णय के तहत होने के कारण नीलामी का निर्णय राज्य सरकार की जांच का विषय नहीं होने से राज्य सरकार द्वारा नीलामी कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली में अपील प्रस्तुत की गयी है।

(2) जी हां। नीलामी को निरस्त करने हेतु ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली में अपील प्रस्तुत की गई है।

(3) जी नहीं। श्रमिकों को भुगतान के संबंध में समस्त कार्यवाही शासकीय समापक, कारपोरेट भवन, जी, 6-7, रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाइन, जयपुर द्वारा की जा रही है? कि राज्य सरकार द्वारा।

(उद्योग मंत्री)

(4) मैसर्स मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा को मैसर्स गीतांजली इन्फ्रो प्रा. लि. उदयपुर ने ऋण वसूली अधिकरण से नीलामी में 125.20 करोड़ रुपये में खरीदा है।

मिल की नीलामी हेतु आरक्षित राशि 100.00 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा तय नहीं की गयी है अपितु ऋण वसूली अधिकारण, जयपुर के वसूली अधिकारी द्वारा तय की गयी है।

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर की आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनान्तर्गत बकाया राशि

304. **श्री बहादुर सिंह** (वैर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. जयपुर को आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजनान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का आदेश क्रमांक 117, 119, 121, 123, 125 एवं 127 दिनांक 28-03-2003 के द्वारा दरी पटिट्यों एवं दरी फर्श आपूर्ति हेतु आदेश प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आदेशों का माल विभाग को कब-कब किस माध्यम से भेजा गया तथा विभाग द्वारा संघ को भुगतान कब-कब किया गया तथा समितियों को भुगतान कब-कब व किस प्रक्रिया से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का आदेश क्रमांक 117, 119, 121, 123, 125 एवं 127 दिनांक 28.3.2003 की प्रतियां पत्र के साथ परिशिष्ट 1 से 6 पर संलग्न हैं।

(2) उक्त आदेशों का माल विभाग को ट्रांसपोर्ट द्वारा दिनांक 31.3.03, 29.6.03, 21.6.03, 23.06.03 एवं 24.6.03 को बिल्टी से भेजा गया है जिसका भुगतान विभाग से संघ को दिनांक 16.7.03, 30.7.03 एवं 27.8.03 को प्राप्त हुआ है। विभाग से आपूर्ति का भुगतान प्राप्त होने पर आपूर्ति करने वाली सदस्य समितियों को भुगतान करने की प्रक्रिया है। उक्तानुसार भुगतान

(उद्योग मंत्री)

प्राप्त होने पर प्रक्रियानुसार दिनांक 18.7.03, 31.7.03 व 28.8.03 को एकाउन्ट पेयी चैकों के माध्यम से आपूर्ति करने वाली सदस्य समितियों को भुगतान किया गया है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिवाना विधान सभा क्षेत्र में कार्मिकों के रिक्त पद

305. **श्री कान सिंह कोटड़ी** (सिवाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में तकनीकी स्टाफ के कितने पद रिक्त हैं? उप खंडवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रभारित संवर्ग के तकनीकी कर्मचारी कार्यरत होते हैं। वर्ष 1994 से पूर्व विधान सभा क्षेत्र, सिवाना में कार्य प्रभारित संवर्ग में 250 तकनीकी पद स्वीकृत थे तथा इनमें से 205 तकनीकी कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं। राज्यादेश दिनांक 28.02.94 से कार्य प्रभारित संवर्ग मृत संवर्ग घोषित होने के कारण इस संवर्ग में पदोन्नति, पद सृजन एवं नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है। अतः शेष 45 पद स्वतः ही समाप्त होने के कारण कार्य प्रभारित संवर्ग का कोई पद वर्तमान में रिक्त नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार। वर्तमान में संविदा श्रमिक एवं संधारण संविदा की सहायता से उक्त विधान सभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का आवश्यकतानुसार संधारण कार्य करवाया जा रहा है ताकि पेयजल व्यवस्था सुचारु रहे।

देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र की पुनर्गठित पेयजल योजनाएं

306. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के विभिन्न ग्रामों की पेयजल योजनाओं में से अधिकांश के जल स्त्रोतों में जल की

(श्री रामनारायण मीणा)

उपलब्धता कम या खतम हो जाने अथवा भूमिगत जल खारा एवं फ्लोराइडयुक्त हो जाने से पेयजल समस्या गहराती जा रही है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? उक्त प्रकार के ग्रामों की सूची सहित उनके लिये निर्मित तथा संचालित योजनाओं आदि का पृथक-पृथक नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम घाड सहित क्षेत्र में पूर्व से संधारित योजनाओं के पुनर्गठन की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो किस-किस की तथा उन्हें कब तक पुनर्गठित कर पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है? पृथक-पृथक योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बीसलपुर एवं ईसरदा सहित विभिन्न बांधों से उक्त क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस बांध से किस-किस गांव को कब तक? बांधवार ग्रामों की नामजद सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, देवली-उनियारा में सम्मिलित कुल 353 ग्रामों में से 174 ग्राम पेयजल गुणवत्ता से अवश्य प्रभावित हैं परन्तु वर्ष 2010 में मानसून की पर्याप्त वर्षा होने के कारण क्षेत्र में वर्तमान पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। क्षेत्र में पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिये 330 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बीसलपुर बांध को मुख्य पेयजल स्रोत लेकर वृहद् पेयजल परियोजना बीसलपुर-टौंक-उनियारा की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह फरवरी, 2007 में राशि रुपये 247.00 करोड़ की जारी की गई है। उक्त परियोजना का क्रियान्वयन पी.पी.पी. पैटर्न पर एन्यूटी भुगतान के आधार पर करवाये जाने संबंधी लिये गये निर्णय के क्रम में प्रथम चरण की निविदाऐं आमंत्रित कर निविदादाताओं को द्वितीय चरण की निविदाऐं प्रस्तुत करने हेतु योग्य घोषित किया गया है। द्वितीय चरण के निविदा प्रपत्र तैयार करने का कार्य प्रगति पर है तथा योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही बीसलपुर बांध में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होने की स्थिति में ही तार्किक परिणिति तक पहुंच पायेगी।

उक्त क्षेत्र के गुणवत्ता प्रभावित एवं ग्रामवार संचालित की जा रही पेयजल योजनाओं का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार बीसलपुर बांध को सतही जल स्रोत लेकर वृहद् पेयजल परियोजना बीसलपुर-टौंक-उनियारा परियोजना स्वीकृत हो चुकी है जिससे उक्त क्षेत्र के लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है। ईसरदा बांध से सतही स्रोत पर आधारित कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर की क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनें

307. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) एवं **श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध से जयपुर शहर को पानी दिया जा रहा है? यदि हां, तो जयपुर शहर की चारदीवारी के अन्दर कितनी मात्रा में बीसलपुर से एवं अन्य स्त्रोतों से पानी की आपूर्ति की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर की चारदीवारी में पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत हुई एवं कितनी राशि किस-किस मद में व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर शहर की चारदीवारी में स्थित पुरानी जीर्ण-शीर्ण एवं टूटी हुई पेयजल लाइनों को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर की चारदीवारी क्षेत्र में बीसलपुर बांध से 132 लाख लीटर व भू-जल स्रोतों से 560 लाख लीटर, कुल 692 लाख लीटर प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(2) जी हां। जयपुर शहर के चारदीवारी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारु बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा राज्य मद (शहरी) के अन्तर्गत स्वीकृत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। जयपुर शहर के चारदीवारी क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा पुरानी/जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनों को बदलने के लिए वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक 4 योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई। इन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 111.20 किलोमीटर पेयजल पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। योजनावार स्वीकृति एवं बिछाई गई लाइनों के संदर्भ में वांछित विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले के डार्क जोन क्षेत्र हेतु विशेष सहायता

308. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर के कौन-कौन से क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित किया गया है तथा उन क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी पेयजल योजनायें संचालित की जा रही हैं?

(2) क्या सरकार द्वारा डार्क जोन क्षेत्र में पेयजल के लिए कोई विशेष पैकेज अथवा सहायता उपलब्ध करवाई जाती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) भू-जल आंकलन रिपोर्ट 31.03.2009 के अनुसार अलवर जिले की 14 पंचायत समितियों में से 13 पंचायत समितियां अतिदोहित (ओवर-एक्सप्लोईटेड) श्रेणी में वर्गीकृत हैं। पंचायत समिति, थानागाजी संवेदनशील (क्रिटिकल) श्रेणी में वर्गीकृत है। इस प्रकार अलवर जिले की समस्त 14 पंचायत समितियां डार्क श्रेणी में आती हैं। जिला अलवर के अन्तर्गत पंचायत समितिवार संचालित की जा रही पेयजल योजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-'अ'

अलवर जिले की पंचायत समितियों में संचालित पेयजल योजनाओं के संबंध में विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	कुल ग्राम	विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम					
			पाइप्ड जल योजना	पम्प एवं टैंक जल योजना	परम्परागत स्रोत जल योजना	जनता जल योजना	क्षेत्रीय जल योजना	हैण्ड पम्प योजना
1	बहरोड़	90	10	10	12	10	02	46
2	नीमराना	85	8	14	12	02	05	44
3	मुण्डावर	142	16	13	1	35	03	74
4	बानसूर	131	11	05	07	01	0	107
5	किशनगढ़	136	23	07	01	20	0	85
6	कोटकासिम	114	07	1	0	23	03	80
7	तिजारा	202	07	03	04	20	04	164
8	राजगढ़	140	10	4	0	02	02	122
9	रैणी	102	07	02	0	03	08	82
10	कठूमर	158	09	19	0	02	29	99
11	लक्ष्मणगढ़	184	07	08	0	01	11	157
12	उमरैण	148	19	08	01	08	0	112
13	थानागाजी	148	11	13	0	12	27	85
14	रामगढ़	174	14	04	0	08	16	132
	योग	**1954**	**159**	**111**	**38**	**147**	**110**	**1389**

गम्भीर वित्तीय अनियमितता के दोषी अभियंताओं को आरोप पत्र

309. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एक दशक से चल रही गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में वर्ष 2010 में कई अभियंताओं को आरोप पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस प्रकरण में किस-किस अभियंता को दिये गये?

(2) उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा किस-किस अभियंता के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' में निहित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष के तहत स्वीकृत हैण्ड पम्प

310. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विधायक कोष से अक्टूबर, 2010 में तत्काल पेयजल हेतु हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 31 जनवरी, 2011 तक उपरोक्त हैण्ड पम्पों को लगाने का कार्य नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य में ढिलाई के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधायक कोष से विधान सभा क्षेत्र, फुलेरा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा 18 हैण्ड पम्पों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 1.11.2010 को जारी की गई थी।

(2) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावों की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 10.12.2010 को जारी की जाकर प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये। संबंधित विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करने के अभाव में हैण्ड पम्पों को लगाने का कार्य सम्भव नहीं हो सका है।

(3) जी नहीं। उपरोक्तानुसार।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की पुनर्गठित जलप्रदाय योजना

311. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शिवजीराम मीणा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, जहाजपुर में संचालित जामोली एवं शक्करगढ़ की जल प्रदाय योजना की टंकी छोटी एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण गांव के ज्यादातर मौहल्लों में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है?

(2) क्या सरकार ग्रामवासियों को पर्याप्त एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बड़ी टंकी बनाने एवं योजना को पुनर्गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, जहाजपुर के ग्राम जामोली में निर्मित उच्च जलाशय की जल भण्डारण क्षमता मापदण्डों से कम होने के कारण ग्राम के दो-तीन मौहल्लों में पेयजल आपूर्ति कम दवाब एवं कम मात्रा में हो रही है। शेष ग्राम में पेयजल आपूर्ति वर्तमान परिपेक्ष्य में सामान्य है। इसके अतिरिक्त ग्राम में 7 हैण्ड पम्प भी वर्तमान में क्रियाशील हैं।

उक्त क्षेत्र के ग्राम शक्करगढ़ में विद्यमान उच्च जलाशय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं इसकी क्षमता मापदण्डों से कम है। ग्राम में उच्च जलाशय से की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान परिपेक्ष्य में सामान्य है। इस जलाशय को गिराने के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त ग्राम में 21 हैण्ड पम्प भी वर्तमान में क्रियाशील हैं।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त योजनाओं की पात्रता के अनुसार पुनर्गठन के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं के लिये पेयजल के बिल जारी करने के मानदण्ड

312. **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में उपभोक्ताओं को पानी के बिल जारी करने का फार्मूला क्या है? वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्तानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में उपभोक्ताओं द्वारा ज्यादा पानी खर्च करने पर ज्यादा सब्सीडी दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(3) राज्य में घरेलू उपभोग, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग करने वालों को पानी के बिलों में कितनी छूट दिये जाने के नियम/मानदण्ड क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त फार्मूले को संशोधित कर गरीबों एवं कम पानी खर्च करने वालों को अधिक सब्सीडी एवं अधिक उपयोग करने वालों को कम सब्सीडी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, की अधिसूचना दिनांक 29 मई, 1998 के अनुसार घरेलू, व्यावसायिक (अघरेलू), औद्योगिक श्रेणी एवं विशिष्ट परियोजना क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित पेयजल दरों संबंधी विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। उक्त अधिसूचना पूरे राज्य हेतु एक समान रूप से लागू की गई है।

राज्य सरकार की आज्ञा संख्या 82/2007 की अनुपालना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, की अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 2007 द्वारा राज्य के संभागीय मुख्यालय शहर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा (भरतपुर शहर को छोड़कर) हेतु ढांचागत विकास (जल) अधिभार के रूप में उपभोक्ताओं के पेयजल बिलों की राशि के साथ विकास शुल्क वसूल किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। विकास शुल्क उपभोक्ता के माह सितम्बर, 2007 देय माह अक्टूबर, 2007 के बिल से वसूल किया जा रहा है। उक्त आज्ञा व अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। अपितु, जल योजना के संचालन व संधारण पर प्रतिमाह किये जा रहे व्यय एवं उपभोक्ता से जल उपभोग पर वसूल की जाने वाली राशि के अन्तर को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

(3) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-'अ' में निहित है।

(4) उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार।

(विवरण व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित पेयजल योजनाओं हेतु स्वीकृति

313. **श्री राजकुमार रिणवां** (रतनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्राम जोगलिया हेतु 1.79 करोड़ की एवं रतनगढ़ शहर हेतु एस.आर. बनाने हेतु 98 लाख रुपये की स्कीम स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्कीमों को दो साल से समीक्षा के नाम पर रोक रखा है? यदि हां, तो क्या अभी भी समीक्षा होना बाकी है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उक्त योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करा कर कार्य चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त योजना का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्राम जोगलिया एवं शहरी जल योजना, रतनगढ़ की पेयजल योजनाओं के संवर्धन कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अक्टूबर, 2008 में जारी हुई थी। नीति निर्धारण समिति, बैठक दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 के निर्णयों के सार की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2008-09 में उपलब्ध बजट प्रावधान एवं बकाया दायित्वों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों की लागत में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होने से ऐसी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जिनके विरुद्ध कार्यादेश नहीं दिया गया, को अबेयंस किया जाकर स्वीकृतियों के पुर्ननिरीक्षण का निर्णय लिया गया।

शहरी जल योजना, रतनगढ़ हेतु अन्य स्वीकृति के अधीन अतिरिक्त जल स्रोत निर्मित कर उत्पादन में वृद्धि कर जल सेवा स्तर में वृद्धि की जाकर पूर्व स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन अब नहीं किया जाना निर्णित किया है। ग्राम जोगलिया की संशोधित योजना के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जांच प्रक्रिया में है तथा स्वीकृति उपरांत योजना के संवर्धन का कार्य किया जा सकेगा।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में चिनाई पत्थर के खनन पट्टे/लीज

314. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों के नाम खनन पट्टे लीज पर हैं एवं लीज भूमि कहां-कहां, किन-किन खसरा नंबर में कितनी-कितनी स्थित है तथा इनका वर्तमान में क्या प्रयोजन है?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में लीज क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितने क्षेत्र में और सरकार द्वारा अब तक अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में चिनाई पत्थर की पर्याप्त मात्रा में भूमि लीज पर दी गई है? यदि हां, तो कहां व नहीं, तो क्यों? क्या भविष्य में राज्य सरकार चिनाई के पत्थर हेतु खानें/लीज आबंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) टोंक जिले की विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्तमान में जिन-जिन व्यक्तियों के नाम खनन पट्टे लीज पर हैं तथा लीज भूमि कहां-कहां किन-किन खसरा नम्बर में स्थित है, की सूची परिशिष्ट "क" व "ख" पर संलग्न है। प्रयोजन सूची में अंकित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा क्षेत्र में कहीं-कहीं पर जांच के दौरान अवैध खनन पाया गया है। लीज क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि पर अवैध खननकर्ताओं एवं उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(खनिज राज्य मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में चुनाई पत्थर हेतु 27 खनन पट्टे आबंटित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

नई खानों/लीजों का आबंटन खनिज नीति 2011 के अनुसार किया जायेगा।

(सूचियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

आदिवासी क्षेत्रों में खानों के बेचान एवं स्थानान्तरण की स्वीकृति

315. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान में आदिवासी क्षेत्र में चल रही खानों के बेचान एवं स्थानान्तरण पर रोक लगाई गई है? क्या सरकार उक्त रोक को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

आदिवासी क्षेत्रों में प्रधान खनिज के नये पट्टे केवल आर.एस.एम.एम.एल. को दिये जायेंगे परन्तु पुराने पट्टों को निरस्त नहीं किया जायेगा तथा उनका नवीनीकरण भी किया जा सकेगा। अप्रधान खनिज के पुराने पट्टे तथा एल.ओ.आई. निरस्त नहीं किये जायेंगे तथा पुराने पट्टों का नवीनीकरण किया जा सकेगा। अप्रधान खनिज के नये पट्टे दिये जायें या नहीं, इस बारे में प्रकरण मन्त्रिमण्डल को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

नियमों में खानों के बेचान का कोई प्रावधान नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में खानों के स्थानान्तरण पर रोक हटाने के संबंध में कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम तेल के दोहन से प्राप्त रायल्टी/राशि

316. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर में दोहन हो रहे पेट्रोलियम तेल से अब तक कितने बैरल लीटर तेल का दोहन किया गया?

(2) वर्तमान में किस-किस क्षेत्र में कितने तेल कुंओं से खनिज तेल का दोहन हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मेवाराम जैन)

(3) वर्तमान में इस तेल से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को प्रतिदिन कितनी रायल्टी मिल रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले से फरवरी, 2011 तक 36.15 मिलियन बैरल पेट्रोलियम तेल का दोहन किया गया।

(2) वर्तमान में बाड़मेर जिले के मंगला फिल्ड के 56 तेल कुओं से खनिज तेल का दोहन हो रहा है।

(3) वर्तमान में खनिज तेल के दोहन से राज्य सरकार को लगभग 6 करोड़ रुपये प्रतिदिन रायल्टी मिल रही है। केन्द्र सरकार को राज्य से उत्पादित खनिज तेल की रायल्टी नहीं मिलती है।

परिशिष्ट-1

बाड़मेर-सांचोर बेसिन में खोजे गये 25 तेल एवं गैस क्षेत्र

क्रम संख्या	खोजे गये क्षेत्र का नाम	तेल/गैस
1	गुढा	तेल
2	सरस्वती	तेल
3	रामेश्वरी	तेल
4	कामेश्वरी	तेल
5	मंगला	तेल
6	एश्वर्या	तेल
7	भाग्यम	तेल
8	शक्ति	तेल
9	विजया व वन्दना	तेल
10	कामेश्वरी वेस्ट-2	तेल एवं गैस
11	रागेश्वरी डीप	तेल
12	एन.आई.	तेल
13	भाग्यम दक्षिण	तेल
14	एन-पी	तेल
15	एन-आर-4	तेल
16	एन-ई	तेल

क्रम संख्या	खोजे गये क्षेत्र का नाम	तेल/गैस
17	जीएस-वी	तेल
18	एनआई-उत्तर	तेल
19	शक्ति-उत्तर-पूर्व	तेल
20	एन-आई	तेल
21	एनसी-पश्चिम	तेल एवं गैस
22	कामेश्वरी बेस्ट-6	गैस
23	मंगला बाड़मेर हील	तेल
24	सरस्वती कृष्ट	तेल
25	शहीद तुकाराम आमले	तेल

जोधपुर जिले के केन्द्रीय कारागृह में प्रहरियों के रिक्त पद

317. **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़): क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जोधपुर के केन्द्रीय कारागृह में प्रहरियों के कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जेल में सुरक्षा की कमी के कारण कई कैदियों के पास मोबाइल फोन, नशीले पदार्थ एवं अन्य अवांछित सामग्री बरामद हुई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में स्थित केन्द्रीय कारागृह जोधपुर पर वर्तमान में प्रहरियों के 180 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 112 कार्यरत तथा 68 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। विभाग में 1 जनवरी, 2011 को प्रहरी के 634 पद रिक्त थे। राज्य सरकार द्वारा 550 प्रहरियों के पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त नियुक्ति प्रक्रिया राजस्थान जेल अधिनस्थ सेवा नियम 1998 में संशोधन के पश्चात् की जायेगी।

(3) केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में सुरक्षा कर्मियों की कमी के कारण

(कारागार राज्य मंत्री)

अवांछित गतिविधियों के निराकरण में कठिनाई आ रही है। केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में वर्ष 2008 से 31.01.2011 तक की अवधि में कैदियों के पास बरामद मोबाइल, नशीले पदार्थ एवं अन्य अवांछित सामग्री तथा इसमें दोषी पाये गये बंदियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट ''ए''

केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में 1.1.2008 से 31.1.2011 तक की अवधि में आकस्मिक निरीक्षण/तलाशी में कैदियों के पास बरामद निषिद्ध सामग्री एवं दोषी पाये गये बंदियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही।

क्र. सं.	निषिद्ध सामग्री बरामदगी की तिथि	बंदी का नाम जिसके पास निषिद्ध सामग्री बरामद हुई	बरामद निषिद्ध सामग्री का विवरण	दोषियों (बंदियों/कर्मचारियों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
1	10.2.2008	1- बंदी जालाराम पुत्र पोकर राम 2- सुखराम पुत्र बाबूलाल	2 मोबाईल 1 सिम	दिनांक 10.2.2008 को रात्रि 9.00 बजे जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा की गई आकस्मिक तलाशी में बैरिक नं.- 3 व 2 में वार्ड-11 के बंदियों के पास मोबाईल बरामद होने के कारण निम्नांकित को नियमानुसार दण्डित किया गया। 1. श्री ओटाराम, जेल अधीक्षक जोधपुर को राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(180) कार्मिक/क-3रु08 दिनांक 26.7.2008 को ज्ञापन दिया गया। जांच राज्य स्तर पर विचाराधीन है। 2. श्री जगमोहनसिंह, कारापाल की आदेश क्रमांक 42261-63 दिनांक 3.10.2008 से एक ए.जी.आई.असंची प्रभाव से रोकी गई। 3. श्री प्रेमचन्द वर्मा, उप कारापाल, आदेश क्रमांक 42457-59 दिनांक 3.10.2008 से परिनिंदा का दण्ड दिया गया। 4. श्री उमाराम, मु. प्रहरी, को आदेश क्रमांक 42460-62 दिनांक 3.10.2008 से परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।

क्र. सं.	निषिद्ध सामग्री बरामदगी की तिथि	बंदी का नाम जिसके पास निषिद्ध सामग्री बरामद हुई।	बरामद निषिद्ध सामग्री का विवरण	दोषियों (बंदियों/कर्मचारियों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही।
				5. श्री रामसिंह प्रहरी, नं. 407 को आदेश क्रमांक 42463-65 दिनांक 3.10.2008 से परिनिन्दा का दण्ड दिया गया। 6. श्री कन्हैयालाल महा मुख्य प्रहरी को आदेश क्रमांक 42454-56 दिनांक 3.10.2008 से परिनिदा का दण्ड दिया गया। 7. राजस्थान कारागार नियम 1951 के प्रावधानानुसार दोनों बंदियों को पृथक-पृथक वार्ड में रखे जाने का दण्ड दिया गया।
2	23.3.08	बंदी आशुराम पुत्र अण्डाराम	भाग की गोलिया	7 दिवस पृथक वार्ड में रखा गया।
3	30.3.09	बंदी महेन्द्र	1 मोबाईल	10 दिवस का परिहार जब्त किया गया।
4	21.4.09	बंदी पोलाराम	1 मोबाईल	दो माह की मुलाकात से वंचित किया गया।
5	2.5.09	बंदी गजाराम	1 मोबाईल	1 माह की मुलाकात से वंचित किया गया।
6	3.8.09	बंदी अतुल	1 मोबाईल	15 दिवस अर्जित परिहार जब्त कियागया।
6	27.2.10	बंदी देवीसिंह पुत्र जयसिंह	1 मोबाईल	4 दिन का परिहार जब्त किया गया।
7	8.3.10	बंदी सोनू उर्फ करण	1 मोबाईल 1 सिम	बंदी का स्थानान्तरण अन्यत्र कारागृह पर किया गया।
8	3.5.10	बंदी श्रवण उर्फ श्यामा	2 मोबाईल	15 दिवस मुलाकात से वंचित किया गया।
9	4.5.10	बंदी बनवारी लाल	1 मोबाईल 1 सिम	15 दिवस का परिहार जब्त किया गया।

क्र. सं.	निषिद्ध सामग्री बरामदगी की तिथि	बंदी का नाम जिसके पास निषिद्ध सामग्री बरामद हुई	बरामद निषिद्ध सामग्री का विवरण	दोषियों (बंदियों/कर्मचारियों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
10	21.5.10	बंदी दीपक	4 सिम	4 दिवस अर्जित परिहार जब्त किया गया।
11	21.5.10	बंदी कैलाश पुत्र खुशालचन्द	1 मोबाईल 1 सिम	8 दिवस परिहार जब्त किया गया।
12	13.6.10	बंदी महेन्द्र सिंह पुत्र मेंशाराम	1 मोबाईल 1 सिम	35 दिवस मुलाकात से वंचित किया गया।
13	5.9.10	विचाराधीन बंदी रणजीत पुत्र जोधाराम	1 मोबाईल	एक माह की मुलाकात रोकी गई।
14	9.12.10	सोहनलाल पुत्र भबूतराम	1 मोबाईल	4 दिन का जेल परिहार जब्त किया गया।
15	16.12.10	विजयपाल पुत्र रामचरण	1 मोबाईल 2 सिम	1 माह का पृथक सुरक्षा वार्ड में रखा गया।
16	23.12.10	बंदी मंगलाराम पुत्र बुधाराम	1 मोबाईल	1 माह की मुलाकात रोकी गई।
17	27.1.11	बंदी कैलाश पुत्र गणपति	1 मोबाईल	बंदी को सात दिवस सुरक्षा वार्ड में रखा गया।
18	29.1.11	बंदी भीखा पुत्र लाला	1 मोबाईल	1 माह की मुलाकात से वंचित किया गया।
19	29.1.11	बंदी मोतीराम पुत्र भेराराम	1 मोबाईल	बंदी का सात दिवस परिहार जब्त किया गया।

बराला ग्राम (जयपुर) की नर्सरी में पेड़ों की अवैध कटाई

318. श्रीमती अंजु खंगवाल (बस्सी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जिला जयपुर के ग्राम बराला में सरकारी नर्सरी में अवैध कटाई हो रही है? यदि हां, तो अवैध कटाई करने वालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बराला वृक्षारोपण में चोरी छिपे अवैध कटाई/छंगाई करने वालों के विरुद्ध वर्ष 2009 एवं 2010 के दौरान अवैध कटान के 3प्रकरण एवं अवैध छंगान का 1 प्रकरण दर्ज किया गया। अवैध कटान के 3 प्रकरणों का शमन किया जाकर रुपये 11300/- एवजाना वसूल किया गया। अवैध छंगान के प्रकरण में विभागीय कार्यवाही जैरकार है।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की वन भूमि पर अतिक्रमण

319. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ग्राम पीपल्दा से ग्राम-खातौली तक कितनी वन भूमि पर कहां-कहां अतिक्रमण है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अतिक्रमियों को बेदखल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पीपल्दा से ग्राम खातौली तक 2.24 हैक्टर वन भूमि पर 4 अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अतिक्रमियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण हैं। प्रकरण सहायक वन संरक्षक, कोटा के न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) वन भूमि पर अतिक्रमणों की जानकारी होने पर तत्काल

(वन राज्य मंत्री)

नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(4) जी हां। न्यायालय सहायक वन संरक्षक, कोटा द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध पारित निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2011 में कोटा वनमण्डल अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में ग्राम पीपल्दा से ग्राम खातौली तक वनखण्ड बडौदिया-रोहिली, रेंज-इटावा/खातौली तह. पीपल्दा से करवाड एवं करवाड रोड के दोनों तरफ की वन भूमि पर पुनः दर्ज अतिक्रमण की सूचना

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी मय वल्दियत व सकूनत	वनखण्ड	मौजा	खसरा नं.	अतिक्रमित रकबा (हैक्टयर में)	अतिक्रमण का प्रकार/ किस्म
1.	महावीर पुत्र भैरूलाल जाति कुम्हार नि. खातौली	बडौदिया रोहिली	बडौदिया	258	0.32 ha	ईट भट्टा
2.	सोनू गोयल पुत्र रमेश चन्द गोयल जाति महाजन नि. खातौली	बडौदिया रोहिली	बडौदिया	258, 259	0.8 ha	कृषि प्रयोजन
3.	गंगाधर गूजर पुत्र हीरालाल गूजर जाति गूजर नि. खातौली	बडौदिया रोहिली	बडौदिया	258	0.8 ha	कृषि प्रयोजन
4	भंवरसिंह पुत्र बलराज सिंह जाति राजपूत नि. फरेरा तह. पीपल्दा	बडौदिया रोहिली	बडौदिया	258	0.32 ha	ईट भट्टा
	योग अतिक्रमण वर्ष 2011 :-				**2.24 Ha.**	

मण्डल वन अधिकारी,
कोटा।

बूंटोली ग्राम (अलवर) में संचालित अवैध आरा मशीन

320. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बूंटोली (लक्ष्मणगढ़) अलवर में अवैध रूप से आरा मशीनें संचालित हैं? यदि हां, तो क्या आरा मशीन मालिक द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुज्ञापत्र लिया गया व नहीं, तो क्यों? अनुज्ञापत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दोषी आरा मशीन संचालक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम बूंटोली (लक्ष्मणगढ़) अलवर में वर्तमान में कोई आरा मशीन संचालित नहीं है। लगभग छह माह पूर्व एक अवैध आरा मशीन स्थापित की गई थी जो वर्तमान में मौके पर नहीं है। आराममशीन के मालिक द्वारा अनुज्ञापत्र नहीं लिया गया।

(2) वर्तमान में आरा मशीन मौके पर नहीं है। यदि आरा मशीन लगाकर अवैध संचालन किया जावेगा तो राजस्थान वन उपज (आरा मशीनों की स्थापना और विनियमन) नियम, 1983 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

वन क्षेत्रों में वन्य जीवों हेतु पेयजल व्यवस्था

321. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008-09 से 2009-10 व 2010-11 में राज्य के कई क्षेत्रों में कुल कितने बघेरों-चीतों की अकाल मृत्यु हुई और उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु सरकार इनकी सुरक्षा के क्या प्रबन्ध कर रही है? अभयाण्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वन्य जीवों के वन क्षेत्र में पीने के पानी की क्या व्यवस्था की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वन क्षेत्र में पानी की कमी के कारण कितने वन्य जीव शहरी क्षेत्र में आये और लोगों के शिकार हुये है? क्या सरकार इनकी सुरक्षा हेतु प्रबन्ध

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में राज्य में 47 बघेरों की अकाल मृत्यु हुई है, जिनका जिलेवार, अभ्यारण्यवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। चीता राज्य में नहीं पाया जाता है।

राज्य में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों में पीने के पानी के लिये सामान्यतः पर्याप्त जलस्त्रोत उपलब्ध हैं। पानी की अतिरिक्त व्यवस्था के लिये जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे वन्यजीवों के लिए पानी उपलब्ध रहता है। गर्मियों के दौरान इन स्थलों पर टैंकरों द्वारा पानी भरा जाकर पेयजल की व्यवस्था की जाती है।

(3) प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों में पानी की कमी के कारण वन्यजीवों के शहरी क्षेत्र में आने के कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुये हैं तथा न ही इस कारण किसी वन्यजीव का लोगों द्वारा शिकार किया जाना पाया गया है।

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में राज्य में बघेरों की अकाल मुत्यु का जिलेवार, अभ्यारण्य विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	नाम अभ्यारण्य	मृत बघेरों की संख्या का वर्षवार विवरण			योग
			2008-09	2009-10	2010-11	
1.	पाली	-	1	1	6	8
2.	उदयपुर	-	4	3	4	11
3.	राजसमन्द	-	1	2	1	4
4.	प्रतापगढ़	-	-	-	1	1
5.	चित्तौड़गढ़	-	-	-	1	1
6.	बांसवाड़ा	-	2	2	3	7
7.	धौलपुर	-	-	1	-	1
8.	जयपुर	-	1	-	-	1
9.	जयपुर	नाहरगढ़/ जमवारामगढ़	-	2	2	4
10.	सवाई माधोपुर	रणथम्भौर अभ्यारण्य	2	3	2	7
11.	अलवर	सरिस्का अभ्यारण्य	-	2	-	2
	योग		**11**	**16**	**20**	**47**

परिशिष्ट 'ख'

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये की जा रही कार्यवाही का विवरण :-

वन्यजीवों के लिये उपयुक्त आवास का विकास।

क्षेत्र में स्टाफ द्वारा गश्त की जाती है।

संवेदनशील स्थानों पर भूतपूर्व सैनिक, होम गार्ड की तैनाती की जा रही है।

सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है।

वायरलैस नेटवर्क कायम किया गया है।

राज्य में वाइल्ड लाइफ क्राइम के नियंत्रण हेतु राज्य से बेहतर समन्वय के लिये भारत सरकार में वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्टोल ब्यूरो का गठन किया गया है।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में मगरमच्छों से पशु एवं जनहानि की रोकथाम

322. **श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी** (सहाड़ा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के पोटला तालाब में मगरमच्छ हैं?

(2) क्या उक्त मगरमच्छों द्वारा पूर्व में गांव में पशुधन एवं जनहानि का कृत्य किया गया?

(3) क्या सरकार मगरमच्छों से पशुधन एवं मनुष्यों से मगरमच्छों को बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। ग्रीष्म ऋतु में तालाब सूखने की स्थिति में मगरमच्छों के पानी की तलाश में बाहर जाने पर मगरमच्छों को अथवा मगरमच्छों से पशुधन हानि की सम्भावना हो सकती है। इस समस्या के निदान हेतु मगरमच्छों के प्राकृतिक निवास स्थल के निकट एक टैंक 30 मीटर x15 मीटर का बनाया गया है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में समीप की नर्सरी के नलकूप से आवश्यकता होने पर टैंक में पानी भरा जावेगा एवं मगरमच्छों को पानी के अभाव में बाहर जाने से रोका जाना सम्भव होगा।

सिरोही जिला में वन भूमि पर अतिक्रमण

323. **श्री राईया मीणा** (आसपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राईया मीणा)

(1) क्या यह सही है कि जिला सिरोही में वन भूमि पर पक्के/कच्चे निर्माण के रूप में अतिक्रमण किये हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस वन क्षेत्र में? वन क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं एवं सरकार द्वारा अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक क्या-क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मातरमाता, आम्बेश्वर एवं काम्बेश्वरजी रेंज में भी अतिक्रमण किये गये हैं एवं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति द्वारा? अतिक्रमणकर्ता का नाम खसरा नं. सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अतिक्रमण की जानकारी सरकार को कब हुई एवं अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार अब उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी हां। आबूरोड रेंज, वन्य जीव आबू पर्वत एवं तलेटी रेंज के वन क्षेत्रों में खेती एवं आवास हेतु दर्ज अतिक्रमण प्रकरणों में कुछ प्रकरणों में कच्चे/पक्के निर्माण हुये हैं। उक्त अतिक्रमण वन खण्ड डेरना, किवरली, देलदर, आबूलीज वनखण्ड, शालगांव, तोरना, हैटनजी, आरणा, सैन्टमेरी एवं अवर्गीकृत वन क्षेत्र में हुये हैं। अतिक्रमण होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत प्रकरण दर्ज कर दिये गये, अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। प्रकरण न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) मातरमाता वनखण्ड में मातरमाताजी एवं आम्बेश्वरजी महादेव का मंदिर स्थित है एवं कानाकोलर वन खण्ड में काम्बेश्वरजी महादेव का मंदिर स्थित है। उक्त धार्मिक स्थलों पर रिकार्ड एवं मौके के अनुसार वनभूमि पर अतिक्रमण का कोई प्रकरण नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 में दिये गये उत्तर के अनुसार उक्त क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होने से कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सीकर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कें

324. श्री पेमाराम (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर ज़िला में उप खण्ड सीकर, फतेहपुर व नीमकाथाना में वर्ष 2005 से 2010 तक डामर सड़कों के पेचवर्क के कार्य किन-किन सड़कों पर किया गया तथा पेचवर्क का कार्य करने वाले ठेकेदारों को कब तक का भुगतान कर दिया गया है?

(2) उक्त पेचवर्क कार्यों पर तीनों उप खण्डों में प्रत्येक उपखण्डवार कितनी-कितनी राशि वर्षवार व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पेचवर्क कार्यों हेतु कितनी मात्रा में वर्षवार डामर किस रिफाइनरी से कितनी राशि की क्रय की गई?

उत्तर

(1) सीकर जिले में उपखण्ड सीकर, फतेहपुर व नीमकाथाना में वर्ष 2005 से फरवरी, 2011 तक जिन डामर सड़कों पर पेचवर्क कार्य कराया गया है, की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। संवेदकों को पेचवर्क के भुगतान का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त पेचवर्क कार्यों पर तीनों उपखण्डों में वर्षवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत है।

(3) विभागीय श्रमिकों से कराये गये पेचवर्क हेतु ही विभाग द्वारा डामर क्रय किया गया है। विवरण परिशिष्ट-4 में प्रस्तुत है। संवेदकों द्वारा किये पेचवर्क कार्य के लिये डामर, अनुबन्ध के अनुसार, स्वयं संवेदक द्वारा ही क्रय किया जाता है।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बीकानेर के पूगल फांटा से नूरसर फांटा तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

325. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बीकानेर के पूगल फांटा से नूरसर फांटा तक बत्तीस किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बीकानेर जिले में पूगल फांटा से नूरसर फांटा (एस.एच.-03) तक 27.2 कि.मी. में पेच मरम्मत कार्य माह अक्टूबर, 2010 में पूर्ण कर दिया गया था, पुनः वर्षा के कारण सड़क आंशिक क्षतिग्रस्त है। इसकी मरम्मत राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर करवाया जाना प्रस्तावित है।

मकराना विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

326. **श्री जाकीर हुसैन गैसावत** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना की कौन-कौनसी डामर सड़कें कहां से कहां तक कब से क्षतिग्रस्त हैं? चैनेजवार प्रत्येक क्षतिग्रस्त सड़क की लम्बाई, निर्माण वर्ष, योजना, कार्यकारी एजेन्सी, संवेदक, लागत, गुणवत्ता रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखे जाने से सड़कें जगह-जगह से टूट चुकी हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त डामर सड़कों का पुनः डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में 50.00 कि.मी. सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की चैनेजवार लम्बाई, निर्माण वर्ष, योजना, कार्यकारी एजेन्सी, संवेदक, लागत एवं गुणवत्ता रिपोर्ट सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। समयावधि अनुसार सड़कों पर पेच इत्यादि होना सामान्य प्रक्रिया है अतः कोई जिम्मेदार नहीं है।

(3) जी हां। उक्त 22 क्षतिग्रस्त सड़कों में से 8 सड़कों पर आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर है, शेष 14 क्षतिग्रस्त सड़कों पर पुनः डामरीकरण का कार्य राज्य सरकार की सड़क विकास नीति के सामयिक चक्रानुसार, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

327. **श्रीमती सज्जन कटारा** (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रामपुरा से झाडोल क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण/मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण आगामी वर्षों में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। रामपुरा से झाडोल सड़क पर पेच मरम्मत का कार्य तो पूर्ण किया जा चुका है, परन्तु बड़ी मरम्मत का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्भर करेगा।

नगरपालिका बयाना भरतपुर की क्षतिग्रस्त पुलिया

328. **श्री ग्यारसाराम कोली** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका बयाना पैराफरी में भीमनगर से कुण्डा तक की सड़क क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या यह भी सही है कि सडक पर महावर कालोनी के आबादी के पानी निकास की पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है? यदि हां, तो क्या उक्त कारण आबादी का गंदा पानी रूक जाने से सड़ रहा है और बीमारी फैलने की सम्भावना है?

(3) क्या उक्त पुलिया के टेंडर हो गये हैं? यदि हां, तो कब तक निर्माण पूर्ण करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भीमनगर से कुण्डा सड़क पर माह अक्टूबर, 2010 में पेच मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया गया था। तत्पश्चात् बारिश होने से सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

(2) जी हां। जी नहीं। जी नहीं।

(3) जी हां। निर्माण कार्य 30 अप्रैल, 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

महावर कालोनी के आबादी के पानी निकास हेतु निर्माणाधीन पुलिया का विवरण

कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख)	निविदा प्राप्ति दिनांक	योजना	कार्यादेश राशि (रु. लाख)	कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
क्षतिग्रस्त पुलिया का पुर्ननिर्माण कार्य बयाना हिण्डौन सड़क कि.मी. 41 (एस.एच. 01)	1.50	29-7-2010	रोड रिपेयर प्रोग्राम	1.48	30.4.2011	वर्षा का पानी जमा होने के कारण यह कार्य निर्धारित समय पर प्रारम्भ नहीं हो सका था। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है तथा 30 अप्रैल, 2011 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

329. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में गत दो वर्ष में सड़कों के नवीनीकरण, पेचवर्क,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मरम्मत एवं नई सड़कों के निर्माण के कितने-कितने कार्य कहां-कहां पर करवाये गये हैं एवं इन पर कितनी राशि का व्यय किया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की काछवा से रूल्याणी, पाटोदा से फागलवा वाया बठोठ, बगड़ी से बादुसर एवं जाजोद से राजास सड़कों का नवीनीकरण गत तीन वर्षों में नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र को कूदन से पालड़ी नेशनल हाइवे-11 से यालसर, जाजोद से बाटड़ानाऊ, नेशनल हाइवे-11 से दीनवा पाटान, काछवा से मिलूण्डा, सूतोद से तिड़ोरी छोटी, काछवा से घिरणियां बड़ा आदि सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में गत दो वर्षों (वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10) में नवीनीकरण, पेचवर्क व मरम्मत एवं नवीन निर्मित सड़क कार्यों का विवरण मय व्यय राशि, विधान सभा क्षेत्रवार परिशिष्ट-1, 2 व 3 में प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राज्य सड़क विकास नीति के सामयिक चक्रानुसार नवीनीकरण हेतु उक्त चार सड़कों में से तीन सड़कें ही समयावधि पार हैं। इनमें से एक कार्य आर.आई.डी.एफ.-16 के अन्तर्गत प्रगतिरत है। शेष 3 सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। विवरण परिशिष्ट-4 में प्रस्तुत है।

(3) जी हां। उक्त सड़कों में से काछवा से भिलूण्डा एवं काछवा से घिरणियां बड़ा दो सड़कों पर पेच मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिया गया है। शेष 5 सड़कों पर मरम्मत कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-5 में प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बीकानेर जिले में सड़कों का नवीनीकरण

330. **डॉ. गोपाल जोशी** (बीकानेर पश्चिम) एवं **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सडकों के नवीनीकरण करने के क्या मानदण्ड हैं एवं उस मानदण्ड के मुताबिक गत 5 वर्षों में जिला बीकानेर में कितनी सड़कों का नवीनीकरण किया गया? नवीनीकृत सड़कों का नाम मय राशि, स्वीकृति दिनांक मय कार्य पूर्ण होने का दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नवीनीकरण के मानदण्ड की अवधि पार होने के बावजूद जिला बीकानेर की नवीनीकरण नहीं की जाने वाली सड़कों का नाम (गांव/मौहल्ला/ वार्ड) की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब जिला बीकानेर की उक्त सड़कों का कब तक नवीनीकरण कर दिया जावेगा? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में सड़कों के नवीनीकरण के मानदण्ड भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्ठ संख्या-82-1982 एवं राजस्थान सरकार की सड़क विकास नीति 1994 में निहित है। सम्बन्धित भागों की प्रतिलिपियां क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत हैं।

मापदण्डानुसार गत 5 वर्षों (अप्रैल, 2005 से मार्च, 2010) में बीकानेर जिले में 296 सड़कों का नवीनीकरण किया गया। नवीनीकृत सड़कों के नाम, स्वीकृत राशि, स्वीकृति दिनांक एवं कार्य पूर्ण करने का दिनांक परिशिष्ट-3 में प्रस्तुत है।

(2) नवीनीकरण के निर्धारित मापदण्ड की अवधि पार होने के पश्चात् जिला बीकानेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की जिन सड़कों का नवीनीकरण नहीं किया गया है, की सूची मय विवरण परिशिष्ट-4 में प्रस्तुत है।

(3) जिला बीकानेर की उक्त सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(प्रतियां व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

सादुलपुर-पिलानी मार्ग रेल समपार पर पुल निर्माण

331. **श्रीमती कमला कस्वां** (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती कमला कस्वां)

(1) क्या सादुलपुर रेलवे स्टेशन के पूर्व साइड में सादुलपुर पिलानी मार्ग रेल समपार पर सड़क ऊपरी पुल के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? उक्त इस संबंध में प्रस्ताव रेलवे को भेजा गया है? यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) क्या उक्त संबंध में कोई ट्रैफिक सर्वे करवाया है? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है तथा इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और उक्त प्रस्ताव के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जी नहीं। यह समपार फाटक नगरपालिका सीमा में है, अतः पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग द्वारा किया जाना है। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में पुल निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां। रेलवे विभाग द्वारा वर्ष 2007 में सर्वे करवाया गया था। जिसके अनुसार टी.वी.यू. 159090 है। कार्य की अनुमानित लागत रुपये 35 करोड़ होगी। इसका निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। समय सीमा तय नहीं की गई है।

भरतपुर क्षेत्र में बृज 84 कोस पैदल परिक्रमा पथ निर्माण कार्य

332. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो भरतपुर से गुजरता है, के पैदल परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग से परिक्रमा मार्ग स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो वर्तमान में कितना बनाया गया और कितना शेष है तथा बने हुए पैदल परिक्रमा पथ की वर्तमान में क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। प्रचलित परिक्रमा मार्ग की डामर सड़क पर 10.55 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण तथा डामर सड़क के एक तरफ स्वीकृत लम्बाई 22.85 कि.मी. में कच्चे रास्ते (पैदल पथ) का निर्माण कराया गया।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

पैदल पथ का कार्य शेष नहीं है।

वर्तमान में पैदल पथ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत गारण्टी अवधि में अनुबन्धानुसार करवाया जाना प्रस्तावित है।

सिरोही जिले में नर्मदा नदी से जलापूर्ति

333. **श्री ओटाराम देवासी** (सिरोही): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में सरकार द्वारा जिला सिरोही में नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाये जाने के लिए योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो उसमें जिले के कौन-कौन से गांव सम्मिलित किए गए थे?

(2) क्या सरकार उक्त योजना को अमल में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

बाली विधान सभा क्षेत्र में मादरा की नाल बांध की भराव क्षमता में वृद्धि हेतु व्यय राशि

334. **श्री पुष्पेन्द्र सिंह** (बाली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाली में मादरा की नाल बांध की भराव क्षमता कम है तथा इसके आवक फीडरों में वर्षा जल की अच्छी आवक हो जाती है? यदि हां, तो वर्तमान भराव क्षमता, ऊंचाई व सिंचित क्षेत्र में पड़ने वाले गांव/ढाणियों व लाभान्वितों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध की ऊंचाई बढ़ाने से सादडा व गुढा कल्याण सिंह आदि गावों के सैकड़ों किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सकती है? यदि हां, तो नरेगा, वाटर हार्वेस्टिंग योजना के तहत उक्त बांध पर कब-कब कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कराये गये? पूर्ण/अपूर्ण कार्यों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बांध की पर्याप्त ऊंचाई बढ़ाकर सादड़ा व गुढा

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

कल्याण सिंह के लघु सीमान्त काश्तकारों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा बाली के मादरा की नाल बांध की भराव क्षमता कम नही है बांध के जलग्रहण क्षेत्र से उपलब्ध पानी की मात्रा को पूरा संग्रहित किया हुआ है। बांध की वर्तमान में भराव क्षमता 16.55 mcft ऊंचाई 6.00 मीटर व सिंचित क्षेत्र 165 एकड़ है, इसके सिंचित क्षेत्र में पड़ने वाला गांव सादड़ा है तथा लाभान्वित काश्तकारों की संख्या 84 है, जिसकी सूची; परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नही। बांध की ऊंचाई बढाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केचमेन्ट से जो पानी की आवक प्राप्त हो रही है वो पूरी संग्रहित कर ली गई है अतः अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा नही हो सकती है। मादरा की नाल बांध पर नरेगा योजना में स्वीकृत कार्य पर अब तक वर्ष 2009-10 के दौरान कुल 271203 रुपये खर्च किये गए हैं जिससे बांध की पाल के मरम्मत एवं सुधार का कार्य पूर्ण करवाया गया है।

(3) जी नही। बांध की ऊंचाई नही बढ़ाई जा सकती क्योकि जल ग्रहण क्षेत्र से जो पानी की आवक प्राप्त हो रही है वो पूरी रोक ली गई है। चूंकि बांध की भराव क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती अतः अतिरिक्त किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार नही है।

परिशिष्ट 'अ'

मादरा की नाल बांध से कमाण्ड क्षेत्र के काश्तकारों की सूची

क्र.सं.	नाम काश्तकार
1	श्री मोना पुत्र उमाजी
2	श्री परबतसिंह पुत्र भीकसिंह
3	श्री जुंजारसिंह पुत्र केशरसिंह
4	श्री भैरूसिंह पुत्र हरिसिंह
5	श्री मगसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
6	श्री प्रतापसिंह पुत्र रावत सिंह
7	श्री हरिसिंह पुत्र अरवेसिंह
8	श्री शैतानसिंह पुत्र अमरसिंह

क्र.सं.	नाम काश्तकार
9	श्री नाथुसिंह पुत्र मेघसिंह
10	श्री महेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह
11	श्री वजाराम पुत्र जेताजी जणवा
12	श्री खेताराम पुत्र वेलाजी मैं
13	श्री लुम्बाराम पुत्र मकनाजी
14	श्री गोविन्दसिंह पुत्र पेपसिंह
15	श्री भीकाराम पुत्र पाताजी
16	श्री रूपसिंह पुत्र कानसिंह
17	श्री हुकमसिंह पुत्र सोहनसिंह
18	श्री गोमाराम पुत्र भीमाराम
19	श्री राजूसिंह पुत्र चिमनसिंह
20	श्री हकाराम पुत्र जसाजी
21	श्री तलसा पुत्र टेकाजी
22	श्री जगा पुत्र पुनाजी
23	श्री जब्बरसिंह पुत्र बिडदसिंह
24	श्री सवाईसिंह पुत्र सादुलसिंह
25	श्री जब्बरसिंह पुत्र मंगलसिंह
26	श्री पृथ्वीसिंह पुत्र थानसिंह
27	श्री विजयसिंह
28	श्री मोडसिंह
29	श्री कानसिंह पुत्र सादूलसिंह
30	श्री नारायणसिंह पुत्र सादूलसिंह
31	श्री हनवन्तसिंह पुत्र जसवन्तसिंह
32	श्री बाबूसिंह पुत्र केशरसिंह
33	श्री मांगूसिंह पुत्र सोहनसिंह
34	श्री सवाईसिंह पुत्र नाहरसिंह
35	श्री जसवन्तसिंह पुत्र दौलतसिंह
36	श्री सरदारसिंह पुत्र थानसिंह
37	श्री लुम्बाराम पुत्र खंगारजी जणवा
38	श्री मूलसिंह पुत्र दौलतसिंह

क्र.सं.	नाम काश्तकार
39	श्री खेताराम पुत्र वेलाजी
40	श्री जालमसिंह पुत्र केशरसिंह राजपूत
41	श्री गेमाराम पुत्र रामाजी मेगवाल
42	श्री तलसाराम पुत्र वालाजी मेगवाल
43	श्री लालाराम पुत्र नथाजी मेगवाल
44	श्री वदाराम पुत्र ओटाजी मेगवाल
45	श्री खेताराम पुत्र नवाराम मेगवाल
46	श्री धनाराम पुत्र भेराजी रबारी
47	श्री दातारसिंह पुत्र बिडदसिंह
48	श्री मानाराम पुत्र हेमाराम कुम्हार
49	श्री धनाराम पुत्र ओवाराम
50	श्री मगाराम पुत्र हेमाजी
51	श्री देवाराम पुत्र मेघाजी जणवा
52	श्री पकाराम चमनाजी सुथार
53	श्री चेचाराम पुत्र मनरुपजी
54	श्री मंसाराम पुत्र भैराजी हिरागर
55	श्री दूदाराम पुत्र गमनाजी जणवा
56	श्री मोतीलाल पुत्र रुपाजी
57	श्री मंसाराम पुत्र भैराजी हिरागर
58	श्री सकाराम पुत्र चेलाजी हिरागर
59	श्री मगाराम पुत्र चेलाजी हिरागर
60	श्री मांगीलाल पुत्र चेलाजी हिरागर
61	श्री छोगाराम पुत्र भगाजी
62	श्री उमाराम पुत्र मेघाजी
63	श्री नेकाराम पुत्र लादाजी
64	श्री देवाराम पुत्र वीराजी मै.
65	श्री वक्ताराम पुत्र देवाजी
66	श्री मेघाराम पुत्र वेलाजी मै.
67	श्री खंगारराम पुत्र खुमाजी रबारी
68	श्री मूलाराम पुत्र खुमाजी

क्र.सं.	नाम काश्तकार
69	श्री गमनाराम पुत्र वेलाजी मै.
70	श्री मांगीलाल नवाराम पुत्र रताजी
71	श्री खंगारराम पुत्र केसाजी रबारी
72	श्री जुहारमल पुत्र मूलाजी लुहार
73	श्री रामनाराम पुत्र जीवाजी रबारी
74	श्री बाबरराम पुत्र वक्ताराम
75	श्री रावताराम पुत्र वक्ताराम
76	श्री जेठाराम पुत्र लादाजी
77	श्री देवाराम पुत्र जेठाजी
78	श्री छोगाराम पुत्र दौलाजी
79	श्री जब्बरसिंह पुत्र बिडदसिंह
80	श्री मोतीलाल पुत्र रूपाजी जणवा
81	श्री देवाराम पुत्र कूपाजी
82	श्री वनाराम पुत्र लादाजी रबारी
83	श्री धीराराम पुत्र सदाजी रबारी
84	श्री वनाराम पुत्र सदाजी

कोटा सम्भाग की प्रस्तावित परवन वृहद सिंचाई परियोजना

335. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां/कोटा व झालावाड़ की परवन वृहद सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इससे उक्त जिलों के कितने गांवों की कितनी भूमि सिंचित होना प्रस्तावित है?

(2) क्या सरकार इसको स्वीकृत करने की स्थिति में है? यदि हां, तो कब तक?

(3) वर्तमान समय में परियोजना किस स्तर पर विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जी हां। बारां, कोटा एवं झालावाड़ जिलों में 313 गांवों में 1,31,400 हैक्टेयर भूमि सिंचित होना प्रस्तावित है।

(2) केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) वर्तमान में परियोजना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में विचाराधीन है।

केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र के चाकल बांध के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि

336. श्री सी.एल. प्रेमी (केशोरायपाटन) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन में चाकल बांध से अनेक गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हां, तो चाकल बांध की भराव क्षमता, नहरों की लम्बाई, तथा वर्षा के दौरान आवक/नहरों व वर्तमान सिंचित क्षेत्र में पड़ने वाले गांव/ढाणियों व सिंचित क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत वर्षों से चाकल बांध के सिंचित क्षेत्र के आसपास के अन्य गांव/ढाणिवासियों ने बांध में निरन्तर वर्षाजल की अच्छी आवक व अच्छी भराव क्षमता को देखते हुए अनेक गांव शेरगढ़, हिम्मतपुरा, गुढा आदि लगभग 10-12 गांवों को इस बांध के सिंचित क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त गांवों को चाकल बांध के सिंचित क्षेत्र में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। शेरगंज व हिम्मतपुरा आदि गांवों को सिंचित क्षेत्र में शामिल नही किया गया है क्योकि इन गांवों की भूमि नहर के एफ.एस.एल. (पूर्ण जल भराव स्तर) से ऊपर स्थित है। गुढा गांव को सिंचित क्षेत्र में शामिल किया गया है।

(3) जी नहीं।

श्रीगंगानगर जिले के विकलांगों को स्वीकृत ऋण

337. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2010 से 31 जनवरी, 2011 तक जिला श्रीगंगानगर में

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कितने विकलांगों को किस-किस योजना में लाभान्वित किया गया है तथा कितने आवेदक लाभान्वित होने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा श्रीगंगानगर जिले के कितने विकलांग व्यक्तियों को ऋण दिया गया तथा कितनों की पेंशन स्वीकृत हुई है? जनवरी, 2010 से 31 जनवरी, 2011 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) श्रीगंगानगर में कितने छात्रावास संचालित हैं व प्रत्येक छात्रावास में कितने-कितने विद्यार्थी हैं तथा विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2010 से 31 जनवरी, 2011 तक श्रीगंगानगर जिले में 533 नि:शक्तजनों को विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित किया गया है।

योजनावार लाभान्वित एवं शेष रहे आवेदनों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विभाग द्वारा जनवरी, 2010 से 31 जनवरी, 2011 तक श्रीगंगानगर जिले के 35 विकलांग व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया तथा 1412 विकलांग व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गई है। विवरण परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' पर उपलब्ध है।

(3) विभाग द्वारा श्रीगंगानगर जिले में 21 राजकीय एवं 4 अनुदानित कुल 25 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

प्रत्येक छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों की संख्या परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

विद्यार्थियों को 1000 रुपये प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से साढ़े नौ माह हेतु मैस भत्ता स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा नि:शुल्क आवास सुविधा, तीन माह हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था, खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं खेलकूद का सामान, अनावर्तक सामान आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट 'य' पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर जिले के संचालित छात्रावासों में रिक्त पद

338. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं तथा उक्त छात्रावासों में कितने छात्रों की प्रवेश क्षमता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक, वार्डन व अन्य कितने-कितने पद स्वीकृत व कितने-कितने कार्यरत तथा कितने-कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अलवर जिले में 29 राजकीय छात्रावास संचालित हैं। छात्रावासों में प्रवेश क्षमता की सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) अलवर जिले के छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षकों के 29 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 22 पद स्वीकृत हैं। जिनमें वर्तमान में 24 छात्रावास अधीक्षक एवं 19 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं। छात्रावास अधीक्षक के 5 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3 पद रिक्त हैं।

(3) छात्रावासों में रिक्त पदों को सेवानिवृत कर्मचारियों से भरने हेतु प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश क्रमांक एफ.17( )(ई) परावि प.2/पु.नि./2010/3696 दिनांक 09.11.2010 के द्वारा जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर को निर्देशित किया जा चुका है।

परिशिष्ट 'अ'

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अलवर जिले में संचालित छात्रावासों का विवरण

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत क्षमता
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अलवर-1	80
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बानसूर	35

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत क्षमता
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बहरोड़	35
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कठूमर	45
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खैरथल	35
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, खेडली	50
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजगढ़-3	35
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, थानागाजी	35
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, तिजारा	50
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, किशनगढ़बास	25
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मल्लाना (राजगढ़)	50
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मुण्डावर	25
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, टिटपुरी (कठूमर)	25
14	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, अलवर	40
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, हजूरीगेट, अलवर-3	35
16	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लक्ष्मणगढ़	25
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजगढ़-2	35
18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, अलवर-2	55
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, गढीसवाईराम	40
20	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नारायणपुर	25
21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजगढ़	65
22	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रेणी	35
23	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सकट	25
24	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, किशनगढ़बास	25
25	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, मुण्डावर	25
26	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, थानागाजी	50
27	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, बानसूर	50
28	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, राजगढ़	50
29	राजकीय देवनारायण बालिका छात्रावास, अलवर	50
	योग : 29	**1155**

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ : 17()(ई)पराविं/प्र.2/पु.नि./2010/3696 जयपुर, दिनांक 9.11.2010

आदेश

विषय :- सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय आदेश क्रमांक प. 17 ई () पंरावि/प्र-2/ पुनर्नियोजित/2010/3554 दिनांक 28.10.2010

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक आदेश के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभागों के अलग-अलग संवर्गों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध सेवा निवृत्त होने वाले अथवा पूर्व में सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनर्नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देशों की निरन्तरता में पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कार्यवाही हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

1. जिला कलक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि जो अति. जिला कलक्टर स्तर से कम न हो – अध्यक्ष
2. जिला परिषद का प्रतिनिधि-राजपत्रित अधिकारी-सदस्य
3. सम्बन्धित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी-सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा जिला स्तर पर पुनर्नियुक्ति किये जाने हेतु सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा कार्मिक विभाग के मेमोरेन्डम क्रमांक एफ 17(10) डीओपी/क-2/94 दि. 31.10.1995 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर समुचित निर्णय लिया जायेगा। उक्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रसांगिक आदेश क्र. 3554 दि. 28.10.2010 एवं 3592 दि. 29.10.2010 में वर्णित शर्तों व परिलाभों के अनुसार पुनः नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

उक्त कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. हस्तान्तरित 5 विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर पुनर्नियोजन हेतु सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा

पदों के बारे में नियुक्ति हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य/स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से प्रसारित की जावेगी (प्रारूप संलग्न-परिशिष्ट "A")। प्राप्त आवेदन पत्रों की उक्त समिति द्वारा संवीक्षा करने के बाद ही पात्र अभ्यर्थियों को संविदा पर पुनर्नियोजन किया जावेगा।

2. रिक्त पदों के विरुद्ध पुनर्नियोजित होने वाले कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, उस पद के समान होना आवश्यक है, जिस पद पर पुनर्नियुक्ति दी जा रही है।

3. उक्त समिति द्वारा पुनर्नियोजन सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने या दो वर्ष की अवधि (जो भी पहले हो) तक ही किया जा सकेगा। संविदा पर पुनर्नियोजन पद विशेष के लिए स्थानान्तरण/पदोन्नति/सीधी भर्ती आदि के माध्यम से, उक्त रिक्त पद भरे जाने तक ही प्रभावशील रहेगा।

4. ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अन्य कारणों से प्रोविजनल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे पंचायती राज संस्थाओं अथवा हस्तान्तरित विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर पुनर्नियोजन के पात्र नहीं होंगे।

5. उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संविदा पर पुन:नियोजन के समय कार्मिक विभाग द्वारा प्रसारित मेमोरेन्डम क्रमांक एफ 17 (10) डीओपी/क-2/94 दि. 31.10.1995 के साथ संलग्न प्रारूप बन्धक पत्र (Under taking) व समझौता पत्र (Agreement) प्राप्त किया जावेगा, जिसमें यह तथ्य अंकित किया जावेगा कि उक्त कार्मिक द्वारा नियत अवधि में कार्य सम्पादन के दौरान पंचायती राज संस्था अथवा राज्य सरकार को कारित आर्थिक क्षति की वसूली एवं अन्य विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जा सकेगी।

6. संविदा पर पुनर्नियोजित कार्मिक की सेवायें असंतोषजनक पाये जाने पर पुनर्नियुक्त कर्मचारी को 15 दिन का नोटिस दिया जाकर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार उक्त कार्मिक द्वारा 2 माह का अग्रिम नोटिस दिया जाकर संविदा समाप्त कर सकेगा।

7. विभागीय आदेश क्रमांक 3592 दिनांक 29.10.2010 के द्वारा जिला स्थापना समिति के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं/पंचायती राज विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर पुनर्नियुक्त हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

8. पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति जिला स्थापना समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) द्वारा हस्तान्तरित विभागों के लिये अपनाई गई प्रक्रिया ही अपनाई जावेगी। जिला स्थापना समिति सम्बन्धित जिला परिषद द्वारा उक्त निर्देशों के अनुसार पुनर्नियुक्ति की जावे।

9. उक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा पंचायती राज संस्थाओं में उपलब्ध पदों पर नियुक्त कार्मिकों के वेतन का निर्धारण लेखाधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया जावेगा।

अभी जिला परिषदों को हस्तान्तरित विभागों में राज्य सरकार स्तर से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध उपलब्ध रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा की जावेगी।

प्रमुख शासन सचिव

बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र के विकलांगों/विधवा के पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन

339. श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विकलांग, विधवा, विक्षिप्त अनाथ किन-किन प्रार्थियों ने पेंशन प्राप्ति हेतु आवेदन किये? नगर निगम, नगरपालिका के वार्डवार व पंचायतवार आवेदक प्रार्थियान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवेदकों में से अधिकांश को अब तक पेंशन जारी नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों और पेंशन जारी नहीं होने के कारण सहित पेंशन जारी नहीं करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त में से बहुत से आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो आवेदन प्राप्ति के कितने दिन बाद एवं किस स्तर पर आवेदन निरस्त किया गया? निरस्त करने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त निरस्त प्रकरणों में आवेदकों की परिस्थितियों को देखते हुए उनको पुनर्जीवित कर आवेदक को पेंशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विकलांग, विधवा एवं वृद्धजन द्वारा पेंशन हेतु किये गये आवेदनों की नगर निगम, नगरपालिका के वार्डवार व पंचायतवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

"मानसिक विमंदित" विकलांग पेंशन के नियमों में ही पात्र माने गये हैं।

(2) जी नहीं। उक्त आवेदकों के प्राप्त 1663 आवेदनों में से 1629 आवेदनों को स्वीकृत कर पेंशन जारी कर दी गई है।

(3) जी नहीं। प्राप्त 1663 आवेदनों में से केवल 34 ही आवेदन निरस्त किए गये हैं जिनकी सूची मय कारण व अवधि सहित परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) उक्त निरस्त प्रकरणों में आवेदकों के द्वारा पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण आवेदन निरस्त किये गये हैं। अतः इन्हें पुनर्जीवित करने का विचार नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ में उपभोक्ता थोक भण्डार का गठन

340. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला प्रतापगढ़ की किस-किस तहसील में कुल कितने लैम्पस् इस वर्ष नये गठित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ पर उपभोक्ता थोक भण्डार का गठन अब तक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिला मुख्यालय पर उपभोक्ता थोक वस्तुएं, दवाइयां रियायती दर पर उपलब्ध नहीं हो रही हैं जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी है?

(4) उपभोक्ता थोक भण्डार के गठन में अब तक विभाग की सक्रियता में कहां तक प्रगति हो चुकी है और उपभोक्ता थोक भण्डार का गठन कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ जिले में इस वर्ष कुल 15 नये लैम्पस् का गठन किया गया है, लैम्पवार विवरण निम्न है:-

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	नाम लेम्पस
1	अरनोद	जाजली
2		रायपुर
3		चकुण्डा
4	प्रतापगढ	बघेरा
5		बारावरदा
6		फागडी
7		चिकलाड
8		थडा
9		गादोला
10	पीपलखुंट	सोहलपुरा
11		पृथ्वीपुरा
12		डूंगलावानी
13	धरियावद	नलवा
14		देवला
15		चरी

(2) प्रतापगढ़ पूर्व में चितौड़गढ़ जिले का हिस्सा था जहां चित्तौड़गढ़ जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार की शाखा कार्यरत है। प्रतापगढ़ में जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार के गठन की कार्यवाही वर्ष 2011-12 में की जानी प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रतापगढ़ जिले में नया जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार के गठन के लिए सहायक रजिस्टार प्रतापगढ द्वारा सर्वे कार्य करवाया जा रहा है। सर्वे पूर्ण होने पर निर्धारित हिस्सा राशि प्राप्त कर गठन की कार्यवाही की जावेगी।

बायतू विधान सभा क्षेत्र में संचालित सहकारी समितियां/बैंक

341. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बायतू में कुल कितनी सहकारी समितियां एवं सहकारी बैंक संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों का गठन कर सहकारिता को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र बायतू में कुल 67 सहकारी समितियां और केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बाडमेर की दो शाखाएं कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) नई सहकारी समिति के गठन हेतु मापदण्ड निर्धारित है। ग्राम पंचायत स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने एवं निर्धारित मापदण्ड पूरे करने पर ही सहकारी समिति का गठन किया जाता है।

परिशिष्ट-1

बायतू विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियां एवं सहकारी बैंक की सूची

क्र.सं.	समिति का नाम	किस जगह कार्यरत है
1.	बायतु पनजी ग्राम सेवा स.स.लि.	बायतु पनजी
2.	सवाउ मूलराज ग्राम सेवा स.स.लि.	सवाउ मूलराज
3.	सणतरा ग्राम सेवा स.स.लि.	सणतरा
4.	मलवा ग्राम सेवा स.स.लि.	मलवा
5.	बायतु चिमनजी ग्राम सेवा स.स.लि.	बायतु चिमनजी
6.	भुरटिया ग्राम सेवा स.स.लि.	भुरटिया
7.	परेऊ ग्राम सेवा स.स.लि.	परेऊ
8.	गिड़ा ग्राम सेवा स.स.लि.	गिड़ा
9.	कोलू ग्राम सेवा स.स.लि.	कोलू
10.	कानोड़ ग्राम सेवा स.स.लि.	कानोड़
11.	भीमड़ा ग्राम सेवा स.स.लि.	भीमड़ा

क्र.सं.	समिति का नाम	किस जगह कार्यरत है
12.	कोसरिया ग्राम सेवा स.स.लि.	कोसरिया
13.	माडपुरा बरवाला ग्राम सेवा स.स.लि.	माडपुरा बरवाला
14.	बायतु भीमजी ग्राम सेवा स.स.लि.	बायतु भीमजी
15.	अकदड़ा ग्राम सेवा स.स.लि.	अकदड़ा
16.	पनावड़ा ग्राम सेवा स.स.लि.	पनावड़ा
17.	खोखसर पश्चिम ग्राम सेवा स.स.लि.	खोखसर पश्चिम
18.	झाक ग्राम सेवा स.स.लि.	झाक
19.	बाटाड़ू ग्राम सेवा स.स.लि.	बाटाड़ू
20.	रतेऊ ग्राम सेवा स.स.लि.	रतेऊ
21.	सणफा ग्राम सेवा स.स.लि.	सणफा
22.	कसूम्बला ग्राम सेवा स.स.लि.	कसूम्बला
23.	सवाऊ पदमसिंह ग्राम सेवा स.स.लि.	सवाऊ पदमसिंह
24.	सोहड़ा ग्राम सेवा स.स.लि.	सोहड़ा
25.	खारड़ा ग्राम सेवा स.स.लि.	खारड़ा
26.	शहर ग्राम सेवा स.स.लि.	शहर
27.	कुम्पलिया ग्राम सेवा स.स.लि.	कुम्पलिया
28.	जाजवा ग्राम सेवा स.स.लि.	जाजवा
29.	हीरा की ढाणी ग्राम सेवा स.स.लि.	हीरा की ढाणी
30.	खोखसर ग्राम सेवा स.स.लि.	खोखसर
31.	नौसर ग्राम सेवा स.स.लि.	नौसर
32.	सेवनियाला ग्राम सेवा स.स.लि.	सेवनियाला
33.	साजीयाली ग्राम सेवा स.स.लि.	साजीयाली
34.	बड़वाना जागीर ग्राम सेवा स.स.लि.	बड़वाना जागीर
35.	पाटौदी ग्राम सेवा स.स.लि.	पाटौदी
36.	बागावास ग्राम सेवा स.स.लि.	बागावास
37.	रिछौली ग्राम सेवा स.स.लि.	रिछौली
38.	सिमरखिया ग्राम सेवा स.स.लि.	सिमरखिया
39.	कालेवा ग्राम सेवा स.स.लि.	कालेवा
40.	बायतू क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. बायतू	बायतू

क्र.सं.	समिति का नाम	किस जगह कार्यरत है
41.	बायतू प्राथमिक सहकारी भण्डार लि. बायतु	बायतू
42.	चुतरोणियों की ढाणी श्रमिक ठेक स.स.लि.	माडपुरा बरवाला
43.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	हीरा की ढाणी
44.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	सउओं की बेरी
45.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	माडपुरा बरवाला
46.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	कोसरिया
47.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	सवाउ पदमसिंह
48.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	पुनियों का तला
49.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	जोगासर
50.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	रिछौली
51.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	पाटौदी
52.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	बरनावा जागीर
53.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	चिलानाड़ी
54.	अपनी बचत घर योजना महिला स.स.लि.	पतासर
55.	सणफा खान मजदूर श्रमिक ठेक स.स.लि.	सणफा
56.	रामदेव पत्थर खान मजदूर स.स.लि.	खरटिया
57.	कानोड़ बुनकर हाथकरघा व.उ.स.लि.	कानोड
58.	चौखला बुनकर हाथकरघा व.उ.स.लि.	चौखला
59.	धारणा धोरा बहुउ. महिला स.स.लि.	बायतु भीमजी
60.	मरूधर महिला इनोवटिव स.सं.लि.	बाटाडू
61.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.	अणदाणियों की ढाणी
62.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.	चेनपुरा
63.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.	दुर्गापुरा
64.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.	गिड़ा
65	बागावास महिला दुग्ध उत्पादक स.स.लि.	बागावास
66.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.	सिमरखिया
67.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.	खरटिया
विधान सभा क्षेत्र बायतू में कार्यरत सहकारी बैंक की सूची		
क्र.सं.	**नाम सहकारी बैंक**	**किस जगह कार्यरत है**
1.	दी बाड़मेर सैण्ट्रल कोआ. बैंक लि. शाखा बायतु	बायतू
2.	दी बाड़मेर सैण्ट्रल कोआ. बैंक लि. शाखा सवाउ पदमसिंह	सवाउ पदमसिंह

उप रजिस्ट्रर
सहकारी/समितियां, बाड़मेर

अनूपगढ़ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड का नियम विरुद्ध संचालन

342. श्री पवन दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनूपगढ़ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड, अनूपगढ़ का आबंटन नियम विरुद्ध किया गया? यदि हां, तो उक्त संबंध में दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उपभोक्ता भण्डार का अनुबंध 3 वर्ष का था? यदि हां, तो इसका अनुबंध कब खत्म हुआ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान मेडीकल रिलिफ सोसाइटी अनूपगढ़ ने अनुबंध समाप्त होने पर अनूपगढ़ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड अनूपगढ़ को बन्द करने का प्रस्ताव पास करने के पश्चात् भी अब तक दुकान बन्द नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि अनुबंध समाप्ति की अवधि एवं कोर्ट स्टे के बीच की समय अवधि में उक्त उपभोक्ता भण्डार को खाली करवाने के लिये कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। दिनांक 31.8.2010 को अनुबन्ध की अवधि पूर्ण हो गई।

(3) जी हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्र दिनांक 27.09.2010 से अध्यक्ष अनूपगढ़ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार को सूचित किया है कि मेडिकल स्टोर हेतु आबंटित भूखण्ड अविलम्ब खाली करें। अनूपगढ़ भण्डार ने उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट संख्या 9302/2010 दायर की है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.09.2010 पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है।

(4) जी हां। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 27.9.2010 के पत्र से अध्यक्ष अनूपगढ़ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार को मेडिकल स्टोर हेतु आबंटित भूखण्ड अविलम्ब खाली करने हेतु नोटिस दिया है।

नागौर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता

343. **श्री अजय सिंह** (डेगाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऋण से हुए घाटे की पूर्ति किये जाने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो कब?

(2) गत पांच वर्षों में जिला नागौर के किन-किन सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कितनी राशि के घाटे की पूर्ति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अविलम्ब सभी किसानों को उनकी मांग के अनुरूप ऋण उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों की हानि की पूर्ति हेतु वैधनाथन पैकेज के अन्तर्गत राशि उपलब्ध कराई गई।

(2) नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक को भारत सरकार से ब्याज अनुदान के तहत गत पांच वर्षों में 415.69 लाख रुपये की राशि प्रदत्त की गई तथा राज्य सरकार द्वारा नये सदस्यों को फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक) में 77 लाख 87 हजार पांच सौ दस रुपये दिये गये हैं।

इसके अलावा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को वैधनाथन पैकेज के तहत प्रदत्त धनराशि का समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। पात्र एवं इच्छुक किसानों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाने का विचार रखती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

344. **श्री कैलाश चन्द भंसाली** (जोधपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड द्वारा संचालित सहकारी दवाओं की दुकानों पर गत दो वर्षों में स्टाफ द्वारा अनियमितता बरते जाने व गबन के मामले सामने आये हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जांच प्रतिवदेन में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-55 के तहत कराई गई दो जांच के प्रतिवेदन संलग्न हैं (परिशिष्ट- 1 एवं परिशिष्ठ 2)। संयुक्त रजिस्ट्रार, जोधपुर द्वारा एक और जांच की जा रही है।

(2) जांच प्रतिवेदन में दोषी कर्मचारियों श्री मांगी लाल टांक व श्री अमिताभ शर्मा तथा अनुबन्धिक कार्मिक श्री नरेन्द्र चौधरी, प्रवीण समलोक, सुमेर सिंह चंपावत के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-57 में कार्यवाही प्रक्रियारत है।

अनुबन्धित फार्मासिस्ट श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री विक्रेम देथा, श्री सुधिर साखीया, श्री सुरेश जांगीड, श्री खेम सिंह की सेवाऐं पैतृक संगठन को वापस लौटा दी हैं। श्री नरेन्द्र चौधरी के खिलाफ पुलिस थाना सरदारपुरा में एफ आई आर संख्या 268 दिनांक 19.10.2010 दर्ज करवाई गई है एवं इसके अलावा श्री नरेन्द्र चौधरी फार्मासिस्ट की सम्पती कुडक की गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन

345. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराटनगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कई ग्राम सेवा सहकारी समितियां एक से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा आकार भी बड़ा है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में सहकारी समितिवार कौन-कौनसी ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं तथा सहकारी समिति के

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

अन्तर्गत ग्राम पंचायत अनुसार सदस्यों की संख्या एवं हिस्सा राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौनसी सहकारी समितियां आकार/सदस्यता अनुरूप पुनर्गठन योग्य हैं?

(3) क्या सरकार नई ग्राम सहकारी समितियों के आवेदन प्राप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) नई ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने की क्या प्रक्रिया व शर्तें हैं?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के अन्तर्गत 16 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जो एक से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी ग्राम पंचायतवार सदस्य संख्या एवं हिस्सा पूंजी परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में सर्वे के आधार पर प्रथम दृष्टिया प्रागपुरा में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन योग्य है।

(3) निर्धारित मानदण्ड पूर्ण होने पर नई ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु आवेदन कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(4) नई ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु मानदण्ड/शर्तें परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न हैं।

परिशिष्ट 'अ'

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची

नाम जी.एस.एस.	नाम अन्तर्गत ग्राम पंचायत	सदस्य संख्या	हिस्सा राशि (लाखों में)
1. पावटा	पावटा	1600	8.75
	प्रागपुरा	861	8.87
2. खेलना	खेलना	405	2.10
	कुनेड	262	1.60

नाम जी.एस.एस.	नाम अन्तर्गत ग्राम पंचायत	सदस्य संख्या	हिस्सा राशि (लाखों में)
3. पांचूडाला	पांचूडाला	720	3.75
	मण्डा	536	4.20
	ठीकरियां	552	4.83
4. आंतेला	आंतेला	450	3.20
	बजरंगपुरा,	300	2.80
	बाघावास अहिरान	350	3.00
5. बड़नगर	बडनगर	900	9.50
	तुलसीपुरा	300	2.50
6. भांकरी	भांकरी	176	0.01
	जोधपुरा	100	0.01
7. जाजेकलां	जाजेकलां	645	7.60
	रामपुरा	305	2.80
	बाघावास चौरासी	444	4.80
8. जवानपुरा	जवानपुरा	607	2.65
	बिलवाड़ी	869	6.30
	गोविन्दपुरा धाबाई (आधी पंचायत)	149	0.51
9. छाबडाखुर्द	छबडाखुर्द	507	6.20
	गोविन्दपुरा धाबाई (आधी पंचायत)	465	5.10
10. दूधीआमलोदा	दूधी आमलोदा	550	3.80
	बाड़ोदिया	406	2.39
11. मेड़	मेड़	894	8.27
	तालवा	361	2.99
	जोधुला	338	2.45
	पूरावाला	438	3.99
12. विराटनगर (नगरपालिका क्षेत्र)	विराटनगर (नगरपालिका क्षेत्र)	186	1.84
	कुहाडा	369	4.71
	सौथाना	166	1.90

नाम जी.एस.एस.	नाम अन्तर्गत ग्राम पंचायत	सदस्य संख्या	हिस्सा राशि (लाखों में)
13. तेवड़ी	तेवड़ी,	631	3.01
	नवरंगपुरा,	597	1.60
	भामोद,	263	0.87
	पालडी	298	1.30
14. जयसिंहपुरा	जयसिंहपुरा	1737	3.75
	छीतोली	536	3.81
15. भाभरू	भाभरू	470	2.90
	लुहाकणा कलां	142	1.25
	ढाणी गेसकान	112	0.90
16. साईवाड़ (शाहपुरा सर्किल)	साईवाड़	284	1.80
	नाथावाला	260	2.10
	बाड़ीजोड़ी	390	2.18

परिशिष्ट-ब

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन संबंधी मानदण्ड

1. नवगठित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में कम से कम 2 हजार हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि तथा उस क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या 5 हजार, किन्तु अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि व जनसंख्या कम होने पर भी आवश्यकतानुसार समिति गठित की जा सकेगी। बशर्ते कि ऐसी समिति आर्थिक रूप से स्वयं स्वालम्बी बन सके।

2. नवगठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 500 न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 7.00 लाख।

3. सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत 1.00 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75000.00 रुपये। किन्तु अमानत लेने के लिए अमानतदाता को समिति का सदस्य बनाना आवश्यक।

4. किसी भी एक पंचायत में दो ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं।

5. नई समितियों में फर्नीचर व फिक्सचर्स हेतु 20,000/- रुपये का प्रावधान किया जाना होगा, जो पैक्स डवलपमेंट फण्ड से किया जा सकेगा। यह फण्ड स्वयं समितियों द्वारा निर्मित कोष है।

6. नवगठित सहकारी समितियों के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा प्रथम 5 वर्ष हेतु भवन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना। साथ ही गोदाम निर्माण हेतु निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता।

7. उक्त मानदण्डों/शर्तों को पूरा करने वाली प्रस्तावित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पंजीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित निम्नानुसार कमेटी द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव का परीक्षण कर कमेटी की अनुशंसा के पश्चात् ऐसे प्रकरण विभाग को अनुमोदन के लिए भिजवाये जायेंगे।

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	सदस्य
3.	मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितयां	सदस्य सचिव

8. वर्तमान में जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां अवसायनाधीन हैं, जिनके क्षेत्रों के काश्तकारों को समिति से साख सुविधा दिये जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है वहां पर भी यदि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी नई समिति के गठन की अनुशंसा करती है तो ऐसे स्थान पर अवसायनाधीन समिति के पुराने सदस्यों को नई समिति का सदस्य तभी बनाया जावेगा, जब पुरानी समिति का अपना ऋण/दायित्व (पुराना खाता) चुकता कर दे। यही शर्त एक कार्यशील समिति के कार्यक्षेत्र में दूसरी समिति के प्रस्तावित होने पर पूर्व सदस्यों के लिए रहेगी।

9. इन समितियों के सृजन एवं संचालन में किसी भी प्रकार की राज्य सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं एवं प्रस्तावित पैक्स/लैम्पस पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से स्वतंत्र एवं सक्षम आर्थिक यूनिट एवं स्वयं स्वाबलम्बी होना अपेक्षित।

ग्राम सेवा सहकारी समिति बूंदी के व्यवस्थापकों को छठे वेतनमान का लाभ

346. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला बून्दी की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों को छठे वेतनमान का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री अशोक डोगरा)

(2) क्या सरकार उक्त जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में स्क्रीनिंग के तहत कार्यरत कर्मचारियों की मांगों पर उचित कार्यवाही कर इन्हें समस्त लाभ देने का विचार रखती है? क्या उक्त में इन्हें वेतन ग्रेड, संस्था के लाभ-हानि के साथ नहीं जोड़ना, स्क्रीनिंग से शेष रहे कर्मचारियों को शीघ्र स्क्रीनिंग कर नियमित करना, चार्ज दिलाना आदि शामिल हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत नियमित रूप से चयनित व्यवस्थापकों को विभाग के परिपत्र-4 दिनांक 7.2.2011 को जारी परिपत्रानुसार वेतन देय है। नाबार्ड द्वारा जारी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के व्यय एवं मानव शक्ति मानदण्डों के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवस्थापकों के वेतन को संस्था के लाभ-हानि के साथ जोड़ा गया है। पात्र कार्मिकों की स्क्रीनिंग हो चुकी है।

संस्था के कर्मचारियों का चार्ज का लेन-देन संस्था स्तर से ही किया जाता है।

कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के पी.एस. पंचम के निर्माण पर व्यय राशि

347. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पम्पिंग स्टेशन तृतीय, कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के कि.मी. 63.300 से नीचे गेट लगाने व 16.17 लाख हैक्टेयर सी.सी.ए. के अन्तर्गत वी.आर.वी. के शेष निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 व 2010-11 के बजट में कितनी राशि प्रस्तावित थी तथा कितनी व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सी.सी.ए. के तहत चालू कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 व 2010-11 में संवेदकों के लिए कुल कितनी एल.ओ.सी. जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लिफ्ट कैनाल के कि.मी. 63.300 से नीचे के कार्यों हेतु

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भूमि अवाप्ति के शेष भुगतान हेतु बजट में कितनी राशि आबंटित की गई व कितनी एल.ओ.सी. जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कैनाल के कि.मी. 63.300 से 107.800 तक की सड़क मरम्मत हेतु अनुबन्ध किये गये थे? यदि हां, तो उनका कार्य क्यों नहीं कराया गया एवं कार्य पूर्णता की कितनी एल.ओ.सी. जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) पी.एस. पंचम के निर्माण कार्य पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ एवं उसके नीचे बनने वाली नहरों का निर्माण कार्य नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) पम्पिंग स्टेशन तृतीय कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के कि.मी. 63.300 से नीचे व 16.17 लाख हैक्टेयर सी.सी.ए. के अन्तर्गत 2009-10 व 2010-11 के वर्षों में गेट लगाने के लिए कोई राशि प्रस्तावित नहीं की गयी। वी.आर.वी. के शेष निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में 3.75 लाख रुपये तथा वर्ष 2010-11 में शून्य राशि का बजट में प्रावधान रखा गया। आलोच्य वर्षों में इन कार्यों हेतु कोई राशि खर्च नहीं की गयी।

(2) उपरोक्त सी.सी.ए. 16.17 लाख हैक्टेयर के तहत पम्पिंग स्टेशन तृतीय से नीचे चालू कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 व 2010-11 में संवेदकों के लिये क्रमश: 318.76 लाख रु. व 4.50 लाख रु. की एल.ओ.सी. जारी की गयी।

(3) उक्त लिफ्ट कैनाल के कि.मी. 63.300 से नीचे के कार्यों हेतु भूमि अवाप्ति के शेष भुगतान हेतु 0.46 लाख रुपये का बजट तथा एल.ओ.सी. वर्ष 2009-10 में जारी की गयी।

(4) जी हां। उक्त कैनाल के कि.मी. 63.300 से 107.800 तक की सडक मरम्मत हेतु 4 अनुबन्ध किये गये थे। 2 अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य पूरे करवा लिये गये हैं। कि.मी. 65.00 से 78.00 के सड़क मरम्मत कार्य बजट के अभाव में एवं कि.मी. 88.00 से 107.800 तक निर्मित सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने से 2 अनुबन्ध के कार्य नहीं करवाये गये। करवाये गये कार्यों हेतु 78.50 लाख रुपये की एल.ओ.सी. वर्ष 2009-10 में जारी की गई।

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

(5) पी.एस. पंचम के निर्माण कार्य में अब तक 304.81 लाख रुपये का व्यय हुआ। इससे नीचे बनने वाली नहरों का निर्माण, परियोजना के सीमित किये गये 16.17 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र से बाहर होने के कारण नहीं करवाया गया।

पाली जिले के अग्नि-काण्ड प्रभावितों को सहायता

348. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में गत दो वर्षों में आगजनी की किन-किन घटनाओं में किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि का नुकसान पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा किस-किस पीड़ित व्यक्ति को कितनी-कितनी सहायता राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आगजनी में हुये नुकसान की तुलना में दी जाने वाली सहायता राशि बहुत ही कम है? क्या सरकार आगजनी में हुए नुकसान में सहायता राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पाली में गत दो वर्षों में प्राकृतिक अग्निकाण्ड की 158 घटनाऐं हुई, जिनसे हुए नुकसान की व्यक्तिवार सूचना का विवरण संलग्न (परिशिष्ट-क) है।

(2) सी.आर.एफ. मानदण्डानुसार पात्र 79 व्यक्तियों को दी गई सहायता का व्यक्तिवार विवरण संलग्न (परिशिष्ट-ख) है। शेष 79 व्यक्तियों का सी.आर.एफ. मानदण्डानुसार नुकसान नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया।

(3) राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सी.आर.एफ. मानदण्डानुसार सहायता दी जाती है। इस राशि को बढ़ाना केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है। इसे बढ़ाने हेतु राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को दिनांक 13 नवम्बर, 2009 को अनुशंसा की गयी है। केन्द्र सरकार के स्तर पर निर्णय अपेक्षित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राजसमन्द जिले की पंजीकृत गौशालाओं को स्वीकृत अनुदान

349. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान सरकार द्वारा जिला राजसमंद की कितनी पंजीकृत गौशालाओं को कितना-कितना अनुदान दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिलों की पंजीकृत गौशालाओं को अभावग्रस्त नहीं होने पर भी निरन्तर अनुदान की राशि जारी रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राजसमन्द जिले की पंजीकृत गौशालाओं को दिये गये अनुदान का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी नहीं। क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रसारित सी आर एफ मानदण्डानुसार अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं को अभाव अवधि के दौरान ही अनुदान राशि दिया जाना अनुमत है।

परिशिष्ट–1

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्र. सं.	पंजीकृत गौशाल का नाम	दिया गया अनुदान (राशि रुपयों में)				
		वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 20010-11
1	आदेश गोपालन एवं संरक्षण केन्द्र (गौशाला) तहसील नाथद्वारा	1270530	-	2015286	4815915	3015380
2	द्वारकेश गौशाला आसोटिया, कांकरोली तहसील, राजसमन्द	263196	-	428164	1121352	760663
3	श्री कृष्ण गौशाला, महासंतियों की मादडी तहसील राजसमन्द	129717	-	202530	666440	287140
4	श्री जय जैन गौशाला, ताल तहसील देवगढ़	746450	-	870730	2497720	1371600
5	श्रीमती नोजी बाई खीमराज कोठारी गौशला, गढबोर (चारभुजा) तहसील कुम्भलगढ़	412989	-	498276	1342350	592380

क्र. सं.	पंजीकृत गौशाला का नाम	दिया गया अनुदान (राशि रुपयों में)				
		वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11
6	जयसिंह श्याम गौशाला, आमेट तहसील आमेट	582327	-	754520	1624820	1024382
	योग	**3405209**	-	**4769506**	**11868597**	**7051545**

नोट : वर्ष 2007-08 में जिला अभावग्रस्त घोषित नहीं होने के कारण अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

जिला कलक्टर
(आ.प्र. एवं सहायता)
राजसमन्द

कोटा जिले के उद्योगों में स्थापित जल उपचारित संयंत्रों का निरीक्षण

350. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डायल्यूशन पाइन्ट क्या है? उक्त पाइन्ट को तय करने से पूर्व क्या मानदण्ड व प्रक्रिया अपनाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कोटा में किन-किन उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल का उपचार करके निस्तारित किया जाता है? उद्योगों का नाम, पता व डायल्यूशन पाइन्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उद्योगों द्वारा जो पानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक बिन्दुओं के आधार पर डायल्यूशन पाइन्ट पर निस्तारित किया जाता है उसकी गणना की क्या प्रक्रिया है? क्या उक्त उद्योगों के लिये यह प्रक्रिया अपनायी जा रही है? यदि हां, तो वर्ष 2000 से 2010 तक की गणना का इकाइवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदूषित जल के निरीक्षण हेतु कौन-कौन से अधिकारी अधिकृत हैं? गत दो वर्ष की निरीक्षण पुस्तिका की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) औद्योगिक इकाइयों से डायल्यूशन पाइन्ट तक जल किन-किन माध्यमों से पहुंचाया जा रहा है? उन माध्यमों को स्थापित करने के लिये आवश्यक एन.ओ.सी. की प्रति सहित औद्योगिक इकाइवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओम बिरला)

(6) डायल्यूशन पाइन्ट पर कितनी-कितनी अवधि पर जल के नमूने लेना आवश्यक है तथा गत दो वर्षों में कब-कब नमूने लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि कई उद्योगों द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट पूरे समय नहीं चलाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं? यदि हां, तो ट्रीटमेंट प्लांट पूरे समय चले इसे सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण की क्या व्यवस्था की गई? गत दो वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह भी सही है कि कुछ औद्योगिक इकाइयों के डायल्यूशन पाइन्ट ऐसी जगह हैं जहां संरक्षित वन्यजीव मगरमच्छ का आवास है? यदि हां, तो किन-किन उद्योगों के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) क्या यह सही है कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है? क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तीनों में ही डायल्यूशन पाइन्ट परिभाषित नहीं है और ना ही इसके मानदण्ड निर्धारित हैं। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता है।

(2) कोटा जिले में प्रदूषित जल को उपचारित कर निस्त्रावित करने वाले वृहत श्रेणी एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

खण्ड-1 में दिये गये उत्तर को देखते हुए डायल्यूशन पाइन्ट का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) खण्ड-1 में दिये गये उत्तर को देखते हुए डायल्यूशन पाइन्ट का प्रश्न नहीं उठता है।

(4) राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एव नियंत्रण) नियम 1975 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, पर्यावरण अभियन्ता, सहायक पर्यावरण अभियन्ता एवं कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता एवं अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी तथा कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी उद्योगों के

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

निरीक्षण करने हेतु अधिकृत हैं। निरीक्षण पुस्तिका संधारित नहीं की जाती है, अपितु राज्य मण्डल के सक्षम अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित पत्रावलियों में संधारित किये जाते हैं। गत 2 वर्षो में कोटा जिले के मध्यम एवं वृहत श्रेणी के उद्योगों के निरीक्षण का विवरण भी परिशिष्ट-अ में अंकित है।

(5) खण्ड-1 में दिये गये उत्तर को देखते हुए डायल्यूशन पाइन्ट का प्रश्न नहीं उठता है।

(6) खण्ड-1 में दिये गये उत्तर को देखते हुए डायल्यूशन पाइन्ट का प्रश्न नहीं उठता है।

(7) जी हां। जिन उद्योगों द्वारा ट्रीटमेंट प्लान्ट पूरे समय नहीं चलाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका राज्य मण्डल के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण पश्चात् शिकायत सही पाये जाने पर नियमानुसार ट्रीटमेंट प्लान्ट की व्यवस्था सही करवाई जाती है, किन्तु यदि व्यवस्था सही नहीं होती है तो उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

राज्य मण्डल द्वारा उद्योगों के निरीक्षण की आवृति उद्योग के आकार (मध्यम/वृहत) एवं श्रेणी (लाल/नारंगी/हरा) के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित 17 कैटेगरी के उद्योग	6 माह में एक बार
लाल श्रेणी के उद्योग (मध्यम/वृहत)	एक वर्ष में एक बार
लाल श्रेणी के उद्योग (लघु)	डेढ़ वर्ष में एक बार
नारंगी श्रेणी के उद्योग (मध्यम/वृहत/लघु)	तीन वर्ष में एक बार
अन्य श्रेणी के उद्योग	पांच वर्ष में एक बार

गत 2 वर्षो में कोटा जिले के मध्यम एवं वृहत श्रेणी के उद्योगों के निरीक्षण तिथि का विवरण भी परिशिष्ट-अ में अंकित है।

(8) खण्ड-1 में दिये गये उत्तर को देखते हुए डायल्यूशन पाइन्ट का प्रश्न नहीं उठता है।

(9) खण्ड-1 में दिए गए उत्तर को देखते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता है।

परिशिष्ट-''अ''

गत 2 वर्षों में कोटा जिले में उच्छिष्ट को उपचारित कर निस्त्रावित करने वाले मध्यम एवं वृहत श्रेणी के उद्योगों एवं उनके निरीक्षण तिथि की सूची

क्र. सं.	उद्योग का नाम	निरीक्षण की दिनांक
1	कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन सकतपुरा कोटा	22 व 23/12/2010
2	श्रीराम विनाइल एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज श्रीराम नगर, कोटा (स्टेबल, ब्लीचिंग पावडर प्लान्ट)	22/04/2009
3	श्रीराम विनाइल एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज श्री राम नगर, कोटा (हाइड्रोजन बोटलिंग प्लान्ट)	21/04/2009
4	श्रीराम फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिकल्स, श्रीराम नगर, कोटा (पावर प्लान्ट)	28/04/2009
5	श्रीराम पॉलिटेक लिमिटेड, कोटा	29/4/2009
6	चम्बल केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, बारां रोड, गढेपान, कोटा	13/07/2009
7	श्रीराम रेयान्स, श्रीराम नगर, कोटा	30/06/2009
8	श्रीराम विनाइल एण्ड केमिकल, इन्डस्ट्रीज, श्रीराम नगर, कोटा (कास्टिक सोडा प्लाट)	21/04/2009
9	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, श्रीराम नगर, कोटा (यूरिया प्लान्ट)	22/04/2009
10	श्रीराम विनाइल एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज, श्रीराम नगर, कोटा (केल्सियम कार्बाइड प्लाट)	21/04/2009
11	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, श्रीराम नगर, कोटा (यूरिया प्लान्ट)	06/01/2009
12	श्रीराम सीमेंट वर्क्स, भारी औद्योगिक क्षेत्र, कोटा	
13	चम्बल केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, बारां रोड, गढेपान, कोटा	21/05/2008
14	श्रीराम विनाइल एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज, श्रीराम नगर, कोटा (स्टेबल ब्लीचिंग पावडर प्लान्ट)	06/01/2009
15	श्रीराम विनाइल एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज, श्रीराम नगर, कोटा (हाइड्रोजन बोटलिंग प्लान्ट)	

क्र. सं.	उद्योग का नाम	निरीक्षण की दिनांक
16	श्री राम विनाइल एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज श्रीराम नगर, कोटा (कास्टिक सोडा प्लांट)	06/01/2009
17	श्रीराम विनाइल एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज, श्रीराम नगर, कोटा (पी.वी.सी. रेजिन प्लान्ट)।	
18	श्रीराम विनाइल एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रीज, श्रीराम नगर, कोटा (कैल्सियम कार्बाइड प्लान्ट)।	

पहाड़ी (भरतपुर) व उपखण्ड मुख्यालय पर सब-डिपो की स्थापना

351. श्रीमती जाहिदा खान (कामां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में डिपो/सब-डिपो खोलने के मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तहसील पहाड़ी (भरतपुर) व उपखण्ड मुख्यालय पर सब-डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में जिला मुख्यालय पर ही नये डिपो खोलने की नीति निर्धारित की गई है नीति की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सब डिपो खोलने का प्रथक से कोई मापदण्ड नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में स्थिति व सीमित संसाधनों को देखते हुए तहसील पहाड़ी व अन्य किसी उप खण्ड मुख्यालय स्तर पर सब-डिपो खोले जाने का कोई विचार नहीं है। निगम की नीति के अनुसार जिला मुख्यालय पर ही डिपो खोलने का प्रावधान किया हुआ है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम संचालक मण्डल की 240वीं सभा दिनांक 16.9.2009 के निर्णय संख्या 44/2009 के अनुसार आगार स्थापना हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की गई है :-

1. राजस्थान राज्य में प्रथमतया जिन जिला मुख्यालयों पर आगार स्थापित नहीं है उन जिला मुख्यालयों पर नये आगार स्थापित किये जावें। आगार का संचालन आयिक (Viable) भी होना चाहिए जिसमें विभिन्न मार्गों पर कम से कम 80 सेवाऐं एवं 32,000 किमी. प्रतिदिन संचालन का स्कोप हो।

2. नये आगार द्वारा संचालित की जाने वाली सेवाओं में अधिकांशतः राष्ट्रीयकृत मार्ग या पंचम अध्याय मार्ग से होकर लम्बी दूरी की सेवाओं को सम्मिलित किया जाकर वाहनों का संचालन किया जावेगा।
3. आगार की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा निगम के बस स्टैण्ड, आगार कार्यालय एवं आगार कार्यशाला इत्यादि के निर्माण हेतु भविष्य में होने वाले विस्तार को ध्यान में रखते हुए, एक ही स्थान पर पर्याप्त भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। यह भूमि डिपो/वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये रूपान्तरित हो तथा निगम द्वारा किसी भी प्रकार के भूमि विकास टैक्स इत्यादि से मुक्त हो।
4. आगार में Infrastructure Development के लिए स्थानीय विधायक/सांसद कोष, राज्य सरकार अथवा स्वायत्त शासन विभाग से एक मुश्त आवश्यक राशि स्वीकृत की जावे। यथा संभव कार्यशाला और बस स्टैण्ड के मध्य दूरी कम रखी जावे ताकि वाहनों के अनायिक किमी. में कमी की जाकर व्यय में बचत की जा सके। निर्मित किये जाने वाले बस स्टैण्ड तथा कार्यशाला के लिए भी मुख्य मार्ग से Approach Road उपलब्ध हो ताकि वाहनों के संचालन में सुविधा रहे।
5. वर्तमान में निगम द्वारा संचालित सेवाओं के लिए विभिन्न वर्गों के स्वीकृत पदानुसार कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। वाहनों के संचालन हेतु आवश्यक चालक, परिचालक, तकनीकी कर्मचारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के वांछित पदों का सृजन करने की स्वीकृति के साथ उन पदों के भरने की स्वीकृत भी दी जावे।
6. नये आगार में वाहनों के संचालन हेतु आगार मुख्यालय से विभिन्न मार्गों पर संचालित की जाने वाली नई अथवा अतिरिक्त सेवाओं के लिए, आवश्यक वाहनें क्रय करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जावे। वाहनों के संचालन हेतु कार्यशाला में वांछित Plants & Machinery के साथ अन्य उपकरणों का होना भी आवश्यक है और डीजल पम्प की स्थापना भी वाहनों के संचालन की मूल जरूरत है। इन समस्त व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता होना आवश्यक है।
7. निगम द्वारा निवेश की जाने वाली राशि हेतु एक कोष की स्थापना की जाएगी जिसमें सालाना सरप्लस की 10 प्रतिशत राशि स्थानान्तरित की जावेगी। निगम के अन्य स्त्रोतों से इस कार्य हेतु राशि Divert नहीं की जा सकेगी।

मुख्य प्रबन्धक आगार पदस्थापन में अनियमितताएं

352. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मुख्य प्रबन्धक आगार किस-किस योग्यता के पदस्थापित किए हुए हैं तथा इस पद हेतु क्या योग्यता निर्धारित की गई है?

(2) क्या यह सही है कि बोर्ड ने ऐसे मुख्य प्रबन्धकों को जिनके अनियमितताओं के आरोप हैं को प्रबन्धक आगार नहीं लगाये जाने का निर्णय किया है? यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारी हैं, जिनको आगार प्रबन्धक लगा रखा है?

(3) राज्य में सभी आगारवार प्रबन्धकों की योग्यता एवं पदस्थापन की तिथि की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत मुख्य प्रबन्धकों की योग्यता सम्बन्धी सूची संलग्न है परिशिष्ट "1"। मुख्य प्रबन्धक के पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की हुई है। निगम में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए आदेश संख्या 91 दिनांक 21 अगस्त, 1991 (प्रति संलग्न परिशिष्ट "2" है) के द्वारा निगम में त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी। आगार इकाई को 'प्रोफिट सेन्टर' घोषित किया जाकर आगार के प्रशासनिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए आगार की समस्त गतिविधियों के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एवं अधिकारिता मुख्य प्रबन्धक का फंक्शनल पद नाम देकर उन्हें सौंपा गया था। इस व्यवस्था में मुख्य प्रबन्धक के पद पर पदस्थापन हेतु चयन की प्रक्रिया के अनुसार किसी भी संवर्ग के व्यक्ति को चाहे उसका पद अथवा वेतनमान कुछ भी हो, उसकी उपयुक्तता के आधार पर पदस्थापन किये जाने का प्रावधान रखा गया था।

इसके पश्चात् निगम मण्डल की दिनांक 28.5.1996 को आयोजित 171वीं बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि मुख्य प्रबन्धक के पद पर पदस्थापन केवल उन्हीं अधिकारियों का किया जावे जो कम से कम 2000 से 3200 रुपयों के वेतनमान से नीचे के वेतनमान में कार्यरत नहीं हो। (पुनरीक्षित वेतनमान, 1996 में वेतनमान 6500-10500) जिसे निगम मण्डल

(यातायात मंत्री)

द्वारा निर्णय संख्या 20/96 के द्वारा पारित कर दिया गया (प्रस्ताव एवं निर्णय की प्रति संलग्न परिशिष्ट "3")।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य के सभी मुख्य प्रबन्धकों की सूची मय शैक्षणिक योग्यता, पदस्थापन की तिथि संलग्न है परिशिष्ट "4"।

(सूचियां व प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर, भरतपुर एवं धौलपुर जिले की खादी संस्थाओं का वार्षिक उत्पादन एवं बिक्री

353. **श्री सुखराम** (बसेड़ी) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर, भरतपुर एवं धौलपुर में खादी संस्थाओं के उत्पादों की वार्षिक बिक्री कितनी है? उत्पादवार बिक्री का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में खादी संस्थायें किस-किस वस्तु का उत्पादन करती हैं और उक्त वस्तुओं की वार्षिक उत्पादन एवं बिक्री कितनी-कितनी है? संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में खादी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2009 एवं 2010 में किस-किस संस्था ने कितनी राशि की वार्षिक बिक्री की है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त संस्थाओं को सब्सिडी एवं करों में छूट दी गई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2009-10 की जयपुर, भरतपुर एवं धौलपुर जिले में सूती खादी, ऊनी खादी, सिल्क खादी एवं पॉली वस्त्र की बिक्री की जिलेवार जानकारी निम्न प्रकार है–

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

(राशि रु. लाखों में)

	जिला	सूती खादी	ऊनी खादी	रेशमी खादी	पॉलीवस्त्र	योग
1	जयपुर	934.16	262.95	96.05	310.58	1603.74
2	भरतपुर	311.95	66.02	01.69	42.10	421.76
3	धौलपुर	24.45	05.93	00.08	05.30	35.76

(2) उक्त जिलों में खादी संस्थायें सूती खादी में दरी फर्श, गाढा, रेजा, खेस, शर्टिंग, टावल, चादर इत्यादि व ऊनी खादी में कोटिंग, शाल, कम्बल, मफलर इत्यादि एवं पॉलीवस्त्र में शर्टिंग, पॉलीवस्त्र टीटी आदि का उत्पादन करती है।

जयपुर, भरतपुर व धौलपुर जिलों में संस्थाओं की वित्तीय वर्ष 2009-10 की वार्षिक उत्पादन एवं बिक्री की संस्थावार जानकारी परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) वित्तीय वर्ष 2009-10 की वार्षिक बिक्री की संस्थावार जानकारी परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 की वार्षिक बिक्री संस्थावार जानकारी माह मार्च 2011 के बाद संकलित की जायेगी जो माह जून 2011 तक तैयार हो सकेगी।

(4) उक्त संस्थाओं को राज्य रिबेट एवं आयोग रिबेट/एमडीए तथा बैंक वित्त वर्ष 2009-10 व 2010-11 में कुल राशि रु. 6.07.51.935/- का भुगतान किया गया है संस्थावार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

राज्य कर्मियों के प्रावधायी निधि एवं बीमा खातों में अद्यतन प्रविष्टियां

354. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के किस-किस जिले में राज्य कर्मियों के कब-कब तक के जी.पी.एफ. खाते एवं बीमा खातों की प्रविष्टियां उनके खातों में की जा चुकी हैं?

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(2) शासन सचिवालय, जयपुर एवं विधान सभा सचिवालय के कर्मियों के जी.पी.एफ. एवं राज्य बीमा के खातों में किस माह एवं वर्ष की प्रविष्टियां की जा चुकी हैं एवं किस-किस माह की प्रविष्टियां शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार माह फरवरी, 2011 तक कटौती की गई राशि की प्रविष्टियां उनके खातों में इन्द्राज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अधिवार्षिकी आयु 58 से 60 वर्ष करने के उपरान्त बीमा धन का समर्पण मूल्य एवं परिपक्वता राशि को उसी अनुसार बढ़ाया जाना था जो नहीं बढ़ाया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक बढ़ा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि राज्य कर्मियों की बीमा राशि की कटौती के अनुसार बीमा पालिसी की राशि को बढ़ाया जाना होता है? क्या विधान सभा सचिवालय के समस्त कार्मिकों की राशि को उनके वेतन से हो रही कटौती के अनुसार बढ़ा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक बढ़ा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के सभी जिलों के राज्य कर्मियों के बीमा खातों की प्रविष्टियां मार्च 2010 तक तथा जीपीएफ खातों में जिला कार्यालय अलवर एवं प्रतापगढ़ में मार्च 2009 तक एवं शेष समस्त जिला कार्यालयों में प्रविष्टियां मार्च 2010 तक पूर्ण कर दी गयी हैं।

(2) शासन सचिवालय के कर्मियों की राज्य बीमा खातों में दिसम्बर 2010 एवं जीपीएफ खातों में माह मार्च 2010 तक की तथा विधान सभा सचिवालय के कर्मियों की बीमा एवं जीपीएफ की माह मार्च, 2010 तक की प्रविष्टियां की जा चुकी हैं। दोनों ही योजनाओं में आगे की प्रविष्टियां करने का कार्य नियमित रूप से प्रगति पर है।

(3) जी हां। प्रविष्टियां करने का कार्य नियमित रूप से प्रगति पर है।

(4) अधिवार्षिकी आयु 58 से 60 वर्ष किये जाने के उपरान्त बीमाधन/परिपक्वता राशि को मूल्यांकन रिकार्ड में बढा दिया गया है। समर्पण मूल्य की गणना कर्मचारी द्वारा सेवा छोड़े जाने पर बीमा पालिसी को समर्पित करने पर ही की जाती है।

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि राज्य मंत्री)

(5) जी हां। विधान सभा सचिवालय के समस्त कर्मियों की राशि को उनके वेतन से हो रही कटौती के अनुसार बढ़ा दिया गया है।

निवाई-पीपलू विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

355. **श्री कमल बैरवा** (निवाई) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपलू-निवाई के किन-किन ग्रामों में संस्कृत विद्यालय संचालित हैं व उनमें कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में संस्कृत महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपलू-निवाई में संचालित संस्कृत विद्यालय एवं इनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

विधान सभा क्षेत्र निवाई के संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	प्राचार्य		प्रधानाध्यापक		वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-I		अध्यापक ग्रेड-II		अध्यापक ग्रेड-III		शा. शिक्षक		पुस्तकालय ध्यक्ष		वरिष्ठ लिपिक		च.श्रे.क.	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, गलोद	01	01 (2008)	-	-	-	-	6	03(हिन्दी, 2007, सामाजिक विज्ञान 2010 एवं अंग्रेजी 2008)	03	02 (2009.10)	01	-	01	-	01	-	01	-
2	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, करीरिया	-	-	-	-	-	-	01	-	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सन्टेडाफार्म	-	-	-	-	-	-	01	01 (2007)	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	प्राचार्य		प्रधानाध्यापक		वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-I		अध्यापक ग्रेड-II		अध्यापक ग्रेड-III		शा. शिक्षक		पुस्तकालय ध्यक्ष		वरिष्ठ लिपिक		च.श्रे.क.	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
4	राजकीय उच्च प्राथमिक सस्कृत विद्यालय, सीतारामपुरा	-	-	-	-	-	-	01	01 (2007)	05	02 (2007) दो विद्यार्थी मित्र कार्यरत	-	-	-	-	-	-	-	-
5	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, गलोद	-	-	-	-	-	-	01	01 (2007)	04	01 (2007) एक विद्यार्थी मित्र कार्यरत	-	-	-	-	-	-	-	-
6	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, देवपुरा	-	-	-	-	-	-	01	01 (2007)	04	01 (2007) एक विद्यार्थी मित्र कार्यरत	-	-	-	-	-	-	-	-
7	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, शिवपुरा	-	-	-	-	-	-	01	-	04	01 (2007) एक विद्यार्थी मित्र कार्यरत	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	प्राचार्य		प्रधानाध्यापक		वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-I		अध्यापक ग्रेड-II		अध्यापक ग्रेड-III		शा. शिक्षक		पुस्तकालय ध्यक्ष		वरिष्ठ लिपिक		च.श्रे.क.	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
8	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भातडिया	-	-	-	-	-	-	01	-	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, कल्याणपुरा	-	-	-	-	-	-	01	01(2007)	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

बामनवास विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

356. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास हेतु संस्कृत महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो किस-किस स्थान के एवं इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

जी हां। शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सुकार के लिए प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है।

वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर नवीन महाविद्यालय के प्रस्तावों का गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

रेवदर विधान सभा क्षेत्र में किसान जीवन कल्याण योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन

357. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) किसान जीवन कल्याण योजना के तहत गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रेवदर के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये? प्रत्येक आवेदक का नाम, पता, आवेदन प्राप्ति की तिथि तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकांश आवेदन आज भी लम्बित हैं तथा बहुत से आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं? यदि हां, तो किस स्तर पर कब से लम्बित हैं एवं किन-किन आवेदनों को निरस्त किया गया? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने तथा निरस्त आवेदनों को पुनर्जीवित करते हुये आवेदकों को मुआवजा राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) किसान जीवन कल्याण योजना के तहत गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र रेवदर से कुल 68 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आवेदक का नाम पता

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

आवेदन प्राप्ति की तिथि तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त में से कोई भी आवेदन लम्बित नही है। 18 आवेदन योजना में कवर नहीं होने के कारण निरस्त किये गये है। निरस्त किये गये आवेदन पत्रों का विवरण कारण सहित परिशिष्ट 'ब' पर सलग्न है।

(3) उक्त में से कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है। जिन 18 आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है उन्हें पुनर्जीवित करने का योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

बीकानेर जिले में सांसद/विधायक निधि से अनुशंषित लम्बित कार्य

358. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर में कृषि विपणन बोर्ड को गत 2 वर्ष में सांसद/विधायक निधि कोष से कितने कार्यों में कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है? कार्य का नाम, राशि, कार्य पूर्ण होने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोलायत के कार्यों में कृषि विपणन बोर्ड को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया था व आज तक वे कार्य चालू नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि कृषि विपणन बोर्ड बीकानेर के अधिकारियों द्वारा कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर से उक्त कार्य को नहीं करवाने हेतु लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त नियम विरुद्ध जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कृषि विपणन बोर्ड ने गत 2 वर्षों में सांसद/विधायक निधि कोष से कुल 19 कार्यों हेतु बतौर कार्यकारी एजेन्सी कार्य किया है। कार्य का नाम, राशि व कार्य पूर्ण होने की तिथि सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(2) कोलायत विधान सभा क्षेत्र के 10 कार्यों में कृषि विपणन बोर्ड को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया था जिनमें से 3 कार्य चालू नहीं किये गये हैं। ये कार्य बोर्ड के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होने के कारण इन कार्यों को बोर्ड द्वारा क्रियान्वित नहीं कराने का निर्णय लिया गया था।

(3) जी नहीं।

(4) बिन्दु 3 के उपरान्त लागू नहीं होता।

परिशिष्ट-अ

बीकानेर जिले में गत 2 वर्षों में सांसद/विधायक निधि कोष से स्वीकृत एवं कृषि विपणन बोर्ड को आबंटित कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण		कुल व्यय	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विशेष विवरण
			क्रमांक/दिनांक	राशि			
1	लूणकरणसर	ग्राम छतरगढ़ तहसील के पास स्थित सांसी मोहल्ला में सामुदायिक भवन एक कमरा मय बरामदा	2392-96/1.10.08	1.50	-	-	जगह का विवाद होने के कारण कार्य सम्पादित नहीं हुआ
2	लूणकरणसर	ग्राम ढाणी छिपलाई स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक आवास एवं कमरा मय बरामदा निर्माण	614-17/4.7.08	1.50	1.31	9.2.2009	कार्य पूर्ण
3	लूणकरणसर	किसान छात्रावास लूणकरणसर के खेल मैदान में पैवेलियन स्टेटस मय कमरा निर्माण कार्य ग्राम पंचायत लूणकरणसर	614-17/4.7.08	5.01	3.32	21.11.2008	कार्य पूर्ण
4	लूणकरणसर	ग्राम सावनिया के अनुसूचित जाति मौहल्ला में बाबा रामदेव जी मन्दिर के पास सामुदायिक भवन में कमरा मय बरामदा	614-17/4.7.08	1.50	1.35	28.2.2009	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण		कुल व्यय	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विशेष विवरण
			क्रमांक/दिनांक	राशि			
5	लूणकरणसर	वार्ड नं. 3 ग्राम जैतपुर में टीन शैड युक्त कमरा निर्माण	802-07/19.07.08	1.25	1.16	26.1.2009	कार्य पूर्ण
6	लूणकरणसर	कब्रिस्तान की चारदिवारी विस्तार कार्य ग्राम पंचायत जैतपुर	802-07/19.07.08	0.50	0.48	2.01.2009	कार्य पूर्ण
7	लूणकरणसर	समाज कल्याण छात्रावास लूणकरणसर में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	2630-34/13.10.08	1.00	0.95	9.2.2009	कार्य पूर्ण
8	लूणकरणसर	चक 280 आर डी में जोहड उदान के कब्रिस्तान की चारदिवारी का निर्माण	2630-34/13.10.08	1.00	1.00	30.1.2009	कार्य पूर्ण
			योग	**13.26**	**9.57**		
9	खाजूवाला	केएलडी माईनर चक 12 एलकेडी पुल के दोनों तरफ ईंटो का खडवंजा लगाने का कार्य	231-35/23.7.09	1.00	1.00	12.2.2010	कार्य पूर्ण
योग				**1.00**	**1.00**		
10	कोलायत	बी.टी. सड़क सिंदासर से खिखनिया पट्टा	2392-96/1.10.08	5.00	4.84	24.3.2009	कार्य पूर्ण
11	कोलायत	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य चक 4 डी एम में राजकुमार मोदी पुत्र मोतीलाल मोदी की ढाणी के पास ग्रा.पं. बरसलपुर	151-54/4.5.210	2.00	2.00	28.10.2010	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण		कुल व्यय	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विशेष विवरण
			क्रमांक/दिनांक	राशि			
12	कोलायत	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य चक 3 आर डब्ल्यू एम गांव राववाला में कानाराम मेघवाल पुत्र मुलाराम की ढाणी के पास ग्रा.पं. बरसलपुर	436-40/ 04.06.2010	1.00	-	-	निर्माण स्थल नहीं मिलने के कारण कार्य सम्पादित नहीं हुआ
13	कोलायत	सामुदायिक भवन निर्माण गांव रणधीसर में गिरधारी राम नाई पुत्र रावताराम नाई के मकान के पास ग्रा.प. सुरजडा	436-40/ 04.06.2010	1.00	-	-	निर्माण स्थल नहीं मिलने के कारण कार्य सम्पादित नहीं हुआ
14	कोलायत	चारदिवारी निर्माण कार्य मगरा शिक्षण संस्थान कोलायत ग्रा.प. कोलायत	436-40/ 04.06.2010	4.00	2.11	-	पिलिन्थ लेवल तक कार्य पूर्ण माननीय विधायक महोदय के मौखिक निर्देशानुसार यथास्थिति कार्य बन्द
15	कोलायत	बीकानेर में धरणीधर खेल मैदान में भ्रमण पथ एवं लेवलिंग का कार्य	F-14(40)MLA/G-6/2000/Part-I/16.5.2009	9.00	5.52	-	कार्य प्रगति पर
16	कोलायत	दशनाम गोस्वामी मोहल्ला के रामदेव मंदिर के पास वाचनालय के बरामदे का निर्माण कार्य	330-33/10.6.2010	3.00	2.10	4.11.2010	कार्य पूर्ण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण		कुल व्यय	कार्य पूर्ण करने की तिथि	विशेष विवरण
			क्रमांक/दिनांक	राशि			
17	कोलायत	चक 3 आर डब्ल्यू एम में लाल फकीर की जलाई के पास डिग्गी निर्माण कार्य ग्रा.प. बरसलपुर	103-9/20.07.2010	4.00	-	-	कृषि विपणन से संबंधित नहीं होने के कारण कार्य सम्पादित नहीं कराये।
18	कोलायत	सामुदायिक भवन का निर्माण नायकों का मोहल्ला शिव मन्दिर के पास मघाराम नायक के मकान के पास करमीसर बीकानेर	1321-24/ 23.9.2010	2.00	-	-	
19	कोलायत	आरडी 845 में मुसलमानों की ढाणियों में पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य सुरजडा	1047-50/ 21.8.2010	1.50	-	-	
			योग	**32.50**	**16.57**		
			महायोग	**46.76**	**27.14**		

(स्थगित प्रश्न)

शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2011

कामकाजी महिलाओं एवं बालकों की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

34. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से कामकाजी महिलाओं के बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो क्या-क्या एवं कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में उक्त योजना कब से चल रही है?

(3) उक्त योजनान्तर्गत कौन-कौनसी संस्थाएं किन-किन जिलों में कार्यरत हैं? कार्यरत संस्था, कार्यालय के पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं को विगत दो वर्षों में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा संस्था द्वारा कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार व मदवार प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कामकाजी महिलाओं के बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु पालन गृह योजना का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है।

(2) राज्य में उक्त योजना का संचालन वर्ष 1979-80 से किया जा रहा है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में कार्यरत अनुदानित संस्थाओं का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट 'अ')

(4) बिन्दु (4) का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट 'ब' एवं 'स')

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

स्थगित प्रश्न संख्या-44

(दिनांक 23 फरवरी, 2011)

(स्थगित)

स्थगित प्रश्न संख्या-43

(दिनांक 23 फरवरी, 2011)

(स्थगित)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 173 की सूची)

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की ग्राम पंचायतों के नाम

जो निगम सेवा से जुड़ी हुई नहीं है

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	निगम सेवा से नहीं जुड़ी हुई ग्राम पंचायतों के नाम
1	रामगढ़	ऊंटवाल
2	रामगढ़	खूटेटाकला
3	रामगढ़	खेडा
4	रामगढ़	दोहली
5	रामगढ़	खिलोरा
6	रामगढ़	खोह
7	रामगढ़	चिडवा
8	रामगढ़	चोरोटी पहाड़
9	रामगढ़	जातपुर
10	रामगढ़	घनेटा गढ़ी
11	रामगढ़	नंगला वजीरका
12	रामगढ़	रसगण
13	रामगढ़	साहडोली
14	रामगढ़	सेंतली
15	रामगढ़	हाजीपुर
16	लक्ष्मणढ़	मालपुरा
17	लक्ष्मणढ़	सेदमपुर
18	लक्ष्मणढ़	फाहरी
19	लक्ष्मणढ़	भेसडावत
20	लक्ष्मणढ़	सैमला खुर्द
21	लक्ष्मणढ़	दोगडी

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	निगम सेवा से नहीं जुडी हुई ग्राम पंचायतों के नाम
22	लक्ष्मणढ़	निजामनगर
23	लक्ष्मणढ़	बुटियाना
24	लक्ष्मणढ़	घाट
25	लक्ष्मणढ़	दीनार
26	लक्ष्मणढ़	गण्डूरा
27	लक्ष्मणढ़	बूंटोली
28	लक्ष्मणढ़	खेडा महमूद

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये एनीकटों के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

2. राजस्थान को पंजाब से विभिन्न समझौतों एवं परियोजनाओं से मिलने वाले निर्धारित पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. आई.जी.एन.पी. में आर.डी. 313 पर लगे कट को तुरन्त बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. गंगनहर के लाइनिंग के कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में गंगनहर के सैफ्टी वाल्व बदलने तथा 0 से 45 आर.डी. की सफाई के संबंध में चर्चा के लिये।
6. राजस्थान की नहरों में पंजाब से आ रहे दूषित पानी को तुरन्त प्रभाव से बंद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

7. रूपा रेल नदी पर घाट खुटेटा पर बना बंध से तथा गुडगांव कैनाल पहाडी हैड से लिफ्ट योजना बनाकर पानी भरतपुर नगर सीकरी बंध में डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

8. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के सोम कागदर बांध की एक मीटर ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के सोम कागदर बांध के नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

10. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सिंचाई हेतु ताकली बांध के निर्माण में हो रही देरी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

11. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के नहरी क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों 8-9 पी.एम. 5-6 नवोड़ा माईनर एवं मेन कैनाल पर आमजन की सुविधा के लिये पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में सी.ए.डी. खालों के निर्माण हेतु विभाग का कार्यालय पुनः जैसलमेर में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में चिन्नु माईनर के 1ए, 1बी एवं 2ए, 2बी तथा 8-9 डी.ओ.एल. के सी.ए.डी. खालों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

14. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बरो का जल स्तर ऊपर उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर-ग्रामीण) :

15. जिला उदयपुर में किसानों को सिंचाई हेतु प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सिंचाई हेतु तालाब एवं एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के किसानों को सिंचाई उपकरण सस्ते एवं रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में सिंचाई की मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

20. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में स्थित लखन का माईनर के अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में स्थित अवार-सोनार माईनर का स्वीकृत कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. डीग के ऐतिहासिक तालाबों में रेगुलेटरी सिस्टम से शीघ्र पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. कस्बा कुम्हेर में स्थित अस्पताल के पास कच्चा तालाब एवं महल के पास स्थित पक्का तालाब में रेगुलेटरी सिस्टम से शीघ्र पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

24. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के गुढा मध्यम-सिंचाई परियोजना तथा उसकी नहरों के रख-रखाव के अपूर्ण एवं घटिया स्तर के कार्यो की प्रभावी जांच करवाई जाने की विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

25. बीसलपुर परियोजना की देवली कालोनी के रख-रखाव तथा अपूर्ण सीमा बन्दी दीवार के निर्माण में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

26. चम्बल सिंचाई परियोजना की बांई मुख्य नहर में विशेषतः बून्दी ब्रांच के नाल की विभिन्न नहरों में हाल ही में किये गये घटिया स्तर के निर्माण कार्यो की अनदेखी पर चर्चा के लिये।

27. बनास नदी में व्यर्थ बहकर जा रहे सतही जल के उपयोग में लिये सुरेली ग्राम के निकट एनीकट के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. कुरेल नदी पर पुरानी निर्मित जखाना (बून्दी) पुलिया को एनीकट में तबदील करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

29. जिला जैसलमेर में डिग्गी निर्माण व फव्वारा पद्धति अपनाई जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

30. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गुडगांवा कैनाल से मतावली बंध कुम्हेर (भरतपुर) तक नहर निकालने के सर्वे में रौनीजा के जंगल में से होते हुये वहरामदा-भदीरा को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र नदबई धनागढ़ कैनाल एवं अजान बंध से खंडरा जाने वाले रास्ते की टूटी पुलिया की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र नदबई के अजान बंध क्षेत्र में जंगली बबूल से आम रास्तों के मार्ग अवरूद्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र नदबई के अजान बंध पर अधूरी डामर सड़क को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

34. जैसलमेर बाड़मेर जिलों में बाबा रामदेव ब्रांच का कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

35. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल साहवा में निर्माण हेतु बजट आबंटन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल साहवा तारानगर में कमाण्ड एरिया नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

37. चूरू जिले में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में शेष बचे कार्य को प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

38. विधान सभा क्षेत्र नावां के जवानपुरा ग्राम पंचायत श्यामगढ़ के पहाड़ों में एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र नावां के मातासुखा (जायल) योजना के पानी को नावां नमक झील में डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र नावां ग्राम पंचायत खाखड़की में एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

41. विधान सभा क्षेत्र नावां के नावां कुचामन लवण क्षेत्र को डार्क जोन से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र नावां में इंदिरा गांधी नहर को द्वितीय फेज का कार्य प्रारम्भ कर नावां कुचामन क्षेत्र को पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

43. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के बांध में ऊपर बने एनीकट को तुड़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

44. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के फलौदी लिफ्ट नहर से 1 हजार 500 हैक्टर भू-भाग पर सिंचाई प्रावधान रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. फलौदी में निर्मित 3 तालाबों की कृत्रिम झील का कार्य पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाडा) :

46. विधान सभा क्षेत्र सहाडा के रायथलीयास बांध की नहरों की चौड़ाई बढ़ाते हुये पक्की नहर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र सहाडा में लकड़ी बांध की फीडर को आधुनीकरण कर चौड़ाई बढ़ाने एवं उसे पक्की करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द्र मीणा (टोडाभीम) :

48. चम्बल नदी पर इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर सर्वे में करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद पिछले 10 सालों में पर्यावरण विभाग द्वारा मंजूरी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

49. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के कालकाजी बांध की चारदीवारी ऊंची करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

50. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ट्यूबवैल से सिंचाई व्यवस्था के संबंध में सरकार की ओर से अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

51. इंदिरा गांधी नहर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में जो ब्रांच निकली हैं उनकी सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में इंदिरा गांधी नहर से मसीतावाली हैड से रावतसर ब्रांच की सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

53. पाचना बांध का पानी जगर बांध में लाकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

54. विधान सभा क्षेत्र रेवदर आबूरोड के बांधों के नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र रेवदर आबूरोड भैंसासिंह बांध परियोजना चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

56. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ की लघु सिंचाई परियोजना भंवर सोमला का निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के बोरिया बांध में मिट्टी की सफाई कराने एवं ग्राम पंचायत पण्डावा की वितरिकाओं की मरम्मत एवं पक्का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में सिंचाई परियोजना पाडलिया, मचलाना, बजरगढ़ एवं गाडोला तालाब की नहरों की मरम्मत एवं विस्तार तथा चाचाखेड़ी, हमजा खेड़ी सिंचाई की नहरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में जाखम मध्यम सिंचाई परियोजना द्वारा निर्धारित अंतिम छोर तक सिंचित पानी नहीं पहुंचने तथा नहरों के रख-रखाव के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में माही परियोजना से अधिशेष पानी से पीपलखूंट क्षेत्र को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

61. भांखड़ा नागल बांध पर राजस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. पंजाब व राजस्थान के मध्य हुये समझौते के अनुसार पानी कम मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. राज्य के बड़े बांधों के आस-पास बने एनीकटों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

64. गंगनहर में पंजाब राज्य द्वारा दिये जा रहे पानी के गेज के संबंध में चर्चा के लिये।

65. गंगनहर के फीडर के बचे हुये हिस्से की लाइनिंग कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. बीकानेर कैनाल में 0 से 45 तक मरम्मत कर चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. भांखड़ा प्रणाली करणी सिंह वितरिका प्रणाली की आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. के अन्तर्गत वितरिकाओं को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. सरहिन्द फीडर पर बैक वाटरिंग से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

69. विधान सभा क्षेत्र भीम को चम्बल परियोजना से जोडने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

70. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के ऊदाली बांध से निकलने वाली नहर के खुर्दबुर्द होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के ऊदाली बांध के अटेचमेंट एरिया में अनावश्यक अवरोधों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

72. विधान सभा क्षेत्र बाली के फूटिया बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र बाली के आगोरिया तालाब सिन्दरली (देसूरी) को बांध में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र बाली के शैली बांध (देसूरी) के सिंचित क्षेत्र को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र बाली के आमलिया बांध को रेस्टोरेशन वर्क व इस बांध से नहरें निकाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत मालनूं में सरखजा बांध के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

77. विधान सभा क्षेत्र मारवाड जंक्शन में परसराम मदेरणा बांध जोगड़ावास का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के कोलर बांध का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. ग्राम चोकडिया में बने हुये एनिकट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर नरेगा में बन रहे एनिकट निर्माण को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. धारिया बांध की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

81. सीकर जिले में सिंचाई के लिये नहर लाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

82. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में लूणी नदी के पानी रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बड़े-बड़े तालाबों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

84. विधान सभा क्षेत्र सोजत के गजराई बांध की ऊंचाई कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

85. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर में स्वीकृत बाढ़ बचाव कार्य हेतु नहर निर्माण की सामग्री मद के कार्य की निविदा व ठेका होने के बाद भी गत दो वर्षों से कार्य सम्पन्न नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बोरूंदा बांध की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

87. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर में जयसमंद झील सम्पूर्ण एरिया की महत्वपूर्ण झील है इसकी भराव क्षमता बढ़ाने के लिये माही का पानी नगालिया डैम में और जाखम का पानी ग्रेविटी से टनल के माध्यम से जयसमंद में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. जाखम डेम धरियावद के नीचे एक नया डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर के देवास और वानसीवाकल नदियों के पानी को रोककर इसकी दिशा बदलकर सम्पूर्ण मेवाड क्षेत्र को पीने का पानी और सिंचाई में लाभान्वित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. राजसमंद झील के कैचमेंट एरिया में आ रही रूकावट को हटाकर पानी की आवक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. माही और कड़ाना सिंचाई योजना के सरप्लस पानी को बूंद-बूंद सिंचाई की दृष्टि से एवं लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से विस्तृत कार्य योजना बनाकर डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा एवं जाखम एरिया के शत प्रतिशत भाग से सिंचाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

92. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पीलीबंगा, रावतसर में सेम के पानी को तीन स्टेशनों पर विद्युत मोटरों द्वारा पम्प किया जाता है, उनके बिल का वार्षिक भुगतान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री आदराम मेघवाल)

93. राज्य सरकार द्वारा रावतसर में निर्मित सेम नाले की लाइन का रास्ता बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में आई.जी.एन.पी. की मुख्य नहर पर आर.डी. 99 पर पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बून्दी) :

95. विधान सभा क्षेत्र बूंदी की कुरेल नदी पर जखाना के पास एनीकट बनाकर टेल क्षेत्र के खटकड एरिया में लिफ्ट से पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के गरडदा बांध (लतारिया बांध) का पुनः निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. चम्बल की बायीं मुख्य नहर को पक्का कराकर टेल एरिया तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

98. यमुना सिंचाई एवं पेयजल हेतु सीकर जिले को पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. राज्य में सरफेस जल आज भी बहकर पडोसी राज्यों में जा रहा है उसका बांध बनाकर उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. पंजाब से राज्य के हिस्से का 0.6 एम.ए.एफ. पानी लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. आईजीएनपी में 18500 क्यूसेक की क्षमता के बाद भी हरी के बैराज से 15000 के आउट लेट ही होने से सम्पूर्ण क्षमता पर पानी नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. चम्बल परियोजना में चकबंदी एवं बाराबंदी लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

103. पांचना के कमाण्ड क्षेत्र के गांवों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. चम्बल नदी पर प्रस्तावित इंदिरा लिफ्ट परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रमेश चन्द मीणा)

105. गांव फुलवाड़ा तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में एनीकट (बीडान पर) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) :

106. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की स्वीकृत सिंचाई परियोजनाएं साबरमति, सोहणी पाडा खादी चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में नई सिंचाई परियोजनायें स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

108. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में समेजा नहर के लेवल की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पुलों की मरम्मत एवं गंग कैनाल पर पुलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

110. इंदिरा गांधी नहर के पंजाब स्थित 312-13 आर.डी. पर लगे कट को शीघ्र बंद करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

111. विधान सभा क्षेत्र बायतू के नवलोणी बेनीवालों की ढाणी, झाक में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स खडीन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र बायतू के ग्राम कालानाड़ा ग्राम पंचायत झाक में खडीन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

113. अनूपगढ़ एवं पूगल ब्रांच नहरों की जर्जर हालत की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।।

114. खाजूवाला में एफ.बी.डी., के.जे.डी., बी.जी.एम. माईनर नहरों का बेड लेवल ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

115. इंदिरा गांधी नहर का पानी पेयजल हेतु लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में लाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

116. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पहाड़ी क्षेत्र में चैकडेम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के नदी किनारे कुओं में जल स्तर को बढ़ाने हेतु बैसफ्लो एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

118. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के 50 गांव को सिंचाई हेतु नर्मदा नहर से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

119. प्रदेश में सिंचाई के साधन विकसित किये जाने हेतु बड़े बांधों के स्थान पर छोटे-छोटे बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. जयपुर के रामगगढ़ बांध में आने वाले पानी के मार्ग में किये गये अतिक्रमणों को हटाने एवं कूकस बांध में बनाये गये फार्म हाऊसों को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. वर्ष 2010 की बरसात में सिंचाई विभाग के बांध टूट जाने से घटिया निर्माण की जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिये बनाई गई सुपरवाइजरी कन्ट्रोल एण्ड एक्जीवेशन आफ डाटा यानि स्काडा नामक प्रणाली पर किये गये खर्चे के बावजूद प्रणाली के फेल होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में पड़ने वाले खानिया बांध आगरा रोड जो वर्ष 1981 में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था को पुनः दुरस्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंह नगर) :

124. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में नानूराम खाटा माइनर का सर्वे कर कार्य को प्रगति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

125. श्रीगंगानगर जिले में विजय नगर कस्बे के नजदीक गंग कैनाल की कच्ची करणीजी ब्रांच को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

126. परवन वृहद सिंचाई परियोजना, ईटावा क्षेत्र कोटा की दहलोद लिफ्ट परियोजना, बालूपा लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

127. कोटा संभाग की लम्बित विभिन्न परियोजनाओं को सी.डब्ल्यू.सी./वन विभाग से स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. चम्बल की दांयी व दांयी मुख्य नहरों, वितरिकाओं माइनरों का सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. कोटा संभाग की लघु, मध्यम व वृहद्ध सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. चम्बल की दायीं मुख्य नहर की गेंता डिस्ट्रीब्यूटरी की चेन सं. 410 पर चम्बल का पानी तथा खातोली डिस्ट्रीब्यूटरी की चेन सं. 299 में व चेन सं. 170 में पार्वती नदी का पानी तथा एल.एम.सी. के घाट का बराना के पास चेन सं. 955 व बागली डिस्ट्रीब्यूटरी में मालीदा, केशवरायपाटन के पास चम्बल का पानी लिफ्ट करके सिंचाई करने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी):

131. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में चम्बल लिफ्ट योजना (सिंचाई एवं पेयजल) स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. आंगई बांध से निकलने वाली मुख्य नहर एवं उसकी वितरक नहरों को कंक्रीट सीमेंट से पक्का करने में हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

133. आंगई बांध नहर से वितरिका (कारीलपुरा-बागवट) को यू.पी. बोर्डर तक बढ़ाने तथा धौंर के लिये नई वितरिका बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. पार्वती नदी पर भूतेश्वर महादेव के पास बसेड़ी में मिनी डैम या एनीकट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. पार्वती नदी पर बनाये जाने वाले एनीकट एवं मिनी डैम निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

136. जहाजपुर क्षेत्र में डब्ल्यू.एच.एस. के तहत स्वीकृत एवं अपूर्ण कार्य सरला सागर रासेड के रेजिंग व पीचिंग के बकाया कार्य को पूर्ण करवाने पर चर्चा के लिये।

137. जहाजपुर क्षेत्र में स्वीकृत ढगरिया एनिकट एवं कंजर की नाडी एनिकट के कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. जहाजपुर क्षेत्र के बरदुपरा तालाब की आवक बढ़ाने के लिये फीडर कम एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. जहाजपुर क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ाने के लिये बनास नदी में कांटी के पास बागूदार के पास एवं घांटारानी के पास जीरो लेवल एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. जहाजपुर क्षेत्र में बावरी तालाब तसवारिया तालाब, भीलड़ी तालाब एवं टीरोडी तालाब को इंटर लिकिंग कर सिंचाई क्षमता में वृद्धि करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

141. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में श्यामगढ़ माईनर को विस्तार कर खरला बारानी एवं 74 एन.डी. बारानी को सिंचित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर-पश्चिम) :

142. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र के बांधों में पानी पर्याप्त होने पर भी काश्तकारों को पूरा पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

143. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के सभी बांध को सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लेकर मरम्मत करने एवं बांधों पर से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर के कंचखाल में दो एनीकट एवं पूर्व में रूपारेल नदी पर गोविन्दपुरा के पास हजारी बांध बनाने सेंथली एवं चिमरवाड़ा पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

145. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित बांधों से हो रही सिंचाई एवं उस पर हो रहे रख-रखाव के खर्च में कटौती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में लघु सिंचाई के अन्तर्गत नलकूपों में गिरते जल स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

147. ड्रीप सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिये कार्य योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

148. माही बांध के विस्तम् क्षेत्र के धीमी योजना से मूल माही परियोजना में प्रस्तावित क्षेत्र का 35 वर्ष बाद भी सिंचित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

149. इंदिरा गांधी नहर में पन बिजली घर (जल चक्की) से विद्युत उत्पादन में अवरोध की स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में काम आने वाला करोड़ों रुपये का सामान श्रीगंगानगर से जैसलमेर तक सड़क किनारे पड़ा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

151. जोधपुर, पाली, बालोतरा क्षेत्र में लूणी नदी में छोडे जा रहे औद्योगिक अपशिष्ट एवं सीवरेज जल की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. उम्मेद सागर बांध एवं कायलाना और संलग्न भराव नहरों में हो रहे प्रदूषित पानी एवं कचरे के डिस्पोजल को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. प्रदेश की नदियों, वर्षा नहरों, परम्परागत जल स्रोतों के भराव एवं बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. जोधपुर में भू-जल बढ़ने की समस्या के तात्कालिक समाधान के रूप में निकाले जा रहे अमूल्य जल को सिंचाई के काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. इंदिरा गांधी नहर योजना में सेम जल रिसाव, नहर में मिट्टी भराव

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

की समस्या निदान हेतु नहर जल प्रवाह को पाइपों से क्रमिक प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयदीप (भादरा) :

156. नहरों में पानी की कम आवक व पक्के खालों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

157. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के चिक्साना बांध की मरम्मत कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के गोवर्धन ड्रेन से यमुना का पानी लाकर खाली पोखरों में उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अन्जू खन्गवाल (बस्सी) :

159. जयपुर जिले की बस्सी तहसील में दूबली बांध की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

160. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में अधूरी सिंचाई परियोजना पीपलोन व टिडियादेव को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के बियापाड़ा सिंचाई परियोजना की नहरें पक्की करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की सिंचाई परियोजना घोड़ादरा व झाखरिया में पानी लिकेज को बंद कर किसानों को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में एनीकट व चेक डैम का निर्माण कर बरसात के पानी को रोककर किसानों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में अनास नदी व हिरण नदी पर लिफ्ट लगाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व) :

165. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बंद पड़ी लिफ्ट नहरों के पावर स्टेशन प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

167. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 0 लेवल एनीकट निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

168. हरिके बैराज के गेटों (दरवाजों) से रिसाव से पानी पाकिस्तान जाने से रोकने के लिये मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर नहर की शीघ्र मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. हुसैनीवाला हैड वर्क्स (पंजाब) नहर की सफाई कर गंग कैनाल में मरम्मत कर अतिशीघ्र पानी देने की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. हरिके बैराज पर राजस्थान के हिस्से का पानी लेने हेतु पूर्ण क्षमतानुसार गेट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. भाखड़ा बांध व पौंग बांध में भराव क्षमता के अनुसार पानी नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

173. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में समरा (हमीरपुर) में टूटे बांध की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 159.50 खुडियाला-जीयाबेरी-आगोलाई-सिंहादा-बालेसर व वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 134.00 देवानिया-नथडाऊ कानोडिया-54 मील-चोरडिया-शेरगढ़-चाबा के द्वितीय चरण का कार्य प्राथमिकता से करवाने हेतु चर्चा के लिये।

2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर में नकारा नलकूप देवनगर चांचलियानाडा केरलानगर, भालू जवाहरपुरा, भालू राजवा, भालू कलां, ओपनवैल बिराई बेरी, देडा, हापासर, ओपनवैल अलीदासनगर, नलकूप नं. 02 डेरिया, मेरिया, ओपनवेल जुडिया जिनजिनयाला कलां, कनोडिया पुरोहितान धीरपुरा, कुई इंदा खारीबेरी, जेठूसिंह नगर, ओपनवैल खिलो का धोरा हिम्मतनगर, नलकूप बालेसर, अमृतनगर, धांधलों की ढाणी, पाबूनगर, पुंजराजसिंहनगर, चामू, कुई जोधा, बेलवा, गोपालसर के स्थान पर नवीन नलकूप स्वीकृत कर खुदवाने एवं पंचायत समिति शेरगढ़ में नकारा ओपनवैल नयाबास गडा, झीपों की ढाणी अभयगढ़, डूंगरपुरा, ईश्वरसिंह की ढाणी दलपतनगर, झीपों का बेरा, उत्तमसिंहनगर, खिरजा खास, बाबूगढ़, नलकूप सुरालानाडा रामनगर, रामगढ बनेजीरों की ढाणी चैनसिंहनगर, नलकूप नाहरसिंह नगर, सोहनसिंह नगर, नलकूप तेना मुख्यालय, पुंगलिया, तिबना, ओपनवैल खिरजा भोजा, सिंहादा, बुद्धों तिब्बों की ढाणी, हेमसागर, नलकूप सेतरावा, ओपनवैल पींच का बेरा चारणी भाण्डू के स्थान पर नवीन नलकूप स्वीकृत कर खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में अनुसूचित जाति/जनजाति की ढाणियों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी) भारत निर्माण के

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

तहत पंचायत समिति शेरगढ़ के राजस्व गांवों में नलकूप खुदवाकर ढाणियों को पेयजल से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ढाणियों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एनआरडीडब्ल्यूपी) भारत निर्माण के तहत पंचायत समिति बालेसर में नवीन नलकूप की स्वीकृति जारी करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना 54 मील शेरगढ़-चाबा अगमेन्टेशन स्कीम एवं क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सामेसर-सुवालिया अगमेन्टेशन स्कीम बनाकर स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

6. श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ की राज्य सरकार के पास विचाराधीन योजनाओं को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

7. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में पानी के दोहन पर राज्य सरकार द्वारा अंकुश नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

8. श्रीगंगानगर जिले में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

9. श्रीगंगानगर जिले के वाटरवर्क्स कार्यालय की चारदीवारियों को बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की पैंडिंग योजनाओं को अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

11. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में फ्लोराइड युक्त पेयजल को आर.ओ. लगाकर मीठे जल में परिवर्तित करने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

12. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम विजयसिंहपुरा के लिये जल योजना स्वीकृति हेतु पानी की बड़ी टंकी व ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री भगवान सहाय सैनी)

13. चौमूं कस्बे में जल स्त्रोत सूख जाने के कारण चौमूं के लिये जल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. चौमूं कस्बे में पुरानी पेयजल लाइन को बदलकर बड़ी व स्टील की पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. चौमूं कस्बे की बढ़ती आबादी के अनुसार कस्बे में मगधविहार, तोबड़ों की ढाणी, चारा मण्डी के पास, श्रीराम कालोनी व वार्ड नं. 19 भोजलावा तलाई में पानी की बड़ी टंकियां निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. ग्राम गोविन्दगढ़ मलिकपुर कालाडेरा, मोरीजा, सामोद में 15 किलोमीटर पानी की नई लाईन डालने व ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :

17. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ऋषभदेव कस्बे में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये घाटकोण एनिकट का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के घाटकोण में एनिकट निर्माण पर ग्राम पंचायत गडावणा एवं किकावत को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की तहसील मुख्यालय ऋषभदेव में पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

20. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में संचालित पेयजल योजनाओं व नई स्वीकृत पेयजल योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

21. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में नोखा पेयजल योजना एवं दांतल-बलाड पेयजल योजना को स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में पुरानी पाइप लाइन राजमथाई-फलसूण्ड-बलाऊ-खुमाणसर-बलाड़-भीणयाणा को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना):

23. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वृहद पेयजल उम्मेदसागर-धपा-कल्याणपुर-समदड़ी खण्डप योजना में चरण चतुर्थ व पंचम का कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की वृहद पेयजल पोकरण फलसूण्ड-बालोतरा-सिणधरी योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पेयजल के अन्तर्गत दादरू से ग्राम पंचायत सिणधरी को जोड़ने वे व नई पाइप लाइन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में भाटा से सिणधरी-मलखाडी जल प्रदाय योजना के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में क्षतिग्रस्त पानी की होदियों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर-ग्रामीण) :

28. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में समुचित पेयजल वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर के गांव नाई में मानसीवाकल हेतु निर्मित फील्टर प्लांट से नाई गांव को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में देवास योजना के कारण पानी का जल स्तर बहुत नीचे चले जाने से पेयजल अविलम्ब उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

33. धौलपुर-भरतपुर चम्बल परियोजना से कुम्हेर-डीग के ग्रामों को शीघ्र पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. दिगम्बर सिंह)

34. कस्बा डीग (भरतपुर) में पेयजल हेतु मीठे पानी की शीघ्र व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

35. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के क्षतिग्रस्त जीएलआर व पाइप लाइन के लिये बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. पेयजल योजना विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर की विभागीय पेयजल योजना पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के नकारा ट्यूबवैलों को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

38. भरतपुर-धौलपुर चम्बल लिफ्ट परियोजना में कुम्हेर तहसील में लगे हुए नदबई क्षेत्र के खारे पानी वाले इलाकों को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. वर्ष 2007 में नदबई के लिये स्वीकृत शहरी पेयजल योजना (198 लाख रुपये की) को क्रियान्वित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए विधान सभा क्षेत्र नदबई के लिये पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र नदबई में वाटर लेवल नीचे चले जाने से ट्यूबवैल/हैण्ड पम्प की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

42. रेगिस्तानी जिलों बाड़मेर-जैसलमेर में लगातार कई सालों से अधीक्षण अभियन्ता एवं जेईएन के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती रेगिस्तानी शिव क्षेत्र में लगातार डेढ़ वर्ष से सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र शिव में कर्मचारियों की कमी से हो रही चोरियों की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खां)

45. बाड़मेर जिले के राकूजप खण्ड में गिराब-खडीन विस्तार योजना के पिछले 5 वर्षों से स्वीकृति के लिये विचाराधीन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. बाडमेर जिले के दखन खण्ड की मीयो का तला कुमारो का टीबा क्षेत्रीय योजना में विस्तार की स्वीकृति एवं मजदूरों के अभावों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

47. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों को शुरू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पेयजल की भयंकर किल्लत को देखते हुए नये ट्यूबवैल एवं पाइप लाइन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में टूटी हुई जीएलआर की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

51. आपणी योजना में रिजर्ववायर्स की सफाई नहीं होने तथा पम्पों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में स्वीकृत पेयजल योजना पर कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में अधिशासी अभियंता कार्यालय तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के शिकायती पत्रों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. आपणी योजना अन्तर्गत चूरू में टूटे हुये रिजर्ववायर्स की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. पूगी राजगढ़ क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना को शीघ्र प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) :

56. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में सुचारु पेयजल आपूर्ति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

57. विधान सभा क्षेत्र जयपुर शहर मालवीय नगर के वार्ड 40 में स्थित मिलाप नगर, जयजवान कालोनी हिम्मतनगर आदि क्षेत्र में पेयजल समस्या समाधान हेतु पानी की टंकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. जयपुर शहर में पेयजल की समस्या के स्थाई समाधान हेतु बीसलपुर बांध को चम्बल नदी से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. गर्मियों में जयपुर शहर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु अप्रैल माह से ही कन्टेजेन्सी प्लान पर कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र जयपुर शहर के मालवीय नगर के वार्ड नं. 40 स्थित बसन्त बहार कालोनी में पेयजल की सुचारु सप्लाई के लिए पानी की टंकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. जयपुर शहर में दूषित पानी की सफाई रोकने हेतु जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

62. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में दलित बस्तियों में पानी की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पानी की लाईनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. अलवर जिले में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

65. नावां क्षेत्र के गांवों में पेयजल हेतु मीठा पानी संयंत्र प्लांट व आरो प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. नावां-कुचामन के गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी से मुक्ति दिलाकर मीठा पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

67. विधान सभा क्षेत्र नावां में गांवों को पेयजल हेतु बीसलपुर योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

68. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम पंचायत फूटालाव में सभी गांवों में पानी की योजना व आरो प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के बांध से ग्राम रायपुर आंधी खड़कड़ा, खवाशजी, थूंज धौलाई में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की तहसील में सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

71. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के गांव खीचन, मलार, गोदरली, जोड रिण, हिन्डाल, बावड़ी, मोखेरी को नहरी मीठा पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. पंचायत समिति बाप क्षेत्र में मीठा पानी की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

73. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में सभी अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक बस्तियों की पेयजल योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा क्षेत्र में दो साल लगातार पेयजल समस्याग्रस्त गांव जहां टैंकरों से पीने के पानी की व्यवस्था की गई वहां स्थाई समाधान स्कीम बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

75. पाली शहर में नयागांव के पास स्थित तिरूपति नगर, सूर्य कालोनी, वैष्णव नगर की गलियों में पाइप लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. पाली शहर की विभिन्न बस्तियों एवं रोहट तहसील के गांवों हेतु 50-50 हैण्ड पम्प स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

77. पाली जिले की रोहट तहसील के भाकरी वाला एवं मुरयासनी गांव के उच्च जलाशय से जुडे गांवों हेतु नई पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव झीतड़ा, माडपुरिया, इन्द्रको की ढाणी हेतु नई पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. पाली शहर एवं रोहट तहसील के गांवों के पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु जोधपुर से रोहट एवं पाली तक पाइप लाइन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

80. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पेयजल के परम्परागत जल स्त्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

81. विधान सभा क्षेत्र गोपालगढ़ के बावड़ी पं.स. तिवरी माथनिया को पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

82. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में फ्लोराइड की अधिकता को देखते हुये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

83. विधान सभा क्षेत्र करौली के गांवों में ग्रीष्मकाल में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ट्यूबवैल व हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (परबतसर) :

84. विधान सभा क्षेत्र परबतसर के गांवों को राजस्थान नहर का पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. पं.स. कुचामन की ग्राम पंचायत पलाडाव मंडावरा में पीने के पानी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर) :

86. पं.स. जवाजा के गांवों में बीसलपुर योजना से पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

87. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में नूंद से मीचरों की ढाणी तक पाइप डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में जिन ग्रामों की जनसंख्या 2000 से अधिक है वहां नल योजना शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. डेगाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पुन्दलोता में नल योजना शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में गम्भीर पेयजल संकट वाले गांवों एवं ढाणियों में 100 हैण्डपम्पों एवं 15 नलकूपों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम डोडियाना, विलानेस, चान्दारूण खुडीकलां, सधीनाकलां में ओवर हैड टैंकों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

92. विधान सभा क्षेत्र रेवदर आबूरोड क्षेत्र में पेयजल हेतु राशि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

93. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले में जलदाय विभाग द्वारा निर्मित पम्प खण्ड स्कीम, हैण्डपम्प, जलोत्थान योजना व पारम्परिक जल स्त्रोत का जीर्णोद्धार कराने के लिये वर्ष 2011-12 में राशि आबंटित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ तह. के जाखम बांध से 32 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना में से 18 गांवों को अब तक पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. प्रतापगढ़ मुख्यालय पर हाउसिंग बोर्ड कालोनी में पेयजल व्यवस्था हेतु उच्च जलाशय तथा प्रतापगढ़ शहर की काफी पुरानी पतली पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. ग्राम पंचायत घण्टाली व केसरपुरा के गांवों व मजरों के लिये पेयजल उपलब्ध कराने के लिये स्वीकृत की गई एवं घोषित राशि का अब तक कार्य सम्पादन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल मीणा)

97. प्रतापगढ़ शहर की दूरगामी पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम खेरिया दो से पानी सप्लाई करने के लिये राज्य सरकार के पास विचाराधीन सर्वे रिपोर्ट को शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

98. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए हैण्डपम्प व अन्य पेयजल सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की स्वीकृतियों के संबंध में चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की ढाणियों व गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

101. विधान सभा क्षेत्र भीम के ग्राम पंचायतों को स्थाई पेयजल सुविधा हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

102. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना की ग्रामीण पेयजल योजना को मंजूर ना किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

103. विधान सभा क्षेत्र बाली के पीपला, लाटाडा, नाणा बीसलपुर के लिये पूर्व में स्वीकृत किये गये पम्प ओवरहैड टैंक निर्माण व आग्यूमेंटेशन कार्यों को निरस्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. जिला पाली की पं.स. बाली पं.स. देसूरी व पं.स. रानी के 250 गांवों को जवाई पेयजल पाइप लाइन योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. पं.स. देसूरी व पं.स. बाली में सरकारी पेयजल वितरण में लगाये गये टैंकर्स के बकाया भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

106. विधान सभा क्षेत्र बाली के खीगेल गांव की क्षतिग्रस्त (एसआर) ओवरहैड टंकी के पुन: निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र बाली के हैण्डपम्प स्कीम के गांव माताजीवाडा, धाणदा, बामणिया, फतापुरा, सादलवाटीपरी वरावल आदि को जनता जल योजना में स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन) :

108. ग्राम पिलावनी पं.स. राणी में ओवरटैंक बना कर नल योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. पाली जिले को जोधपुर में आ रहे हिमालय के पानी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जनता जल योजना सारण का हिसाब नहीं देने एवं सोसायटी द्वारा घोटाले करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के 113 गांवों की जवाई पाली परियोजना से इसी वित्तीय वर्ष में जोड़ने तथा पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

112. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में वर्षों पुरानी पाइप लाइनों को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

113. सीकर जिले में दांतारामगढ़, धोद, नीमकाथाना में पीने के पानी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. सीकर जिले के फ्लोराइड प्रभावित लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर क्षेत्र की जनता के लिये पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्राम शेषम में पानी का नया नलकूप बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र धोद हरिजन बस्ती जैसे दीपपुरा राजाजी सहित अन्य ग्रामों के विचाराधीन प्रस्तावों की स्वीकृति कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

117. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में चतुर्थ श्रेणी (पीएचईडी) के कर्मचारियों के स्थानान्तरण का अधिकार जिला लेवल के अधिकारियों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा खण्ड में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में अनुसूचित जाति/जनजाति ढाणियों को पेयजल दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

120. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सोजत रोड में वाटर ट्रेन अतिशीघ्र शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर तहसील की 12 पंचायतों की पेयजल योजना पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सन् 2008 से 2010 तक पेयजल परिवहन कार्य में सवेधक अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

123. सम्पूर्ण स्रोत खण्ड में वर्ष 2008 से 2010 तक पेयजल परिवहन कार्य में सवेधक अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

124. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम माणकलाव-दातीवाड़ा-बिलाड़ा-पीपीडशहर एवं 119 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये पैकेज के द्वितीय चरण का कार्य प्रारम्भ करने के लिये बजट आबंटित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जर्जर स्थिति में हुई ओवरहैड पानी की टंकियों को गिराने के बाद सुचारु रूप से ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु नई ओवरहैड टैंक के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

126. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में मारवाड़ नगर, रामदेव नगर नाकोडा नगर चौपासनी बाइपास क्षेत्र में पेयजल वितरण लाइनों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में परम्परागत जल स्त्रोतों से भू-जल स्तर कम करने के नाम पर निकाले जा रहे अमूल्य जल को सीवरेज में बहाने से रोक कर सन्निकट ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के खनन क्षेत्र में बहुत गहरी बंद खानों में भरे वर्षा जल को पेयजल के रूप में काम में लेने हेतु नया संग्रहण रिजवायर क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में उम्मेद सागर बांध के पास चौपासनी गांव के पहाड़ी पर लम्बे समय से पूर्ण निर्मित उच्च जलाशय चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर शहर) :

130. प्रदेश में पानी वितरण और उसकी सम्पूर्ण योजना निजी हाथों में देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. उदयपुर जिले की आज भी कई योजनायें जो जलदाय विभाग ने बनाई और इसका अधिकांश काम पूरा होने के बाद भी जनता को पानी का वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. उदयपुर शहर में आज भी कई आबादी क्षेत्र शुद्ध पानी की लाइन से वंचित हैं इसकी कार्य योजना बनाकर इसको पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. राजस्थान के जलदाय विभाग में जितने पाइप लाइन खरीदने की प्रत्येक जिले को जितनी सीमा दे रखी है उससे कई गुना पाइप खरीदकर अनावश्यक व्यय किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. उदयपुर शहर में नगर विकास न्यास नगर परिषद विधायक एवं सांसद मद से करोड़ों रुपया पिछले वर्षों में जलदाय विभाग को प्राप्त होने पर भी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) :

135. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की तहसील रावतसर एवं पीलीबंगा और अन्य ग्राम यथा गधेली, गोलुवाला कस्बा, कनवासी चार शिवाये, हरदार वाली बिजाजी चक, सुरावाली, खोतावाली, झाखडाली रामपुरा मटोरिया, प्रेमपुरा, रंग महल रामपुरा एवं क्षेत्र के सभी गांवों में पानी की टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्राम माणकथेडी (अधरी योजना) में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बून्दी) :

137. बून्दी शहर को चम्बल से जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के 5000 की आबादी वाले गांवों को टंकी बना कर घरों तक नल से पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

139. ग्राम रानीजाथान, भनोखर, कठूमर, खेरलीरेल, जावली, खोह, गारू, कठूमर जिला अलवर में चल रही नल योजना में पुरानी पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में 65 ग्रामों में खारे पानी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. खेरलीगंज नगरपालिका क्षेत्र जिला अलवर में नल योजना सम्पूर्ण रूप से चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) में अनु. जाति के मोहल्लों में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

143. दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. राज्य में 22 हजार से अधिक ग्रामों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की वृहद योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारियों के

(श्री अमराराम)

मेंटेनेन्स से हेतु सामान क्रय करने हेतु पावर डेलीगेट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. सीकर जिले के पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. स्वजलधारा योजना के सभी ट्यूबवैलों के बिजली बिलों का भुगतान विभाग द्वारा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीणा (टोडाभीम) :

148. ग्राम मोहनपुरा, ग्राम पंचायत धवान, तहसील टोडाभीम में विधायक कोष से की गई सिंगल फेस मोटर पम्प की स्वीकृति अपूर्ण रखने तथा विधायक कोष से टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के लिए की गई अनुशंषा की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी पिछले 6 महीनों में तकनीकी अनुमान नहीं भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. ग्राम बाडा पिचानौत, सावटा, खूंटा चैनपुर, बागोर, बामोरी, गुडली, गढी, बास तह. नादौती गांव में लाखों रु. की पाइप लाइन के बावजूद पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. ग्राम सोप में पेयजल की आपूर्ति केवल एक स्थान पर कुएं में डाली जाती है जबकि 6500 की जनसंख्या में से 5000 की जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध नहीं होता। अतः हरिजन मौहल्ला, बैरवा बस्ती, घानवाद पट्टी, कस्बा इत्यादि में स्थित कुएं आदि में पाइप लाइन से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. ग्राम सोप, तह. नादौती, जिला करौली में पुरानी टंकी जीर्ण-शीर्ण है, जो पिछले पांच सालों से खतरनाक एवं अनुपयोगी खड़ी है जिसको गिराकर नई बनी दूसरी टंकी से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

152. अजमेर शहर के उत्तर क्षेत्र की पेराफेरी गांवों में हैण्डपम्प, ट्यूबवैल व टंकियां बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. आने वाले गर्मियों में अजमेर शहर की जनता को पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री वासुदेव देवनानी)

154. बीसलपुर योजना में अजमेर शहर की अनदेखी कर जयपुर शहर को पेयजल की मात्रा क्रमशः बढ़ाई जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

155. अजमेर शहर के सभी जोन्स में शहरवासियों को 24 घंटे के अंतराल में पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. अजमेर में बीसलपुर द्वितीय चरण को पूरा कर माकड़वाली लोहागल व अजमेर के पेरीफेरी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) :

157. विधान सभा क्षेत्र झाडोल की अधूरी पेयजल परियोजनाओं को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

158. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वाटरवर्क्स की डिग्गीयों की चार दीवारी निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वाटरवर्क्स चैनल की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. जिला श्रीगंगानगर के विभागीय पेयजल योजना से वंचित गांवों को पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

161. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में 10 नये मिनी वाटरवर्क्स स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

162. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने एवं नये हैण्डपम्प लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बे किशनगढ़ रेनवाल, सांभर व फुलेरा में नियमित रूप से प्रतिदिन पेयजल सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री निर्मल कुमावत)

165. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभरलेक, भादवा, रोजडी, रामजीपुरा में नये उच्च जलाशय का निर्माण कराने के संबंध में।

166. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का नया सहायक अभियंता कार्यालय स्थापित करने के संबंध में।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

167. ग्राम पंचायत कैसूम्बला मारियान में रामदेव मन्दिर के पास ट्यूबवैल खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. ग्राम खरंटिया, सणाय, बोडवा के ग्रामों को बाड़मेर लिफ्ट परियोजना के द्वितीय चरण में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र बायतू में कन्टीजेन्सी मद में राशि स्वीकृत कर क्षतिग्रस्त पाइप लाइन, हैण्ड पम्पों के दुरुस्तिकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र बायतू में पी.एच.ई.डी. के अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र बायतू की क्षतिग्रस्त पानी की टंकियों की मरम्मत एवं सफाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

172. खाजूवाला में आरडी 682 एवं पूगल बान्च की 0 आर.डी. (जीरो आर डी) पर पीने के पानी की वृहद पेयजल परियोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की पेयजल डिग्गियों की सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

174. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ की अनुसूचित जाति/जनजाति अल्पसंख्यक बस्तियों व ढाणियों में पेयजल स्त्रोत स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के पानी के स्त्रोतों पर डिफ्लोरिडेशन यूनिट लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

176. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के सभी गांवों को पेयजल अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के माध्यम से नहर का पानी शीघ्र उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के लोगों को फ्लोराइडयुक्त पानी से मुक्ति दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के ग्राम पालड़ी, पाटोदा, नेछावा, सेवदडा, भूमा बडण, बैलारा आदि में उच्च जलाशय निर्मित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

179. खातोली-गांगली तथा धाड़ पेयजल योजना के पुनर्गठन में की जा रही विभागीय अनदेखी पर चर्चा के लिये।

180. गलवा बांध से उनियारा पेयजल योजना के लिये पेयजल शुद्धिकरण प्लान्ट को बदले जाने में की जा रही अनावश्यक देरी के संबंध में चर्चा के लिये।

181. तहसील क्षेत्र देवली तथा उनियारा के लिए ग्रीष्मकालीन आकस्मिता के मध्यनजर फ्लोराइडयुक्त अपेयजल वाले ग्रामों के लिए स्थाई पेयजल योजना निर्माण के लिये प्रभावी कार्यवाही करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

182. विद्यालयों के छात्रों को विशेषत: उच्च प्राथमिक विद्यालय इन्द्रपुरा कालोनी (देवलीगांव-देवली) को पाइप लाइन डालकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने में विभागीय अनदेखी पर चर्चा के लिये।

183. बीसलपुर उनियारा की स्वीकृत पेयजल योजना को प्रारम्भ किये जाने में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-दक्षिण) :

184. विधान सभा क्षेत्र अजमेर में 10 नये ट्यूबवैल व 50 नये हैण्डपम्प खोदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. अजमेर की पेयजल आपूर्ति हेतु बीसलपुर योजना को चम्बल से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती अनिता भदेल)

186. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में उपलब्ध प्राकृतिक स्त्रोतों पर सिंगल फेस की मोटर लगवाकर पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. अजमेर के ज्वालाप्रसाद नगर, बालकपुरा, माखुपुरा फकीरा खेड़ा, जवाहर की नाड़ी व जागृति नगर को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की माकूल व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण की अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु नई लाइनें बिछाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

189. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के हैण्डपम्पों व नलकूपों का जलस्तर नीचे जा चुका है, उन सभी को गहरा करवाकर पुनः चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना की ग्राम कोलिया एवं खुनखुना की जीर्ण-शीर्ण पेयजल लाईनों को दुरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम बगतपुरा से ग्राम मण्डूकरा, खखालिया, बगरूवगलिया भवाद कुचेरिया, कल्याणपुरा के जल वितरण योजना का सुचारू संचालन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. इंदिरा गांधी नागौर लिफ्ट पेयजल योजना द्वितीय फेज के कार्य को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. डीडवाना नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल वितरण की पुरानी पाइप लाइनों को बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

194. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुये 30 नये ओपनवैल/ट्यूबवैल एवं 50 नये हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

195. बीसलपुर योजना से जयपुर को मिल रहे पानी में 30 एम.एल.डी. पानी अधिक लेकर जवाहर नगर, जनता कालोनी सेठी कालोनी, सिंधी कालोनी, आगरा रोड एवं आदर्श नगर क्षेत्र में दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. जयपुर शहर में आगामी ग्रीष्म ऋतु से पूर्व पेयजल की आपातकालीन योजना बनाने एवं क्रियान्विति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. जयपुर शहर में पेयजल लाइन लीकेज के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने से होने वाले हादसों को रोकने के लिये लीकेज दुरुस्त करने के लिए माकूल व्यवस्था किये जाने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. जयपुर शहर वृत्त के वितरण एवं उत्पादन खण्ड में आवश्यकता से अधिक सामान क्रय किये जाने से विभाग को हुए नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

199. आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र की जनता कालोनी, आदर्श कालोनी में पुरानी पाइप लाइन बदले जाने व आगरा रोड के बायीं ओर की कालोनियों में पेयजल की योजना बनाने एवं अन्य कालोनियों के लिये पेयजल योजनायें बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

200. बढ़ते आबादी भार के कारण घड़साना की अपर कालोनी, गुरुदयाल कालोनी, सुन्दर कालोनी, कच्ची बस्ती 3एसडीआर एवं रावटा के वार्डों में अतिरिक्त पाइप लाइन देकर पेयजल उपलब्धता कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) :

201. कोटा जिले के कैथून, सांगोद, बूंदी जिले में बूंदी शहर, तालेडा, केशवरायपाटन में चम्बल नदी का जल पेयजल के रूप में उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. कोटा शहर की पेयजल आवश्यकताओं को देखते हुए नये कोटा क्षेत्र में नये वाटर फिल्टर प्लांट की स्थापना व 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री ओम बिरला)

203. कोटा शहर में नगर निगम सीमान्तर्गत क्षेत्र में चम्बल का फिल्टर जल वितरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. कोटा संभाग की टंकियां जिनसे वर्तमान में पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है उनके द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने व संभाग में खराब पड़ी पाइप लाइनों को दुरुस्त कराने एवं नयी पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. कोटा शहर की यूआईटी द्वारा विकसित आरके पुरम श्रीनाथपुरम, सुभाषनगर, राजीवगांधी नगर, महावीर नगर विस्तार योजना, अनंतपुरा, तथा घोड़े वाले बसती में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने, शहर में खाली पड़ी पानी की टंकियों को भरने के लिये पाइप लाईन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेडी) :

206. विधान सभा क्षेत्र बसेडी के गांवों में पानी की टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के डांग क्षेत्र के लिये टेंकरों द्वारा पेयजल सप्लाई किये जाने व टेंकरों के फेरे बढाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में पीने के पानी के लिए टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र बसेडी-सरमवुरा (डांग जोन) के 82 ग्रामों के लिये डाली जाने वाली पाइप लाइन में नियमों की अनदेखी कर अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र बसेडी के डांग के लिये विशेष पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) :

211. विधान सभा क्षेत्र मकराना में अनुसूचित जाति के मोहल्लों में निर्मित नलकूपों तथा आंगनबाड़ियों के सामने निर्मित नलकूपों में मोटर लगाने व पाइप लाइन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

212. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में टीकड़ ऊचर स्कीम जुवाला-डांगीथला-कुराडिया स्कीम को चालू करवाने एवं मंजूर स्कीम बिहाडा-गन्धेर स्कीम व बोरडा-दिशनिंदा आसोप स्कीम के अतिरिक्त जलापूर्ति से शेष रहे गांवों में पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पेयजल योजना शक्करगढ़, जामोली, सवाईपुर, बनकाखेड़ा एवं बड़ला की योजनाओं को पुनर्गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की नीति निर्धारण समिति की 180वीं बैठक में अनुमोदित हातड़ा पेयजल योजना को स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. जहाजपुर-पण्डेर-शाहपुरा पेयजल सप्लाई योजना को स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की कोटड़ी पेयजल स्कीम गन्धेर-बिहाड़ा, पेयजल स्कीम, शक्करगढ़, ईटून्दा एवं पीपलून्दा पेयजल स्कीमों पर पृथक विद्युत फीडर की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी) :

217. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के राजगढ़ तहसील में पिछले 2 वर्ष से कन्टीजेन्सी द्वारा स्वीकृत हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पेयजल आपूर्ति के लिये जलस्तर बढ़ाने की दृष्टि से जोहड़ एवं एनीकटों के रख-रखाव की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पानी के दोहन को रोकने के लिये सोखते गढ्ढे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल लगाने के पश्चात पाइप लाइन शीघ्र डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

221. बीकानेर में जल संग्रह हेतु जलाशय में फिल्टर प्लांट लगाकर जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

222. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल समस्या के निवारण हेतु दिये गये प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

223. ग्राम करोडी में भूगर्भीय जल की कमी के कारण गांव में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

224. ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा (विराटनगर) में पेयजल योजना स्वीकृत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की जानकालां की ढाणियों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

226. विराटनगर के भूगर्भ चट्टानयुक्त गांवों में भूजल की कमी से उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

227. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम जोडियों में पानी की ऊंची टंकी की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बांस के ग्राम पाटन मेवान में बनी पानी की टंकी से पाइप लाइन द्वारा पानी की सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम घासौली में राज्य मार्ग संख्या 25 के निर्माण के लिये लगे मिक्सचर प्लांट के नीचे पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हेाने के कारण पेयजल की उत्पन्न समस्या के लिये चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बांस में ग्राम पंचायत पाटन पेवान इस्माईलपुर रातांखुर्द गंज, नूरनगर, ऊजौली बघेरी कलां, बिलाहेडी, पाटन अहीर, कान्हड का आदि के ग्रामों में मीठा पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

231. रामगढ़ जिला अलवर में पांच बडे कस्बों रामगढ़, नौगावा, मुबारिकपुर गोविन्दगढ़ बडौदा मेव के साथ 20 पंचायतों में पेयजल स्कीम स्वीकृत कर शुद्ध पेयजल की सुचारू व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

232. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्राम माधूपुर मकडावा, गुणसार, भोजपुर, गुरगचका, लाहडौद की ढाणी, इकरोटिया की ढाणी में बन्द/अधूरी सैक्टर रिफोर्म योजनाओं को पुनः चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

233. विधान सभा क्षेत्र सहाडा के ग्रामों में पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. 2000 की आबादी वाले गांवों में एस.आर. पेयजल टैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र सहाडा में जेजेवाई योजना में सूखे पेयजल स्त्रोत की जगह नये स्त्रोत के तैयार कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

236. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में अधिक फ्लोराइडयुक्त पेयजल सप्लाई व दूषित पानी सप्लाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

237. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में विशेष परिस्थितियों में जल दोहन पर शिथिलता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. जयपुर शहर के भूजल में मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले तत्व की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य समय पर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

240. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पेयजल वितरण तंत्र से वंचित कम दबाव प्रदूषित पेयजल वितरण एवं लीकेज के क्षेत्रों को चिन्हित कर समस्या का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयदीप (भादरा) :

241. विधान सभा क्षेत्र भादरा में पेयजल की नई स्कीमों को स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

242. धौलपुर-भरतपुर चम्बल पेयजल परियोजना को शीघ्र पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत मौरोली में पेयजल योजना बनाकर ग्रामवासियों को पीने का पानी शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये हैण्डपम्प व ट्यूबवैल शीघ्र लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर शहर में शुद्ध पेयजल शीघ्र उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल वर्मा (डग) :

246. विधान सभा क्षेत्र डग में माधवी एवं भीमनी योजनाओं के लिये आवश्यक वित्तीय प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

247. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

248. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की कुशलगढ़ नगरपालिका में स्थाई पेयजल योजना बनाकर नगरवासियों को समय पर पानी देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पम्प मिस्त्रियों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम सज्जनगढ़, डुगरा घोंटा में पेयजल योजना बनाकर ग्रामीणों को समय पर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कुओं व हैण्डपम्प द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. राज्य में पेयजल सुविधा मुहैय्या कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (रानीवाड़ा) :

253. सांचोर से बागोड़ा जालोर नर्मदा का पानी लाकर पेयजल पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

254. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में विधायक मद से खोदे जाने वाले नलकूपों (ट्यूबवैल) पर लगी रोक तत्काल हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में आने वाले कुवाडा, कुम्हारिया खेड़ा, खारोलीया खेड़ा लक्ष्मीपुरा को पेयजल लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व) :

256. बीकानेर शहर की कच्ची बस्ती व आबादी क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. बीकानेर शहर की पुरानी पेयजल पाइप लाइन को परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. बीकानेर शहर में पुराने बंद पड़े कुओं को पुनः चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

259. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) की नव-विकसित कालोनियों में पेयजल की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

260. जनता जल योजना में योजना को संचालित करने वाले कार्यकर्ता का वेतन बढ़ा कर 5000/- रु. किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र खींवसर व नागौर के गांव व कस्बों को नागौर लिफ्ट योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. नागौर लिफ्ट कैनाल के प्रथम चरण में सम्मिलित गांव व कस्बों को पेयजल से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में आकस्मिक निधि के तहत स्वीकृत नलकूपों को बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

265. माण्डलगढ़ न.पा. में फूटे एस.आर. के स्थान पर नया अधिक क्षमता का एस आर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

266. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में ग्रा.पं. दादरा में गुलाब बाग व टिवा वाली ढाणी में पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पुजारी का बास ग्राम पंचायत में आडी डोली के पास सिंगल फेस बोरिंग कराकर आसपास की सभी ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. खण्डेला नगरपालिका में पानी की टंकी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

269. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में मालाकाली पंचायत के भोपतपुरा ग्राम में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

270. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम पंचायत लोरवाडा में रूडलो ढाणी में पेयजल की उपलब्धता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद) :

271. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के ग्रामों से बाछेरी नाका की पेयजल योजना के तहत जो पाइप लाइन जा रही है से कनेक्शन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के ग्रामों में नई पाइप लाइन आरयूआईडीपी के माध्यम से डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

273. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पेयजल हेतु चलायी गयी सहभागी योजना को पुन: प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

274. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में भाणा पंचायत में स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।